ISSN: 3139-5260

BJAR (https://bjar.in) | July-September | 2025 | Volume-1 | Issue-1

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

An International Open Access,
Quarterly Peer Reviewed,
Referred Journal of Academic Research

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

BJAR

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च

Bundelkhand Journal of Academic Research

अकादमिक शोध का एक त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी)
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल
A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English)
International Journal of Academic Research

Year: 2025 **Quarter: July-September** **Volume: 01**

प्रधान संपादक
Editor-in-Chief
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'
Dr. Gajendra Singh 'Madhusudan'
E-mail: gayatripublication2025@gmail.com

1

प्रबंध संपादक
Managing Editor
बृजेन्द्र सिंह
Brijendra Singh
E-mail: gayatri.kbs@gmail.com

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर का संपादक मंडल
(Editorial Board of the BJAR)

Dr. Ajay Singh, Professor, Department of Management & Information Systems, College of Business Administration, University of Hail: **Saudi Arabia,** E-mail: a.singh@uoh.edu.sa

Dr. Sunil Kumar, Professor (Sociology), Department of Sociology, Kurukshetra University, Thanesar: **Haryana.**
E-mail: sksoc@kuk.ac.in

Dr. Andrew T. Kugedera, Agriculture and Research, Morgenster Teachers College Morgenster, Masvingo: **Zimbabwe**
E-mail: kugederaandrew48@gmail.com

Dr. N. K. Gupta, Professor & Director (PM&E), Department of Basic Science, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: nkgupta.pphy@sknau.ac.in

Dr. Mukesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: mukeshkumar@gtgdc.org

Dr. Atul Kumar Kushwaha, Assistant Professor, Department of Chemistry, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: atulkk2008@gtgdc.org

Dr. Siddhant Chaturvedi, Assistant Professor, Department of Botany, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: siddhantau1@gtgdc.org

Mr. Ram Lakhan Research Scholar, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: potteras9125@gmail.com

Dr. Sanjaya Acharya, Professor, Department of Economics, Tribhuvan University Kirtipur; Kathmandu: **Nepal.**
E-mail: sanjaya.acharya@cdec.tu.edu.np

Dr. Bhupendra Kumar, Professor, Amity Business School, Amity University, Gwalior: **Madhya Pradesh.**
E-mail: bkumar@gwa.amity.edu

Dr. Shambhu Nath Singh, Professor, Institute of Economics & Finance, Bundelkhand University Jhansi; Uttar Pradesh. E-mail: drsnsingh@bujhansi.ac.in

Dr. Rajesh Kumar Pal, Principal, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.rajeshkumar@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: amitkumarsingh@gtgdc.org

Dr. Sonu Jain, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sonujain.ageco@sknau.ac.in

Dr. Rachit Jaiswal, Assistant Professor, Department of Commerce, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: rachitjaiswal@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Yadav, Assistant Professor (Sociology), Government Degree College Pahi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: sch.amitkum58@bujhansi.ac.in

=====

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के विशेषज्ञ (Experts of the BJAR)

Dr. C. B. Singh, Professor, Department of Economics & Finance, Former Dean of Arts Faculty, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: dr.cbsingh195@bujhansi.ac.in

Dr. Girdhari Lal Meena, Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: **Rajasthan.** E-mail: glm57@rediffmail.com

Dr. Rakesh Rana, Professor, Department of Sociology, Mahanand Mission Harijan College, Gaziabad, Chaudhary Charan Singh University, Meerut: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ranarakesh@gmail.com

Dr. B. S. Badhola, Assistant Professor, Department of Agriculture Extension Education, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: bsbadhola.ext@sknau.ac.in

Dr. Sheela Kharkwal, Assistant Professor, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sheela.ageco@sknau.ac.in

Dr. Krishna Kumari, Assistant Professor, Department of Psychology, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Dinesh Meena, Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Aurobindo College, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi University: **New Delhi.**
E-mail: dmeena_comm@aurobindo.du.ac.in

Dr. Vinay Kumar Patel, Assistant Professor (History), Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vinay.net2012@gmail.com

Dr. Subhita Kumawat, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: subhita.ageco@sknau.ac.in

Dr. Uma Ratan Yadav, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: uryadav69@gmail.com

Dr. Hari Singh, Professor, Department of Agricultural Economics, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (MPUAT): **Rajasthan**.
E-mail: singhhari71@gmail.com

Dr. Onkar Nath Mishra, Assistant Professor (Sr. Grade), Department of Economics, Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, **Bihar.**
E-mail: aavirmishra@gmail.com

Dr. Mithilesh Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith University,Varanasi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.mithileshkumarsingh@gmail.com

Dr. Prahlad Singh, Assistant Professor, Department of Mathematics, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: prahladanora9@gmail.com

Dr. Ajay Singh, Assistant Professor, Department of English, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ajaysingh@gtgdc.org

Dr. Shyam Singh Gaur, Assistant Professor, Deptt. of Education & Humanities, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Chitrakoot: **Madhya Pradesh.**
E-mail: shyamsinghedu3@gmail.com

Dr. Dharmendra Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.dharmendrasingh67@gmail.com

Dr. Pratibha Manohar, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: pratibha.maths@sknau.ac.in

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के सलाहकार (Advisors of the BJAR)

Dr. Kiran Gaur, Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: kirangaur.stats@sknau.ac.in

Durgesh kumar Shukla, Principal & Professor, Government Degree College, Manikpur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: durgeshshukla70707@gmail.com

Dr Vinod Kumar, Principal & Associate Professor, Government Model Degree College Piparahari, Banda, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinodkumar786@gmail.com

Dr. Manjri Damele, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: manjridamele@gmail.com

Dr. Gajendra Nath, Principal, Rajarshi Purushottam Das Tandon Government Post Graduate, Lalitpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: gajendranath11@gmail.com

Dr. Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: mksharma.stats@sknau.ac.in

Dr. Virendra Pratap Chaurasia, Assistant Professor, Department of Economics, Government Degree College Kalpi, Jalaun, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: virendraauphd@gmail.com

Dr. Maneesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, D.D.U. Gorakhpur University Gorakhpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: maneeshkumar61@gmail.com

Dr. Brijendra Singh Boudh, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**.
E-mail: dr.bsboudha1999@gmail.com

Dr. Vinay Kumar Chaudhary, Professor & Principal, Government Degree College, Mathura, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vkc2014eng@gmail.com

Dr. Sandeep Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sandeepsps@gmail.com

Dr. Heeralal, Principal, Government Degree College, Ganeshpura, Babina Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**. E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Sachendra Kumar, Principal, Fundi Singh Launa Government Post Graduate College, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sachendra877@gmail.com

Dr. Ravindra Singh Shekhawat, Senior Scientist, Indian Council of Agricultural Research (ICAR)-Indian Institute of Wheat and Barley Research (IIWBR), Karnal: **Haryana.**
E-mail: ravindra.shekhawat@icar.org.in

Dr. Jay Prakash Singh, Assistant Professor, Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: jayprakash7619@gmail.com

Dr. Ashutosh Kumar Shukla, Assistant Professor, Department of Political Science, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ashutoshshukla0907@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के समीक्षक (Reviewers of the BJAR)

Dr. Mahendra Singh, Assistant Professor (Economics), Veerabhumi Government PG College Bhatipura, Mahoba: **Uttar Pradesh.**
E-mail: mahendrasinghalld1990@gmail.com

Dr. Brijesh Kumar Pal, Assistant Professor (Hindi), Dr. B.R. Ambedkar Girls Government PG College, Fatehpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: brijeshjaishree@gmail.com

Dr. Sanju Kumawat, Assistant Professor, Department of Agriculture, University School of Agriculture Science, Rayat Bahra University, Mohali: **Punjab.**
E-mail: sanju.19117@rayatbahrauniversity.edu.in

Dr. Deepak Gupta, Assistant Professor, Department of Genetics & Plant Breeding, Pulses, Pearlmittet, College of Agriculture, Fatehpur Shekhawati, Sikar, **Rajasthan.**
E-mail: deepakgupta.pbg@sknau.ac.in

Dr. Vinod Kumar, Assistant Professor, Library Science, Dr. S. R. Ranganathan Institute of Library and Information Science, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinoddlis79@gmail.com

Dr. Shiv Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Government Girls Post Graduate College, Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: shivkumar25678@rediffmail.com

Dr. Ramesh Chand Asiwal, Assistant Professor (Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: rcasiwalageco.coalalsot@sknau.ac.in

Dr. Sandeep Kumar Pundir, Assistant Professor, Department of Physics, University of Lucknow: **Uttar Pradesh.**
E-mail: pundir_s@lkouniv.ac.in

Dr. Shelly Gupta, Assistant Professor (Law), Vaish College of Law, Rohtak,Maharishi Dayanand University, Rohtak: **Haryana.**
E-mail: shellysushil@gmail.com

Dr. Anand Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University, Sitapur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: anand_smsvns@yahoo.co.in

Dr. Devendra Nath Giri, Assistant Professor, Department of History, Smt. Indira Gandhi Government PG College Lalganj, Mirzapur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: giridevendranath@gmail.com

Dr. Amita Singh, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli: **Uttar Pradesh.**
E-mail: singhamita1984@gmail.com

Dr. Veer Pratap Singh, Assistant Professor (Botany), Maharani Lal Kunwari (MLK) PG College, Balrampur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvpsingh1984@gmail.com

Dr. Ram Chiranjeev, Assistant Professor (Sociology), Chaudhary Mahadeo Prasad (CMP) Degree College, Prayagraj,University of Allahabad, **Uttar Pradesh.**
E-mail: chiranjivpal75@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर)

Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR)

वर्ष: 01	त्रैमासिक: जुलाई-सितंबर, 2025	वॉल्यूम-01	अंक-1
Year: 01	**Quarterly: July-September, 2025**	**Volume-01**	**Issue-1**

अकादमिक शोध का एक त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research)

प्रारंभिक वर्ष: 2025 **The Starting Year:** 2025

प्रकाशन: सुरेन्द्र कुमार (महासचिव), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Publisher: Surendra Kumar (General Secretary), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

मुद्रक: गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Printer: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

टिप्पणी: सभी प्रकार के भुगतान 'बीजेएआर' अतर्रा के नाम से देय है।

Note: All payments are payable in the name of 'BJAR' Atarra.

2. बीजेएआर के प्रधान संपादक और संपादक के पद मानद और अवैतनिक हैं। जबकि प्रबंध संपादक का वैतनिक है।

The positions of Editor-in-Chief and Editors of BJAR are honorary and unpaid, while the Managing Editor is paid.

हमसे संपर्क करें (कार्यालय):

: सुरेन्द्र कुमार, प्रकाशक, गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष: +918750184716 ई-मेल: gayatripublication2025@gmail.com

: बृजेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष:+918423141082 ई-मेल: gayatri.kbs@gmail.com

Contact Us (Office):

: Surendra Kumar, Publisher, Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201, Telephone: +91-8750184716, Email: gayatripublication2025@gmail.com

: Brijendra Singh, Managing Director, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201 Telephone: +91-8423141082 Email: gayatri.kbs@gmail.com

सुरेन्द्र कुमार (महासचिव, गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा, बांदा) मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से मुद्रित करवाकर प्रकाशित। प्रबंध संपादक: बृजेन्द्र सिंह, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश:210201

Note: The views expressed in the published articles are their writers own. The agreement of the Editorial Board or the Shodh Pratisthan is not necessary Disputes, if any shall be decided by the court at Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

Bundelkhand Journal of Academic Research

वर्ष: 01 | त्रैमासिक: जुलाई-सितंबर, 2025 | वॉल्यूम-01 | अंक-1
Year: 01 | Quarterly: July-September, 2025 | Volume-01 | Issue-1

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

01. भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची का एक अवलोकन 01-9
बृजेन्द्र सिंह, डॉ. कामिनी कुशवाहा

02. भारत में अनुबंध खेती का एक अवलोकन 10-22
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

03. भारत में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा का अध्ययन 23-28
डॉ. अमित कुमार सिंह,

04. भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का एक अध्ययन 29-35
डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. पवन कुमार सिंह

05. वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन (चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में) 36-46
राम लखन, डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

06. डॉ. बी आर अंबेडकर के आर्थिक विचारों का अवलोकन 47-62
सुरेन्द्र कुमार, योगेन्द्र कुमार कुशवाहा

07. A Study of Progress and Status of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) 63-72
Dr. Gajendra Singh 'Madhusudan', Dr. Shambhu Nath Singh

08. Nanocomposites of Magnetically Retrievable Cellulose and Metal Oxide Frameworks for Efficiency in Concurrent Pollutant Removal 73-80
Madhubala Sarojny

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची का एक अवलोकन

बृजेन्द्र सिंह[1], डॉ. कामिनी कुशवाहा[2]

1. **शोधार्थी (राजनीति विज्ञान),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।
2. **प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,** शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

(**Corresponding Author:** bsingh991991@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21312261

सारांश

भारत जैसे देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध हमेशा से ही विवादास्पद रहे हैं। भारतीय संविधान के 75 वर्षों के कार्यकाल में एक तरफ न्यायपालिका और कार्यपालिका, वहीं दूसरी ओर विधायिका के बीच सर्वोच्चता का संघर्ष कई बार देखने को मिला है। इस संघर्ष का एक कारण हमेशा से नौवीं अनुसूची रही है। नौवीं अनुसूची में वर्तमान में 284 विषय हैं। इसे 1951 के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और इसका मुख्य उद्देश्य कुछ कानूनों को अदालती समीक्षा से बचाना था। नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों में मुख्यतः भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और सामाजिक–आर्थिक नीतियां शामिल हैं। इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की है। जबकि नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालती समीक्षा से बचाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बिना किसी कानूनी बाधा के सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू कर सके। प्रस्तुत शोध पत्र में नौवीं अनुसूची की निष्पक्ष समझ के लिए इसके गहन अवलोकन का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 08 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 10 सितम्बर, 2025 **प्रकाशित:** 30 सितम्बर, 2025

सारणी: 02 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 24

मुख्य शब्द: विधायन, निर्णयन, नौवीं अनुसूची, न्यायिक समीक्षा, संविधान संशोधन।

परिचय एवं पृष्ठभूमि: भारतीय संविधान में उल्लेखित नौवी अनुसूची संविधान की अनोखी विशेषता है। यह मूल संविधान का भाग नहीं थी, क्योंकि इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसे अनूठी विशेषता इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस प्रावधान में कुछ ऐसी विधियां शामिल हैं, जिन्हें संविधान के साथ असंगत होने के बावजूद भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका का संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकार होने के बावजूद नौवी अनुसूची द्वारा कुछ विधियां न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दी गई है। संविधान के पूर्णतः प्रभावी होने के 16 महीने बाद 12 मई 1951 को संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो प्रवर समिति में भेजे जाने और संसद में गहन विमर्श के बाद अंततः 18 जून 1951 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अधिनियमित हो गया। पहला संशोधन मौलिक अधिकारों के साथ कई अन्य विषयों से भी संबंधित था। मौलिक अधिकारों के अध्याय में संशोधित अनुच्छेद–15, अनुच्छेद–19(2), अनुच्छेद–19(6) और अनुच्छेद–29(2) थे। इसमें दो नए अनुच्छेद–41ए और अनुच्छेद–31बी भी जोड़े गए, इनके साथ एक नई नौवीं अनुसूची भी जोड़ी गई।

अनुच्छेद–31ए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आधारित चुनौतियों से संपदा कानूनों की रक्षा करता था। जबकि अनुच्छेद–31बी में कहा गया कि नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी अधिनियम और विनियम शून्य नहीं माना जाएगा, यदि वह भाग–III के किसी प्रावधान से असंगत है या अधिकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है। यह भी कि किसी भी न्यायालय के किसी भी विपरीत निर्णय के बावजूद, उक्त अधिनियम और विनियम, किसी भी सक्षम विधायिका की निरसन या संशोधन की शक्ति के अधीन लागू रहेगा। नौवीं अनुसूची में शुरू में 13 अधिनियम और

विनियम शामिल थे, जिसमें बढ़कर अब 284 अधिनियम हो गए हैं, जिनमें से करीब 218 अधिनियम 24 अप्रैल, 1973 के बाद सम्मिलित किए गए हैं। अनुसूची में अंतिम बार 1995 में कुछ अधिनियम जोड़े गए थे, जब संसद ने 78वां संशोधन पारित किया था, जिसमें कुछ राज्य अधिनियम जोड़े गए थे, जिसके चलते नौवीं अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या 284 हो गई थी।

नौवीं अनुसूची के अध्ययन का औचित्यः शुरुआत में, नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त माना जाता था। इसका उद्देश्य प्रगतिशील कानूनों, खासकर भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों पर आधारित कानूनी चुनौतियों के डर के बिना एक 'सुरक्षित संवैधानिक आश्रय' प्रदान करना था। संविधान में नौंवी अनुसूची जोड़ने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैंः

- कृषि सुधार कानूनों को संरक्षण प्रदान करना।
- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना।
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दिये जाने वाले कानूनों को बचाना।
- समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाना।
- समतावादी संवैधानिक लक्ष्यों के साथ सामजिक न्याय की ओर सामाजिक परिवर्तनो को बढ़ावा देना।
- चुनिंदा हाथों में भूमि को केन्द्रित होने से रोकना और युक्तिसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

नौंवी अनुसूची को संसदीय विधायिका के उन संविधान निर्माताओं ने जोडी जिन्होंने स्वयं ही संविधान बनाया था, जिसके पीछे समतावादी संवैधानिक लक्ष्यों के साथ सामजिक न्याय की ओर सामाजिक परिवर्तनो को बढ़ाने का स्पष्ट उद्देश्य था। हालांकि, शुरुआत में संशोधन द्वारा इसमें 13 कानूनों को शामिल किया गया। लेकिन फिलहाल इसमें 284 कानून है। दूसरा, नौंवी अनुसूची कृषि सुधार कानूनो को न्यायिक दायरे से बाहर करने हेतु जोड़ी गई, लेकिन अब इसमें कृषि सुधारों से इतर कानून भी शामिल हैं। इसे निम्न सारणी से समझा जा सकता हैः

सारणी-1: नौंवी अनुसूची में शामिल के विषयों का विवरण

क्रम	नौंवी अनुसूची के विषय	कानूनों की संख्या
1.	कृषि एवं भूमि सुधार	**249**
2.	औद्योगिक विकास	**05**
3.	आर्थिक अपराध, कोफेपोसा, फेरा	**07**
4.	निर्वाचन व प्रेस	**02**
5.	समाज कल्याण	**06**
6.	तमिलनाडु आरक्षण	**01**
7.	कर्नाटक अनुसूचित जाति व जनजाति (पीटीसीएल) कानून 1978	**01**
8.	कृषि एवं भूमि सुधार से असंबंधित विविध विषय	**13**
	नौंवी अनुसूची में शामिल कानूनों की कुल संख्या	**284**

सारणी–1 से स्पष्ट है कि नौंवी अनुसूची में 35 ऐसे कानून शामिल है जो कृषि अथवा भूमि सुधारों से सम्बन्धित नहीं हैं। हालाँकि, समय के साथ विभिन्न प्रकार के कानून, जिनमें उद्योग, खनन और यहाँ तक कि आरक्षण नीतियों से संबंधित कानून भी नौवीं अनुसूची में जोड़ दिए गए, जिससे इसका विस्तार अपने मूल उद्देश्य से कहीं आगे बढ़ गया। इसलिए अब इसके अध्ययन का दोहरा महत्व है। एक तो, नौवीं अनुसूची ने सुधार प्रक्रिया को सुगम बनाया है, क्योंकि इसने निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमि सुधारों और सामाजिक–आर्थिक कानूनों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाया, जो अन्यथा लंबी कानूनी लड़ाई के कारण रुक सकते थे, इस प्रकार सामाजिक न्याय में योगदान दिया। दूसरा, इसने विधायिका और न्यापालिका को बहस का विषय उपलब्ध कराया है। यह एक विवादास्पद प्रावधान भी बन गया, क्योंकि इसने "संविधान के भीतर संविधान" की स्थापना की, परिणामस्वरूप विधायिका को मौलिक अधिकारों और न्यायिक जाँच से बचने का अधिकार मिल गया, जिससे संविधान का मूल ढाँचा कमज़ोर हो गया।

नौवीं अनुसूची के विधायन पर विमर्शः स्वतंत्रता से पूर्व देश के कई भागों में जमींदारी प्रथा का प्रचलन था, जिसके अन्तर्गत कृषि कार्य करने वाले लोग व खेतों के मालिक अलग–अलग थे। जमींदारी प्रथा शोपण का एक प्रचलित रूप थी। सामाजिक व आर्थिक न्याय के अभाव में लोकतांत्रिक आदर्शों को वास्तविकता में लागू नहीं किया जा रहा था। 26 जनवरी, 1950 को लागू संविधान में प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत विस्तार से सामाजिक–आर्थिक न्याय

का उल्लेख है। लोकतांत्रिक आदर्श व संवैधानिक आदर्श प्राप्त करना नीति निर्माताओ के समक्ष चुनौती था। ऐसी स्थिति में विभिन्न सरकारो द्वारा अपने राज्यो में इन आदशों की स्थापना हेतु कृपि सुधार कानून बनाए गए और लागू किए गए, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले आजादी और राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा दिए गए भूमि सुधार, ज़मींदारी उन्मूलन आदि के पक्ष में लंबे समय से बहुत सी प्रतिबद्धताएं थीं। जबकि शुरुआती दौर में हर बार जब भूमि अधिग्रहण का कोई विवाद अदालत के सामने आया, तो इसे मुख्य रूप से मुआवजे के भुगतान के मामलों में भूमि मालिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के आधार पर खारिज कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद–14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होता था, जिससे भूमि सुधार की नीति को आगे बढ़ाना असंभव हो जाता है। साथ ही, अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकार का उल्लेख भी मौलिक अधिकार के रूप में था। परिणामस्वरूप, राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को उच्च न्यायालयों में चुनौति दी गई। वर्ष 1951 में कामेश्वर सिंह बनाम् बिहार राज्य (एआईआर 1952 एससी 252) के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि, इलाहाबाद व नागपुर उच्च न्यायालयों ने कृषि सुधारो को सही ठहराया। परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष और कुछ याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद–32 के अन्तर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर उच्चतम न्यायालय में अपना कोई निर्णय देता, उससे पूर्व ही सामाजिक, आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा संविधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। नेहरू कृषि सुधारों के प्रति अत्यधिक उत्साही थे और वे ऐसे कार्यक्रमों में न्यायिक प्रक्रिया के कारण हो रही देरी से दुखी भी थे। शायद, उन्हें न्यायालय द्वारा इन सुधारों को असवैधानिक घोपित होने का भी डर था। इसको ध्यान में रखते हुए नेहरू सरकार द्वारा वर्ष 1951 में संविधान में संशोधन हेतु विधेयक रख दिया गया।

यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि एक तो, संविधान को लागू हुए अभी 15 माह ही हुए थे। दूसरा, संसद का स्वरूप अंतरिम था अर्थात संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तीसरा, मामला देश के सबसे बड़े न्यायालय में विचाराधीन था। इसके बावजूद सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद में रख दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने सम्बोधन में कहा कि यदि वे भूमि के समुचित प्रबन्धन में असफल रहे तो उनके सभी कार्यक्रम असफल हो जायेंगे। हालांकि, इस पर कई सदस्यों जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हृदयनाथ कुंजरू, के. टी. शाह, आचार्य कृपलानी आदि ने संशोधन का विरोध किया। उनका यह मानना था कि इस पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए। हुसैन इमाम ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह अनावश्यक व असमय किया गया संशोधन है। प्रो. के. टी. शाह ने न्यायालय की पवित्रता बनाए रखने हेतु इसके विरोध की अपील की। लेकिन नेहरू इसमें पूर्णतया अडिग थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लाखों लोग दशकों से इसका इंतजार कर रहे है और केवल छोटे विधिक तर्क इन लाखों लोगों के सामने नहीं आ सकते हैं।

उन्होने संविधान सभा का हवाला देते हुए कहा कि सभा में इस पर सहमति थी कि ऐसे परिवर्तन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी। शायद यहाँ नेहरू 10 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में हुई उस बहस की ओर संकेत कर रहे थे जिसमें उन्होंने स्वय यह कहा था कि यदि लोक उपयोग में सम्पत्ति की आवश्यकता पड़ी तो राज्य विधि बनाकर उस सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित कर सकता है और विधि अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति भी की जा सकती हैं। संविधान के साथ धोखाधड़ी होने के अलावा ऐसी विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है (संविधान सभा के वाद विवाद खण्ड–IX (B), लोकसभा सचिवालय पृष्ठ–1862)। संशोधन से संबंधित कारणों में कहा गया है कि कृषि और भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों के लिए चुनौतियां अदालतों में लंबित हैं और कमजोर कानून के माध्यम से भूमि की बड़ी योजनाएं आयोजित नहीं हो सकती हैं। 18 मई, 1951 को संसदीय बहस में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम समाधान के लिए भ्रम और अराजकता का इंतजार नहीं कर सकते, जबकि कृषि संबंधी परेशानियां शक्तिशाली हो रही हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादन, प्रतिभूतियों और यहां तक कि किसानों और व्यक्तियों के दृष्टिकोण से ऐसे भ्रम राज्य के लिए खतरनाक हैं। जैसे कि बिहार, इलाहाबाद और नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा भूमि सुधारों पर विरोधाभासी निर्णय की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। हालांकि, संविधान सभा के सदस्य रहे प्रो. के. टी. शाह ने सर्वोच्च न्यायालय की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नौवीं अनुसूची के निर्माण का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में शीर्ष अदालत द्वारा विचार किए जाने के बाद ही किसी अधिनियम को नौवीं अनुसूची में डाला जाए। लेकिन नेहरू का तर्क था कि "लाखों लोग दशकों से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए, क्षुद्र कानूनी तर्क इन लाखों के रास्ते में नहीं आने चाहिए। हम केवल चीजों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और न ही स्थितियों को बदलने के लिए बड़ी क्रांतियों की प्रतीक्षा कर सकते हैं।" उल्लेखनीय है कि नौवीं अनुसूची के लिए बाहरी प्रेरणा आयरलैंड से आई थी, जहां भूमि को असमान रूप से वितरित किया गया था।

नौवीं अनुसूची के संबंध में तत्कालीन कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सदन को समझाया कि आयरिश कानून में एक अलग बोर्ड नियुक्त किया गया है, जिसके पास भूमि अधिग्रहण करने, जोतों को तोड़ने, भूमि को समान करने और पड़ोसी मालिक से भूमि लेकर गैर–आर्थिक जोतों को आर्थिक जोत बनाने का

अधिकार है और मुआवज़ा देने का अधिकार भी इसी बोर्ड को दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस बोर्ड के कार्यों की व्याख्या करने के लिए कोई न्यायिक प्राधिकार नहीं है और बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं है। परिणामस्वरूप, आयरलैंड में भूमि का समान रूप से वितरण काफी सुगम सिद्ध हुआ था। इस तरह, उपर्युक्त बहसों से यह स्पष्ट है कि यह न्यायपालिका द्वारा भूमि सुधारों को रद्द कर दिए जाने का डर नहीं था जिसने ऐसे कानूनों को न्यायिक दायरे से बाहर रखने के लिए मजबूर किया, बल्कि यह न्यायपालिका द्वारा परिवर्तन का विरोध करने के रवैये के प्रति असाधारण अधीरता थी जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इस तरह, संसद में लम्बी बहस के बाद संशोधन पर मतदान हुआ, जिसके बाद 18 जून, 1951 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। परिणामस्वरूप, संसद ने पहली बार संविधान में संशोधन कर कृषि सुधार लाने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में सहायता के लिए अनुच्छेद–31ए और 31बी जोड़ कर ऐसे विधायी उपायों को इस आधार पर उन्मुक्ति प्रदान की कि वे नागरिक के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं। इसी संशोधन ने आठवीं अनुसूची के बाद एक नई नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें शामिल सभी 13 मदें भूमि सुधार कानूनों से संबंधित थीं, इनको संविधान के अनुच्छेद–13 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से भी उन्मुक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद–13, अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, जो भाग–III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता या कम करता हो और इसके उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।

नौवीं अनुसूची पर न्यायिक निर्णयः गोलक नाथ बनाम पंजाब (एआईआर 1967 एस.सी.1643) में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि "हमारा संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें कानूनों की एक लम्बी सूची है, जिसे वह स्वयं के विरुद्ध संरक्षित करता है।" नौवीं अनुसूची में शामिल कानून भी इससे भिन्न नहीं थे। यही कारण था कि अनुसूची के उद्देश्य और प्रभावशीलता प्रारम्भ से ही संदेह के घेरे में रहे हैं। पहले संशोधन की संवैधानिक वैधता को पहली बार शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य (1952 एससीआर 89) में चुनौती दी गई थी, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 जिसका उद्देश्य संविधान में अन्य बातों के साथ अनुच्छेद–31ए और 31बी को शामिल करना है, अधिकारहीन और असंवैधानिक है। हालांकि, इसमें संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए यह माना गया कि अनुच्छेद–13(2), अनुच्छेद–368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को प्रभावित नहीं करता है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन कानूनों और कुछ निर्दिष्ट अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करना और उन प्रावधानों को विलंबकारी मुकदमेबाजी से बचाना था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले सामाजिक सुधार उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई। संवैधानिक पीठ ने कहा कि संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून को संवैधानिक रूप से वैध बनाना संविधान संशोधन का विषय है और यह संसद की विशेष शक्ति के अंतर्गत आता है।

अनुच्छेद–31बी के प्रति न्यायालय के रवैये का एक उल्लेखनीय उदाहरण धीरूभा देवीसिंह गोहिल बनाम बॉम्बे राज्य (एआईआर 1955 एससी 47) मामले में देखा जा सकता है। बॉम्बे ताल्लुकदारी काश्तकारी उन्मूलन अधिनियम,1949 जो संविधान–पूर्व का एक क़ानून था और अनुसूची–IX में शामिल था, को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह "न तो संघीय और न ही प्रांतीय विधानमंडल को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को अधिकृत करने वाला कोई कानून बनाने का अधिकार होगा, जब तक कि कानून में अर्जित संपत्ति के लिए मुआवजे के भुगतान का प्रावधान न हो।" इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के भाग–III द्वारा किसी व्यक्ति को सुरक्षित अधिकारों में से एक अधिकार यह है कि उसकी संपत्ति केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए और ऐसे अधिग्रहण को अधिकृत करने वाले कानून के तहत अर्जित की जाएगी और मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा जो या तो कानून द्वारा तय किया गया है या कानून द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा विनियमित है। यह वही अधिकार है जो पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 299 के तहत सुरक्षित था। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार अधिनियम,1935 की धारा 299 और संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार विधानमंडल केवल सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून बना सकता है, लेकिन निजी प्रयोजनों के लिए नहीं; हालांकि, इसमें प्रयुक्त भाषा इतनी स्पष्ट नहीं थी।

वर्ष 1964 में सरकार ने सत्रहवाँ संशोधन पारित कर नौवीं अनुसूची में 44 नए अधिनियम शामिल किए, क्योंकि कृषि सुधारों की नीति को प्रभावी बनाने के लिए कुछ राज्यों द्वारा अपनाए गए राज्य विधायी उपायों को अदालतों में इस आधार पर गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कि वे भाग–III द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इन अधिनियमों को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1965 एससी 845) में चुनौती दी गई। इस निर्णय पर न्यायालय ने कहा कि "यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क मान्य होते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि 1951 और 1955 में किए गए संविधान संशोधन अमान्य हो जाएँगे और शंकरी प्रसाद मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की वैधता से

संबंधित अनेक निर्णय भी गंभीर संकट में पड़ जाएँगे। ये ऐसे विचार हैं जो वर्तमान कार्यवाही में हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस दलील से निपटने के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण दोनों हैं कि शंकरी प्रसाद मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए"। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर ने मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर की राय से सहमति जताई कि संशोधन को बरकरार रखा जाए, लेकिन भविष्य में संभावित संशोधनों के मौलिक अधिकारों और संविधान के मूल ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपनी शंकाएँ भी व्यक्त कीं। न्यायमूर्ति मुधोलकर ने सवाल किया कि "यह भी विचारणीय विषय है कि क्या संविधान की किसी मूल विशेषता में बदलाव को केवल संशोधन माना जा सकता है या यह वास्तव में संविधान के किसी भाग का पुनर्लेखन होगा; और यदि ऐसा है, तो क्या यह अनुच्छेद 368 के दायरे में आएगा?"

गोलक नाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1967 एससी 1643) के मामले में संविधान (सत्रहवां) संशोधन अधिनियम की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी जिसमें मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 1961 और पंजाब भूमि पट्टा सुरक्षा अधिनियम, 1953 को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 11 न्यायाधीशों की पीठ ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण की सत्यता पर विचार किया। इन फैसलों को 5–6 के बहुमत से खारिज कर यह माना गया कि संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद–13 के अर्थ में 'कानून' है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित किया गया है जो भाग–III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को छीनता या कम करता है और इसलिए, यदि यह भाग–III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है, तो यह शून्य है। यह घोषित किया गया कि निर्णय की तिथि (27 फ़रवरी, 1967) से संसद को संविधान के भाग–III के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होगा जिससे उसमें निहित मौलिक अधिकारों को छीना या कम किया जा सके। इस प्रकार, गोलक नाथ मामला न्यायपालिका द्वारा नौवीं अनुसूची पर पहला बड़ा प्रहार था।

अनुच्छेद–31बी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्दिष्ट अधिनियमों में से कोई भी शून्य नहीं माना जाएगा और वे सक्षम विधायिका की शक्ति के अधीन रहते हुए लागू रहेंगे, जो उन्हें निरस्त या संशोधित कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद–31बी पूर्वव्यापी है। कई निर्णयों में यह प्रश्न उठा है कि क्या किसी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किए गए अधिनियम को अनुसूची में शामिल करके वैध ठहराया जा सकता है। इस संबंध में तर्क दिया गया है कि ऐसा अधिनियम मृत और आरंभ से ही शून्य होता है और इसलिए, इसे सक्षम विधायिका द्वारा पुनः अधिनियमित किए बिना वैध नहीं ठहराया जा सकता। इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अनुच्छेद–31बी और नौवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर आरोपित किसी भी असंवैधानिकता के संबंध में, यदि दोषों को दूर कर दिया है, और अनुच्छेद–31बी के अनुसार, दोषों का ऐसा निवारण उन तिथियों से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ हुआ है, जिन तिथियों को अधिनियमों को संविधि पुस्तिका में रखा गया था। (एल. जगन्नाथ बनाम प्राधिकृत अधिकारी, एआईआर 1972 एससी. 398, रमनलाल बनाम गुजरात, एआईआर 1969 एससी. 168, श्री राम नारायण मेधी बनाम जे. एंड के. एआईआर 1959 जेएंडके. 35; अब्दुल रहमान बनाम विट्ठल अर्जुन, एआईआर 1958 बॉम्बे 94)

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (एआईआर 1973 एससी. 1461) मामले में 29वें संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, जिसने संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन किया था और प्रविष्टि–64 के बाद भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए दो प्रविष्टि–65 (केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, 1969) और प्रविष्टि–66 (केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, 1971) को सम्मिलित किया था। केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल, 1973 को 13 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाने हुए बहुमत से 29वें संशोधन, 1972 की वैधता को बरकरार रखा, जिसके तहत केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 और 1971 को शामिल किया गया था। हालांकि, बहुमत ने संविधान में संशोधन करने की संसद की असीमित शक्ति को स्वीकार नहीं किया और यह माना कि अनुच्छेद–368 में सीमाएँ निहित हैं। अनुच्छेद–368 संसद को संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने का अधिकार नहीं देता है।

इंदिरा गांधी मामले (एआईआर 1975 एससी. 2299) में न्यायमूर्ति मैथ्यू द्वारा व्यक्त यह विचार कि अनुसूची में शामिल विधान मूल ढांचे की कसौटी के अधीन हैं और यह वामन राव बनाम भारत संघ (एआईआर 1981 एससी. 271) में न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से समर्थित था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने, जिन्होंने इंदिरा गांधी मामले में अपने पूर्व के विचार का कोई संदर्भ दिए बिना, बहुमत की राय व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से घोषित किया कि 24 अप्रैल, 1973 को या उसके बाद, अर्थात् केशवानंद भारती मामले में निर्णय सुनाए जाने की तिथि को नौवीं अनुसूची में परिवर्धन द्वारा किए गए विभिन्न संवैधानिक संशोधन केवल तभी वैध होंगे जब वे संविधान के मूल ढांचे को क्षति या विनाश न पहुंचाए। इस तरह, वामन राव वनाम भारत संघ (1981) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि वे संशोधन जो 24 अप्रैल, 1973 से पहले संविधान में किये गए (जिस तारीख को केशवानंद भारती में निर्णय दिया गया

था) वैध और संवैधानिक हैं, लेकिन जो निर्दिष्ट तिथि के बाद किये गए हैं, उन्हें संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

आई.आर.कोएल्हो मामला 2007 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें कहा गया है कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को भी न्यायिक समीक्षा से पूर्ण छूट नहीं मिल सकती, विशेषकर वे कानून जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। इसने न्यायपालिका के अधिकार को स्थापित कर सुनिश्चित किया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को भी संविधान के सिद्धांतों के तहत परखा जा सकता है। 11 जनवरी, 2007 को मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि:

i. संविधान के भाग–III द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन या न्यूनीकरण करने वाला कानून मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन कर भी सकता है और नहीं भी। यदि मूल संरचना सिद्धांत कानून का परिणाम है, तो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के प्रयोग में ऐसे कानून को अमान्य घोषित किया जाएगा।
ii. केशवानंद भारती मामले में इंदिरा गांधी मामले के साथ बहुमत से दिए गए निर्णय में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक नए संवैधानिक संशोधन की वैधता का आकलन करने के लिए, भाग–III के तहत प्रदत्त अधिकारों पर उसके प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और फिर यह तय किया जाना चाहिए कि वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है या नहीं।
iii. 24 अप्रैल को या उसके बाद किए गए संविधान के सभी संशोधनों को संविधान की मूल या आवश्यक विशेषताओं, जैसा कि अनुच्छेद–21 के साथ अनुच्छेद–14, अनुच्छेद–19 और उनमें निहित सिद्धांतों में परिलक्षित होता है, की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। इसलिए, भले ही किसी अधिनियम को संविधान संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया हो, फिर भी उसके प्रावधानों पर इस आधार पर विचार किया जा सकता है कि वे मूल ढांचे को नष्ट या क्षति पहुंचाते हैं।

इस तरह, आई. आर. कोएल्हो वनाम तमिलनाडु राज्य (2007) निर्णय में यह माना गया कि प्रत्येक कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत परीक्षण किया जाना चाहिए, यदि वह 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू हुआ है। इसके अलावा न्यायालय ने अपने पिछले फैसलों को बरकरार रखते हुए घोषित किया कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है, वह न्यायपालिका के परीक्षण के अधीन है, यदि वह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है। हालांकि, यदि नौवीं अनुसूची के तहत किसी कानून की संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है, तो भविष्य में इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नौवीं अनुसूची की व्यापकता: नौवीं अनुसूची मूल रूप से भूमि सुधारों से संबंधित कुछ कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन, अनुसूची का इतिहास बताता है कि संसद अनुसूची की विषय–वस्तु और इसमें शामिल कानूनों की संख्या, दोनों मामले में संयम से काम लेने और संविधान की मूल भावना को कायम रखने में विफल रही है, जैसा कि सारणी–2 से स्पष्ट है।

सारणी-2: नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों का विवरण

क्रम	संशोधन	वर्ष	कानून क्रमांक	कानूनों की संख्या
1.	पहला संशोधन	1951	1-13	13
2.	चौथा संशोधन	1955	14-20	07
3.	17वां संशोधन	1964	21-64	44
4.	29वां संशोधन	1971	65-66	02
5.	34वां संशोधन	1974	67-86	20
6.	39वां संशोधन	1975	87-124	38
7.	40वां संशोधन	1976	125-188	64
8.	47वां संशोधन	1984	189-202	14
9.	66वां संशोधन	1990	203-257	54
10.	76वां संशोधन	1994	257A	01
11.	78वां संशोधन	1995	258-284	27

स्रोतः आई.आर. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) 7 एससीसी.580 आदेश दिनांकः 14 सितम्बर, 1999 और आईआर कोएलो (मृत) एलआरएस बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, आदेश दिनांकः 11 जनवरी, 2007।
टिप्पणीः वर्ष 1978 में 44वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि–87 (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम), प्रविष्टि–92 (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम) और प्रविष्टि–130 (आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक) को निरस्त कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि नौवीं अनुसूची के 284 कानूनों में से 182 कानून इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। सारणी–2 से स्पष्ट है कि वर्ष 1990 तक नौवीं अनुसूची में शामिल 257 कानूनों में से 32 का भूमि सुधारों से कोई संबंध नहीं था। नौवीं अनुसूची का सर्वाधिक दुरुपयोग 1975 में आपातकालीन शासन द्वारा पारित उनतीसवें संशोधन के साथ शुरू हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से लेकर अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम तक 38 कानून शामिल किए गए। चालीसवें संशोधन को नौवीं अनुसूची में सबसे अधिक अर्थात 64 कानून जोड़ने का श्रेय प्राप्त है, जो उस समय तक शामिल कानूनों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है। इसमें भी एक अजीब संग्रह देखने को मिलता है जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1939 और आपत्तिजनक मामलों के प्रकाशन की रोकथाम अधिनियम, 1976 की कुछ धाराएं शामिल हैं। वर्ष 1975 और 1976 के संशोधनों से स्पष्ट है कि किस प्रकार संसद में बहुमत से नौवीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा की असुविधा से बचने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 है, जिसको वर्ष 1994 में 76वें संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला यह अधिनियम, मंडल आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, इस गैर–भूमि सुधार कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने और इसे न्यायिक समीक्षा से परे रखने की संवैधानिकता पर गहन बहस हुई थी।

इसका परिणाम यह हुआ कि नौवीं अनुसूची की विषयवस्तु का न्यायिक समीक्षा के अधीन आना स्वाभाविक हो गया था और आई.आर. कोएलो वाद {आई.आर. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) 7 एससीसी. 580 आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 1999 और आईआर कोएलो (मृत) एलआरएस बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2007} में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि "यदि अनुच्छेद–368, जिसे संशोधन शक्ति का दूसरा नाम भी कहा जाता है, के अंतर्गत संविधान–सम्बन्धी शक्ति को असीमित नहीं बनाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद–31बी का उपयोग असीमित शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद–31बी, अनुच्छेद–368 में निहित सीमित संशोधन शक्ति से आगे नहीं जा सकता। नौवीं अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद–368 से प्राप्त होती है और संशोधन की यह शक्ति संशोधन की शक्ति की सीमाओं के अनुरूप होनी चाहिए। यह सीमा केशवानंद भारती मामले के साथ आई थी। इसलिए, 24 अप्रैल, 1973 के बाद अनुच्छेद–31बी, अपनी व्यापक भाषा के बावजूद, अनियमित या असीमित उन्मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है।"

हालांकि, आई.आर. कोएलो के फैसले से यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या भूमि सुधारों से असंबंधित, लेकिन प्रगतिशील प्रकृति के कानूनों को ऐसे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? कई कानूनों को उनके सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य के कारण नौवीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक दायरे से बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957; एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969; कोकिंग कोल खान (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971; बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 आदि ऐसे ही कानून हैं, जिनके प्रति न्यायालय के निर्णय बहुत सुधारवादी नहीं कहे जा सकते हैं या फिर क्या यह कार्य अब संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्या अब सर्वोच्च न्यायालय ही जनहित का अंतिम निर्णायक है। हालांकि, आई. आर. कोएलो के फैसले की तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने आलोचना करते हुए कहा था कि "न्यायपालिका के पास मुकदमों के विशाल ढेर के रूप में अपनी ही कई समस्याएँ हैं, जिनसे विशाल जनहित प्रभावित हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय न तो नया कानून बना सकता है और न ही कानूनों में संशोधन कर सकता है। अगर किसी कानून की व्याख्या को लेकर कोई अनिश्चितता है, तो वह उसे स्पष्ट कर सकता है और उसकी स्पष्ट व्याख्या कर सकता है"।

निष्कर्ष एवं सुझावः विधायिका द्वारा न्यायिक समीक्षा से छुटकारा पाने के लिए नौवीं अनुसूची का हमेशा एक आसान उपाय के रूप में उपयोग किया गया। विभिन्न कानून (भूमि सुधारों से संबंधित और नहीं भी) जिन्हें विधायिका न्यायिक दायरे से बाहर रखना चाहती थी, उन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। परिणामस्वरूप, विधायिका के दुरुपयोग द्वारा नौवीं अनुसूची वोट बटोरने का एक ज़रिया बन गई, जिसके चलते न्यायपालिका ने मूल ढाँचे का आविष्कार किया। मूल ढाँचे का सिद्धांत नौवीं अनुसूची के दुरुपयोग के लिए अपनाए गए संदिग्ध प्रयासों का प्रतिफल था, जिसके कारण अंततः नौवीं अनुसूची का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित हुआ है। आई.आर. कोएलो के फैसले के बाद, विधायिका द्वारा नौवीं अनुसूची का अब अधिक दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा और इसमें शामिल अधिनियम और

विनियम अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। लेकिन, इस फैसले ने एक ओर न्यायपालिका और विधायिका जबकि दूसरी ओर कार्यपालिका के बीच सर्वोच्चता के संघर्ष को जन्म दे दिया है। विधायिका का मानना है कि किसी भी कानून में बदलाव करना या किसी कानून में संशोधन करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इस संबंध में एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या मौजूदा स्थिति में नौवीं अनुसूची आवश्यक है या फिर नहीं, क्योंकि एक तो, नौवीं अनुसूची लागू करने का उद्देश्य कुछ सुधारवादी कानूनों को न्यायिक दायरे से बाहर रखना था, क्योंकि ये कानून, प्रकृति में प्रगतिशील होने के बावजूद, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। हालाँकि, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है और यह नौवीं अनुसूची के कानूनों के लिए कोई खतरा नहीं है। दूसरा, वर्ष 1991 के बाद, केंद्र सरकार के आर्थिक दृष्टिकोंण और नीति में मौलिक बदलाव आया है, जो सामाजिक सुधार की सक्रिय नीति में विश्वास नहीं रखती, बल्कि आर्थिक सुधारों का लाभ गरीब लोगों तक "रिसाव प्रक्रिया" से बढ़ा रही है। इसलिए, नौवीं अनुसूची अपने मूल उद्देश्य के संदर्भ में निरर्थक हो जाती है।

हालांकि, इसका आशय यह नहीं है कि नौवीं अनुसूची मौजूदा दौर में पूर्णतः निरर्थक हो चुकी है, क्योंकि नौवीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक पुनरीक्षण से बचाना था, जिससे जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो सके और भूमि का पुनर्वितरण वास्तविक किसानों को किया जा सके। यह अनुसूची सामाजिक और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करती है ताकि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता लाने वाले कानूनों को न्यायालयों द्वारा निरस्त न किया जाए, जिससे कल्याणकारी कानूनों को बिना बाधा के लागू किया जा सके। शायद इसीलिए, नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों द्वारा चुनौती देने से रोका गया है, ताकि ऐसे कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। यह विधायिका को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के खतरे के बिना आवश्यक सामाजिक–आर्थिक कानून बनाने का अधिकार देता है। विशिष्ट कानूनों को संरक्षण प्रदान करते हुए, नौवीं अनुसूची भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को भी प्रदर्शित करती है। कमजोर वर्गों के लाभ के लिए बनाए गए कानूनों की सुरक्षा करके अधिक समतावादी समाज बनाने के संवैधानिक लक्ष्यों को बनाए रखना भी इसका एक औचित्य रहा है। इसने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने और प्रगतिशील सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतियों को लागू करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य किया है। नौवीं अनुसूची राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती रही है,जिसके चलते सामाजिक सुधारों को संपत्ति के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सीमांकित किया था। उन्होंने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी जब संसद या सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होने का दावा करें। केवल संविधान और उसके लोगों को ही सर्वोच्च कहा जा सकता है। जब तक कोई संस्था अपने वैध अधिकार क्षेत्र में रहती है, तब तक संघर्ष या टकराव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, हम आई.आर. कोएलो मामले में दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए अपने निष्कर्षों का समापन करते हैं, क्योंकि विधायिका के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नौवीं अनुसूची का उपयोग करना संभव नहीं होगा और न्यायपालिका अनुसूची में शामिल सभी कानूनों और विधानों पर नज़र रखने के लिए मौजूद रहेगी।

कुल मिलाकर, भारत में नौवीं अनुसूची के उपयोग के संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों की विशिष्ट प्रकृति बताती है कि नौवीं अनुसूची अब मौजूदा संविधान के एक परिशिष्ट के रूप में पंजीकृत है। नौवीं अनुसूची को सामाजिक न्याय प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन कई बार यह यह केवल विधायिका द्वारा समर्थित कानूनों को अमर बनाने का एक राजनीतिक उपकरण सिद्ध हुआ है, जिनके कारण कई बार नौवीं अनुसूची को 'संवैधानिक कूड़ेदान' का टैग दिया गया है। ऐसे में, नौवीं अनुसूची में निहित क़ानूनों के अक्षरशः और मूल भावना को निर्धारित करने के लिए उसकी व्यापक और समग्र जाँच करना आवश्यक है। यह भविष्य के अध्ययनों के लिए एक अप्रत्यक्ष आह्वान है कि वे नौवीं अनुसूची में शामिल दो सौ चौरासी कानूनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि विद्वान और नीति–निर्माता समान रूप से इसके दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास नौवीं अनुसूची की विषयवस्तु को भारतीय संविधान में शामिल करने की दिशा तय कर सकते हैं, जिससे एक संपूर्ण, एकीकृत और बाध्यकारी दस्तावेज़ के रूप में इसका महत्व बना रहेगा।

स्रोत एवं संदर्भः

1. गहलोत, दिनेश कुमार (2022)। भारतीय संविधान एवं नौवीं अनुसूची, जर्नल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (जेएमएमई), वाल्यूम–12, अंक–01, जनवरी–मार्च 2022, पृष्ठ 260–263, आईएसएसएनः 2231–167X
2. लक्ष्मी परमेश्वरन (2020)। भारत में व्यक्तिगत कानूनों का इतिहास, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, 4–5, 2020
3. डोडेजा, करिश्मा डी (2016)। "बिल्ली को घंटी बाँधनाः भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची का विचित्र मामला," नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया रिव्यू, खंड 28, संख्या 1, 2016, पृष्ठ 1–17।
4. अर्चना पाराशर (2013)। गैर–राज्य कानूनों के रूप में धार्मिक व्यक्तिगत कानूनः लैंगिक न्याय पर प्रभाव, रूटलेज, 4 खंड–45, अंक–1, 2013।
5. माधव खोसला (2007)। "नौवीं अनुसूची पर निर्णयः संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित करने का समय," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड–42, अंक–31, 2007, पृष्ठ 3203–3204।
6. सैक, पीटर (1990)। "कानूनी तकनीक और बंधुत्व की खोजः भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार।" जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, खंड–32, अंक–3, 1990, पृष्ठ 294–308।
7. नूरानी, एजी (2007)। "नौवीं अनुसूची और सर्वोच्च न्यायालय," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड–42, अंक–9, 2007, पृष्ठ 731–734।
8. कुमार, वीरेंद्र (2007)। "भारतीय संविधान की मूल संरचनाः संवैधानिक रूप से नियंत्रित शासन का सिद्धांत (केशवानंद भारती से आईआर कोएलो तक)" जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, खंड–49, अंक–3, 2007, पृष्ठ 365–398।
9. शंकरन, कमला (2007)। "चिंतनशील सर्वव्यापकता से ठोस पाठ्य प्रावधानों तकः आईआर कोएलो निर्णय और मूल संरचना सिद्धांत," जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, खंड–49, अंक–2, 2007, पृष्ठ 240–248।
10. मालती राय चौधरी बनाम सुधींद्रनाथ मजूमदार ए.आई.आर. 2007।
11. विमलबेन अजीतभाई पटेल बनाम वत्सलाबेन अशोक भाई पटेल एवं अन्य 2008 (4) एस.सी.सी. 649।
12. मैसूर राज्य बनाम आर.वी. बिदप (1974) 3 एससीसी 337; फागू शॉ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1974), 4 एससीसी 152; एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) 7 एससीसी 126।
13. गौतम भाटिया, द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ए रेडिकल बायोग्राफी इन नाइन एक्ट्स, xxviii (2019)।
14. शिवा, राव बी(1968)। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 56 (1968)।
15. संविधान सभा वाद–विवाद, खंड–VII, 29 नवंबर 1948, http://164.100.47.194/vol7-html
16. खुशबू देव (2021)। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध व्यक्तिगत कानून, संविधान का भाग–III, https://cjp.org.in/personal-laws-vis-a-vis-fundamental-rights-part-iii-of-the-constitution,19 मार्च, 2021
17. बंबई राज्य बनाम नरसु अप्पा माली, आपराधिक अपील संख्या 231/1951(6)
18. गौतम भाटिया (2017)। पर्सनल लॉ और संविधानः त्रिपाल तलाक पीठ को बंबई राज्य बनाम नरसु अप्पा माली, 8 मई, 2017,
19. आई.आर. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) 7 एससीसी. 580 आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 1999 और आईआर कोएलो (मृत) एलआरएस बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2007।
20. कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य (एआईआर 1952 एससी 252)
21. कृष्ण सिंह बनाम मथुरा अहीर (1980) एआईआर 707
22. महर्षि अवधेश बनाम भारत संघ 1994 एससीसी, पूरक (1) 713
23. भारतीय विधि आयोग, पारिवारिक कानून सुधारों पर परामर्श पत्र–4, 31 अगस्त, 2018।
24. गगरानी, हर्ष (2007)। आई. आर. कोएलो निर्णय के प्रकाश में नौवीं अनुसूची। http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.994264.

*****

आलेख उद्धरित करें:	सिंह, बृजेन्द्र एवं कुशवाहा, डॉ. कामिनी (2025)। भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची का एक अवलोकन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 1-9।

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में अनुबंध खेती का एक अवलोकन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21316668

सारांश

भारत में अनुबंध खेती, किसानों और कंपनियों के बीच एक समझौता है जहाँ किसान पूर्व–निर्धारित शर्तों के तहत एक विशिष्ट फसल उगाते हैं, जिसमें गुणवत्ता मानक, कीमत और आपूर्ति शामिल होती है। इसके तहत कंपनियां किसानों को इनपुट (बीज, उर्वरक, तकनीकी सहायता) प्रदान करती हैं और बदले में, बाजार की अनिश्चितता के बिना, एक निश्चित मूल्य पर उपज खरीदती हैं। यह व्यवस्था किसानों को एक गारंटीकृत बाजार प्रदान करती है और कृषि में व्यावसायिकता लाती है। अनुबंध खेती से किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने, जोखिम कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। चुनौतियों के बावजूद, बेहतर नीतियों और किसानों की बढ़ती जागरूकता के साथ, भारत में अनुबंध खेती का भविष्य आशाजनक दिखाई देता है। किसानों को अब बाज़ार संपर्क और विशेषज्ञ सलाहकार सहायता तक बेहतर पहुँच प्राप्त है, जिससे अनुबंध खेती एक अधिक व्यवहार्य और लाभदायक विकल्प बन गई है। हालांकि, अनुबंध खेती की चिंताओं में छोटे किसानों का शोषण, निर्भरता का जोखिम, कानूनी सुरक्षा का अभाव और असमान समझौते शामिल हैं, जो अक्सर किसानों को असुरक्षित बना देते हैं और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को सीमित कर देते हैं। अनुबंध खेती की ऐसी चिंताओं का समाधान आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में अनुबंध खेती की विकास प्रक्रिया, प्रकार, लाभ, चुनौतियां और विधिक प्रक्रिया का अवलोकन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 01 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 03 सितम्बर, 2025 **प्रकाशित:** 30 सितम्बर, 2025

सारणी: 01 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 30

मुख्य शब्द: अनुबंध खेती, फसल–पूर्व समझौता, आपूर्ति श्रृंखला, जोखिम, मॉडल।

आशय एवं आवश्यकता: आज देश में यह व्यापक विमर्श का विषय है कि कृषि को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि भारतीय कृषि लम्बे समय से घाटे का सौदा बनी हुई है। ऐसे में अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करना कृषि के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। चूंकि किसान की बदहाली की मुख्य वजह एक तो जोतों का छोटा आकार है। उदाहरण के लिए, देश में कार्यशील जोतों की संख्या वर्ष 1960–61 में 489.00 लाख थी, जो 3 गुना बढ़कर वर्ष 2015–16 में 1464.54 लाख हो गई और इस दौरान 2 हेक्टेयर या उससे कम जोत वाले सीमांत एवं लघु किसानों की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। इनकी भागीदारी वर्ष 1960–61 में 62.99 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 86.07 प्रतिशत हो गई। स्पष्ट है कि 86 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम कृषि योग्य भूमि है। लिहाजा जोत का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, लेकिन उसका मूल्य उतना नहीं मिल पाता और उन्हें घाटा सहना पड़ता है। दूसरा कारण भारतीय कृषि मानसून आधारित है और मानसूनी अनिश्चितता का फसलोत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन, अनुबंध कृषि में इन दोनों ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि इसमें कई छोटे–छोटे किसान मिलकर एक बड़े किसान के रूप में काम करते हैं और कई किसानों के खेत मिल जाने पर जोत का आकार बढ़ जाता है। फिर किसानों और कंपनियों के बीच उत्पादन की प्राप्ति, खरीद और

विपणन की शर्तों को पहले से तय किया जाता है। लिहाजा संबंधित कंपनियाँ कृषकों को कृषि आगत, तकनीकी सलाह, परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराती हैं। इससे आधारभूत संरचना का विकास होता है और किसान पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पाद एक निश्चित समयावधि में उत्पादित कर पाता है। इस तरह, अनुबंध खेती का आशय एक ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें किसान और कंपनी मिलकर फसल–पूर्व उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता और कीमत सहित समझौते को शर्तबद्ध करते हैं। इसमें किसान अनुबंधित उत्पादन और उत्पादन संबंधी जोखिमों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कंपनी उत्पादन की सुविधाएं और विपणन संबंधी जोखिम उठाने के लिए जिम्मेदार होती है।

यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला के अंदर एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर एकीकरण है, जहां खरीदार का उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उत्पाद के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। अनुबंध खेती में किसानों और कंपनियों के बीच मौखिक या लिखित समझौता होता है, जिसमें दो या दो से अधिक घटक शामिल हो सकते हैं और यह अहस्तांतरणीय होता है। इसमें खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार में कोई भी सरकारी या निजी कंपनी शामिल हो सकती है। अनुबंध खेती स्वतंत्र खेती और कॉरपोरेट खेती के बीच की एक व्यवस्था है, जिसमें मुख्यतः 4 पहलू पूर्व निर्धारित कीमत, मात्रा, गुणवत्ता और समय शामिल होते हैं। ऊर्ध्वाधर एकीकरण का आशय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक फसल की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से खरीदार कंपनी के नियंत्रण में होती है। आपूर्ति श्रृंखला में शामिल प्रत्येक सदस्य बाजार के लिए उत्पाद या सेवा प्रदान करता है। इन उत्पादों और सेवाओं को मिलाकर एक सामान्य जरूरत पूरी की जाती है जिसमें कृषि, बागवानी, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन आदि कार्य खरीदार और उत्पादक के बीच एक समझौते के तहत किए जाते हैं। खरीदार हमेशा एक कंपनी होती है और उत्पादक के रूप में प्रायः मध्यम या बड़े किसान, किसानों का समूह या कोई उत्पादक सहकारी समिति हो सकती है। हालांकि, उत्पादन पर पूरा नियंत्रण कंपनी के हाथों में होता है। इस तरह, किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के मौजूदा तरीकों के अलावा अनुबंध खेती निम्नलिखित के लिए भी आवश्यक है:

- किसान–प्रसंस्करणकर्ता संपर्क स्थापित कर लेन–देन की लागत को कम करने के लिए।
- भारत में उत्पादन और विपणन संबंध बढाने के लिए।
- बाजार के साथ अपर्याप्त संपर्कों को दूर करने के लिए।
- पूंजी की कमी, खराब बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के लिए।
- फसल पश्चात के नुकसान से बचने के लिए।
- फसल खरीद की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए।
- मौसमी पलायन से बचने के लिए।

भारत में अनुबंध खेती का विकासः वैसे तो भारत में अनुबंध खेती की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ही हो गई थी, जब भारतीय किसानों ने इंग्लैंड की कंपनियों के लिए नील की खेती (Collin Indigo) करना शुरू किया था। ब्रिटिश भारत में कई नकदी फसलों जैसे चाय, कॉफी, रबर, अफीम आदि की अनुबंध खेती जागीर मॉडल के तहत हो रही थी। 1920 के दशक में भारतीय तंबाकू कंपनी (आईटीसी) ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तंबाकू में अनुबंध खेती की शुरुआत की थी। आईटीसी ने एक निष्पक्ष अनुबंध खेती व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो काफी लोकप्रिय थी। आजादी के बाद उभरती बीज कंपनियों ने बीज उत्पादन के लिए किसानों को अनुबंध खेती से जोड़ने का प्रयास करती रही हैं। चूंकि बीज कंपनियों के पास कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए उनके पास अनुबंध खेती के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

भारत में अनुबंध खेती के इतिहास में एक बड़ा नाम स्वीडन की बहुराष्ट्रीय कंपनी विमको (Wimco) का है, जो माचिस उद्योग में काफी प्रसिद्ध है। इसने अनुबंध खेती के माध्यम से उत्तर भारत में पॉपलर (चिनार) के पेड़ों को लगाने की शुरुआत की थी। वर्ष 1989 में पेप्सीको (पेप्सी फूड्स लिमिटेड) और 'निजर एग्रो फूड्स' ने पंजाब के होशियारपुर जिले में टमाटर की अनुबंध खेती की शुरुआत की थी। पेप्सी कंपनी ने भारत में कृषि प्रसंस्करण और अनुबंध खेती को इतना लोकप्रिय बनाया है कि अनुबंध खेती देश के दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगी और आधुनिक संदर्भ में अनुबंध खेती की असल शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1990 के दशक तक अनुबंध खेती देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों ने अनुबंध खेती में विशेष रुचि दिखाई, उन्होंने निजी कंपनियों

और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के साथ व्यवसाय के लिए उपयुक्त नियमों का निर्माण किया। आज अनुबंध खेती भारत के अधिकांश इलाकों में फैल चुकी है। कई राज्य अपनी कृषि को बेहतर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए–नए तरीकों को अपनाकर इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। नकदी फसलों के अलावा धान, मक्का, गेहूं और जौ में भी अनुबंध खेती हो रही है। अनुबंध खेती के विस्तार के साथ अनुबंध और समझौते भी अब जटिल हो रहे हैं, जिसमें कई विशेषीकृत एजेंसियां शामिल होती हैं जो किसानों और निजी कंपनियों के बीच कड़ी की भूमिका निभाती हैं।

चूंकि भारत में पट्टा कानून की वजह से निजी कंपनियां बड़ी जमीन नहीं खरीद सकती हैं, इसलिए अधिक लाभ के लिए बड़े पैमाने पर खेती भी नहीं कर पाती हैं। इसके तोड़ के रूप में कंपनियां अनुबंध खेती का सहारा ले रही हैं। अनुबंध खेती से बिना जमीन के भी वे मनचाहे तरीके से अपनी सामग्रियों और तकनीक से अपनी पसंद की फसलें उगा सकती हैं। अनुबंध खेती में किसान की तरफ से भूमि, श्रम, पशु, ऊर्जा आदि कार्यशील साधन और पानी होता है। कटाई के बाद उत्पाद को अनुबंधीय कंपनी को दे दिया जाता है। कंपनी उत्पाद को या तो प्रसंस्करण कंपनियों को बेच देती है या फिर उत्पादों का प्रसंस्करण करके सीधे निर्यात करती है। इस तरह, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण में अनुबंध खेती की एक बड़ी भूमिका है और इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

सारणी-1: भारत में अनुबंध खेती का इतिहास

समय	घटनाएं
1860 दशक	अनुबंध के आधार पर उत्तर पूर्व और दक्षिण की पहाड़ियों में चाय और कॉफी की बागवानी, मैदानों में नील और अफीम की खेती शुरू हुई।
1910 दशक	अनुबंध खेती में शामिल किसानों का संकट और उपद्रव हुआ।
1920 दशक	आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तंबाकू में अनुबंध खेती की शुरुआत।
1948-50	महाराष्ट्र में गन्ना सहकारिता और गुजरात में दुग्ध सहकारिता में अनुबंध खेती के बहुत सारे पहलुओं को शामिल किया गया।
1950 दशक	अनुबंध खेती पर आधारित बीज व्यापार की शुरुआत।
1980 दशक	अनुबंध खेती के जरिए पॉपुलर या चिनार की शुरुआत।
1990 दशक	पंजाब में अनुबंध खेती के माध्यम से टमाटर की शुरुआत। यद्यपि बागवानी में अनुबंध खेती की शुरुआत के अनेक प्रयास हुए, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहे।
2000 दशक	मध्य प्रदेश में गेहूं और पंजाब में फसल विविधीकरण के लिए अनुबंध खेती के कई प्रकारों की शुरुआत, विशेषीकृत अनुबंध खेती कंपनियों का उभार।
वर्ष 2000	कर्नाटक में खीरे की खेती के साथ अनुबंध खेती की शुरुआत हुई।
वर्ष 2003-04	कृषि सुधार के लिए अनुबंध खेती के नए नीतिगत ढ़ांचे की स्वीकृति।
2004 के बाद	भारत के विभिन्न इलाकों में अनुबंध खेती का प्रभावी विस्तार।
अप्रैल, 2017	कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 (एपीएलएम अधिनियम) नाम से आदर्श एपीएमसी अधिनियम लाया गया और राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) स्थापित किया गया।
22 मई 2018	कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक विनियामक और नीतिगत ढांचा बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018' लागू किया।
24 सितम्बर, 2020	अनुबंध खेती अधिनियम (सीएफए), 2020 को 'किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अधिनियम, 2020' नाम से अधिनियमित किया गया।

कई फसलों का उत्पादन अनुबंध खेती के माध्यम से हो रहा है, जिसमें धान और मक्का जैसी प्रधान फसलें सबसे आगे हैं। कई जगहों पर जैविक खेती को भी अनुबंध खेती के माध्यम से किया जा रहा है। बागवानी, मुर्गीपालन और दुग्ध उत्पादन में भी अनुबंध खेती का विस्तार हो रहा है। देश में बीज उत्पादन और उनके पेटेंट के लिए बड़ी अंतरराष्ट्रीय बीज कंपनियां अनुबंध खेती की तरफ आकर्षित हो रही हैं। चूंकि भारत सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है।

इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां अनुबंध खेती की प्रचुर संभावनाएं दिखती हैं। देश के कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अनुबंध खेती से बड़ा फायदा किसे पहुंच रहा है और क्या यह भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पाएगी। किसानों को यह तय करना होगा कि वे अनुबंध खेती करना चाहते हैं या स्वतंत्र खेती, क्योंकि खेती की ऐसी पद्धतियां भी मौजूद हैं जिसमें पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना हम खेती कर सकते हैं। खरीदार कंपनियों और किसानों को यह भी देखना होगा कि किन इलाकों में कौन सी फसलों को उगाया जाए ताकि वहां की स्थानीय, सामाजिक–आर्थिक स्थितियों और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े।

अनुबंध खेती के प्रकारः अनुबंध खेती के लिए दो प्रकार के अनुबंध प्रयोग किए जाते है, जो निम्न प्रकार हैंः

(i) उत्पादन अनुबंधः इसमें दो प्रकार के अनुबंध शामिल होते हैं, उत्पादन प्रबंधन अनुबंध और संसाधन उपलब्ध कराने वाला अनुबंध। इसमें किसानों को किसी विशेष फसल या पशुपालन के लिए भुगतान किया जाता है। इसमें खरीदार कंपनी का उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर अधिकांश नियंत्रण होता है। इसमें अधिकांश निर्णय कंपनियां लेती हैं, किसानों के पास सीमित अधिकार होते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीक और गुणवत्ता मानकों को कंपनी तय करती है। उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े निर्देश कंपनी देती है और किसानों को उन्हें मानना होता है। उत्पाद की कीमत से जुड़े बाजार जोखिम कंपनी पर होते हैं।

(ii) विपणन अनुबंधः इसमें उत्पादन से जुड़े निर्णय किसान खुद लेते हैं। कंपनियां केवल किसानों को बाजार का आश्वासन देती है। अनुबंध में एक निश्चित मात्रा और गुणवत्ता पहले से ही तय हो जाती है। इसलिए किसानों को पहले से ही आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता के बारे में पता चल जाता है, जिसके अनुसार किसानों को उत्पादन करना होता है।

अनुबंध खेती के मॉडलः पिछले दशकों में कई प्रकार के अनुबंधीय मॉडल उभर कर आए है और किसी मॉडल का चुनाव कई बातों जैसे फसल का स्वभाव, मृदा स्थिति, पानी और सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता, किसानों की जरूरतें, किसानों और कंपनी के बीच के संबंध आदि पर निर्भर करता है। सही मॉडल का चुनाव कंपनियों के लिए हमेशा चुनौती भरा होता है। देश के विभिन्न इलाकों में अलग–अलग नामों से अनुबंध खेती के कई मॉडल मौजूद हैं। इनमें से पांच प्रमुख मॉडल निम्न प्रकार हैंः

(1) केंद्रीकृत अनुबंध मॉडलः यह पहला अनुबंध मॉडल है, जिसे केंद्रीकृत, द्विपक्षीय या प्रत्यक्ष खरीद मॉडल कहा जाता है। इसमें किसान और कंपनी के बीच प्रत्यक्ष समझौता होता है। यह एक उत्कृष्ट मॉडल है, जिसमें उच्च स्तरीय प्रसंस्करण वाले उत्पादों को शामिल किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, कपास आदि। इसमें कंपनी की भागीदारी अलग–अलग अर्थात पूर्ण नियंत्रण से लेकर सीमित भागीदारी तक हो सकती है। इसमें किसान और कंपनी एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष खरीद में शामिल तो होते हैं, लेकिन दोनों किसी भी कानूनी दायित्व या बंधन से मुक्त होते हैं। इसमें किसानों को कंपनियों से लागत सामग्री और जरूरी सेवायें प्राप्त होती हैं और बदले में एक निश्चित कीमत पर कंपनी उनका माल खरीद लेती हैं। हालांकि इसमें किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपनी लागत सामग्रियां किसी अन्य से ले सकें और अपने उत्पाद को जहां चाहें वहां बेच सकें। भारत की कई बड़ी खुदरा व्यापार कंपनियां जैसे रिलायंस, फूड बाजार, स्पेंसर आदि इस मॉडल का अनुसरण करते हैं। पंजाब में जब पेप्सी फूड्स कंपनी ने टमाटर की खेती में अनुबंध खेती की शुरुआत की थी तो उसने केंद्रीकृत मॉडल का ही अनुसरण किया था।

(2) त्रिपक्षीय अनुबंध मॉडलः यह दूसरा अनुबंध मॉडल है, जिसे त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय मॉडल कहा जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब किसान सहकारी समितियों में संगठित हुए और वित्तीय संस्थान भी अनुबंधों में शामिल होने लगे। इसमें किसानों और कंपनी के बीच एनजीओ या सरकारी निकाय मध्यस्थ संस्थानों की भूमिका में रहते हैं। भारत में यह मॉडल काफी प्रचलित है। मध्यस्थता के रूप में किसी संयुक्त उद्यम कंपनी के वैधानिक निकाय को भी शामिल किया जाता है। इसमें कई संगठन और कंपनियां शामिल होती हैं, जो किसान के साथ मिलकर काम करती हैं और प्रत्येक की अपनी अलग भूमिका होती है, जैसे ऋण, लागत सामग्री, मशीन, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि। डाबर इंडिया लिमिटेड का अनुबंध खेती में प्रवेश बहुपक्षीय मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडियन बैंक और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से डाबर कंपनी ने भारत में औषधीय पौधों की अनुबंध खेती का बड़े स्तर पर विस्तार किया है।

यह भारत के 13 राज्यों में करीब 3800 एकड़ में अनुबंध खेती कर रही है, जिसके 5,000 से अधिक किसान डाबर के लिए औषधीय पौधे उगाते हैं। उत्पादन, प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय विपणन कंपनी 'आयन एक्सचेंज इनवॉयरो फॉर्मूस लिमिटेड' ने 'सामुदायिक उत्पादक समूह' के माध्यम से इसी मॉडल पर अनुबंध खेती कर रही है। इसमें सामुदायिक उत्पादक समूह एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। पंजाब में सरकारी कंपनी 'पंजाब एग्रो फूडग्रेन कॉरपोरेशन (पीएएफसी)' दूसरी बीज कंपनियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते में शामिल है। यह अनुबंध में कीमत तय करने में भूमिका निभाता है।

(3) मध्यस्थ अनुबंध मॉडलः यह तीसरा अनुबंध मॉडल है, जिसमें एक ठेकेदार (एक व्यापारी या प्रसंस्करण निकाय) होता है जो किसी मध्यस्थ संस्था जैसे सहकारी समिति, एनजीओ या अन्य संस्थानों के साथ औपचारिक रूप से अनुबंध में शामिल होता है। दूसरी तरफ किसान मध्यस्थ संस्था के साथ अनुबंध में शामिल होते हैं। यह मॉडल त्रिपक्षीय मॉडल की ही तरह है, हालांकि, इसमें कुछ जिम्मेदारियों और जोखिमों को मध्यस्थ संस्थाओं के ऊपर डाल दिया जाता है, जैसे किसानों का चयन और उनसे फसल की खरीद इत्यादि। उदाहरण के लिए 'हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड' ने रैलिस कंपनी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की खरीद के लिए नियुक्त किया है। इसमें अधिकांश काम जैसे किसानों का चयन, लागत सामग्रियों और एक्सटेंशन सेवाओं को उपलब्ध कराना, फसल की खरीद इत्यादि रैलिस करती है। इस तरह के मॉडल में खरीदार कंपनी का उत्पादन प्रक्रिया में कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे पूरी तरह से मध्यस्थ संस्था देखती है।

(4) केंद्रक जागीर मॉडलः यह एक जटिल मॉडल है जिसमें ठेकेदार न सिर्फ किसानों से उत्पाद प्राप्त करता है बल्कि उत्पादन में शामिल भूसंपत्ति या जागीर की सीधे निगरानी या बंदोबस्त भी करता है। इस मॉडल का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग शोध एवं प्रजनन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे मॉडल में उच्च स्तर की सामग्री और प्रबंधन सुविधाओं का प्रयोग होता है। इसमें खरीदार अपनी खुद की जागीर में तो खेती करता ही है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए वह किसानों के साथ भी अनुबंध खेती में शामिल होता है। यह अनुबंध खेती का एक प्रत्यक्ष और सीधा स्वरूप है जहां प्रायोजक कंपनी लागत सामग्रियां किसानों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सरकारी विकास संस्थाएं, सरकारी, निजी और कॉरपोरेट प्रायोजक कंपनियां हो सकती हैं। इस मॉडल का अधिकांश प्रयोग वृक्षारोपण और ताड़ के बागान इत्यादि में होता है।

(5) अनौपचारिक अनुबंध मॉडलः इसमें व्यक्तिगत उद्यमियों और छोटी कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाता है जो प्रायः एक मौसम के लिए ही होता है। इस मॉडल में फसलों को ज्यादा लागत सामग्रियों या प्रसंस्करण की जरूरत नहीं पड़ती। यह केवल बीज, थोड़ी खाद और थोड़ी बहुत तकनीकी सलाह तक सीमित रहता है। इसका प्रयोग ज्यादातर ताजे फल और सब्जियों में होता है। इसमें कृषि व्यापार कंपनियों का ध्यान केवल गुणवत्ता, छँटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के ऊपर होता है। इसमें कंपनियों का खेती या किसानों के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। ये अनुबंध अल्पकालिक और अनौपचारिक होते हैं।

भारत जैसे बड़े देश में जहां अलग–अलग संस्कृति, जलवायु, मृदा स्थितियां और अनगिनत खेती पद्धतियां मौजूद हैं, यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अनुबंध खेती का कौन सा मॉडल सही है। किसी एक क्षेत्र का मॉडल वहां उपलब्ध संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि मॉडल के चुनाव में किसानों का हित प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए।

अनुबंध खेती के लाभः अध्ययन बताते हैं कि यदि सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो अनुबंध खेती प्रभावी रूप से कृषि उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित कर सकती है। किसानों की आय और कंपनियों की लाभप्रदता बढ़ाने में इसका उल्लेखनीय योगदान हो सकता है। अनुबंध खेती से कृषि में अनिश्चितताओं और जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। अनुबंध खेती के फायदे और किसानों को मिलने वाले लाभ का सीधा संबंध बाजार, पर्यावरण, मृदा स्थिति, राजनीतिक वातावरण के साथ है। यदि इनमें कोई बदलाव आता है तो उसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। अनुबंध खेती से किसानों और प्रायोजकों के लिए निम्नलिखित लाभ हो सकते हैंः

1. किसानों के लिए अनुबंध खेती का प्रमुख लाभ यह है कि किसानों को अपने फसल की खरीद और निश्चित समय पर भुगतान की गारंटी मिलती है, जिसके चलते किसान बिचौलियों और दलालों के चंगुल से बच जाते हैं।

2. भारत में अधिकांश कृषि भूमि लघु एवं सीमांत किसानों के पास है। ब्राजील, अमेरिका आदि देशों की तुलना में जहां विशाल खेत होते हैं, भारत में खेत छोटे–छोटे टुकड़ों में बंटे हुए हैं। इसके अलावा भारत में कोई एकल व्यक्ति अत्यधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में केवल अनुबंध खेती ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कई छोटे किसानों की जमीनों को एकसाथ जोड़कर बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। अतः अनुबंध खेती की मदद से प्रायोजक कंपनी उस भूमि पर फसलोत्पादन कर सकती है, जो अन्यथा उसके पास उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसमें प्रायोजक निजी कंपनियों को एक लाभ यह भी है कि उन्हें अब कृषि भूमि खरीदने की जरूरत ही नहीं है। जबकि जमीनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हें हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अनुबंध खेती प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है। विशेष रूप से उन फसलों के लिए जहां बड़े स्तर पर उत्पादन करने से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है।
3. अनुबंध खेती में प्रायः बीज, खाद, कीटनाशक आदि के रूप में उत्पादन सहायता का प्रावधान होता है। फसल की अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कई खरीदार पानी डालने का अंतराल, खाद डालने, निड़ाई संबंधी सलाह देना, कृषि विशेषज्ञों का दौरा, किसानों का शिक्षण–प्रशिक्षण जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अतः जिन किसानों के पास खेती के दौरान पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है, उनके लिए तो यह वरदान के समान है।
4. अनुबंध खेती से क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास संस्थानिक ऋण की उपलब्धता न के बराबर होती है और जरूरत के समय किसानों को प्रायः स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जो किसानों का शोषण करते हैं। अनुबंध खेती के माध्यम से किसानों के पास उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। अब तो बैंक भी अनुबंध खेती में शामिल हो कर कृषि व्यापार कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को खेती के लिए कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं।
5. अनुबंध खेती से उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग और कृषि का आधुनिकीकरण बढ़ता है। चूंकि खरीदारों को हमेशा उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता चाहिए होती है और यह तभी संभव हो पाता है, जब किसानों के पास उपयुक्त तकनीक और सही जानकारी उपलब्ध हो। इसलिए, अनुबंध खेती में प्रायः नई तकनीकों, मशीनों, उपकरणों और खेती के नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा कीमत होने के कारण व्यक्तिगत स्तर पर किसान इन्हें हासिल कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। जबकि अनुबंध खेती में किसानों को यह सब असानी से उपलब्ध हो जाता है। खेती के बारे में उनके ज्ञान और क्षमता में भी वृद्धि होती है।
6. अनुबंध खेती में शामिल किसानों को नए कौशल जैसे हिसाब–किताब का रिकॉर्ड रखना, खेत के संसाधनों का कुशल उपयोग, रसायन और खाद डालने के उन्नत तरीके, निर्यात बाजार की मांग और उत्पाद गुणवत्ता के महत्व की समझ आदि सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक्सटेंशन सेवा प्रदाताओं से किसानों को नया अनुभव प्राप्त होता है। वे बाजार की आधारिक संरचना और मानव पूंजी में निवेश करना सीखते हैं। अनुबंध खेती से प्राप्त नई तकनीकों और जानकारी का प्रयोग किसान अन्य नकदी और निर्वाही फसलों पर कर सकते हैं।
7. अनुबंध खेती से किसानों को अपने उत्पाद के लिए निश्चित कीमत की गारंटी मिलती है। अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करना किसानों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। बाजार कीमतों के आधार पर उत्पादों के मूल्य में उतार–चढ़ाव होता रहता है, जिसके कारण उपज की बिक्री में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। जबकि अनुबंध खेती में पहले से ही कीमत तय हो जाती है जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है।
8. अनुबंध खेती से किसानों की विश्वसनीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होती है। प्रायः सामान्य किसानों के लिए बाजार के सीमित अवसरों का लाभ उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण इनके लिए अपनी खेती के तरीकों को बदलना या नई फसलों को उगाना आसान नहीं होता है। जबकि अनुबंध खेती किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों को परखने का अवसर प्रदान करती है। इसमें किसानों का नए खरीदारों को ढूंढने और मोलभाव करने की सिरदर्दी नहीं रहती है।
9. चूंकि अधिकतम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कड़ी पकड़ होना जरूरी है। इसलिए, कृषि व्यापार कंपनियां उत्पादन खर्च और लागत सामग्रियां जैसे मजदूर, प्रयुक्त औजार आदि पर कड़ी निगरानी रखते हैं। उत्पादन में एकरूपता हासिल करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया पर कंपनियों का गहरा नियंत्रण होता है। उपभोक्ताओं की बढ़ती वरीयता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों में तुरंत बदलाव लाकर सामंजस्य स्थापित

करना होता है, जो पारंपरिक खेती में संभव नहीं हो पाता है। इसलिए, अनुबंध खेती किसानों को तुरंत नई स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढ़ालने के लिए तैयार करती है।

10. अनुबंध खेती भारत के करोड़ों छोटे किसानों के साथ जुड़ने में अनुबंध प्रायोजकों और कृषि व्यापार कंपनियों को कई प्रकार के लाभ जैसे प्रसंस्करण कंपनियों के लिए बिना रुकावट कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति, बाजार कीमतों में उतार–चढ़ाव से संरक्षण, सुगम दीर्घकालिक योजना बनाना, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का बनना, आपूर्तिकर्ताओं का समर्पित आधार, कंपनी की साख का बनना आदि उपलब्ध कराती है।
11. अनुबंध खेती भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में राजनीतिक स्वीकार्यता भी बढाती है। चूंकि भूमि पट्टा कानून के कारण बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाती है और 'उच्चतम भूमि सीमा अधिनियम कंपनियों को बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदने से रोकता है। ऐसी स्थिति में कृषि व्यापार कंपनियों के पास केवल एक यही रास्ता है कि वे कई किसानों को एक साथ जोड़कर अनुबंध खेती करें ताकि बड़े पैमाने में उत्पादन किया जा सके। इसमें सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी शामिल है। अनुबंध खेती को एक उदारतापूर्ण कार्य के रूप में भी देखा जाता है, जो किसानों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है।
12. अनुबंध खेती उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन और जोखिम का बंटवारा सुनिश्चित करती है। चूंकि खेती एक जोखिमपूर्ण कार्य है जो प्रकृति की अनियमितताओं के अधीन है। ऐसे में अनुबंध खेती किसानों और कंपनियों को उत्पादन में सम्मिलित जोखिम को समझने में सक्षम बनाता है। अनुबंध के अंदर इन जोखिमों को आपस में बांट लिया जाता है। किसान या कंपनी द्वारा समझौते की शर्तों का पालन न करना भी जोखिम है, जो कई बार अनुबंध खेती में दिख जाता है। काम करते–करते कंपनी और किसानों के बीच धीरे–धीरे विश्वास बढ़ता जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन से जुड़े जोखिमों को बांटने की क्षमता भी बढ़ती जाती है।
13. अनुबंध खेती से गुणवत्ता की स्थिरता सुनिश्चित होती है। चूंकि निर्यात या सुपरमार्केट में वितरण के लिए प्रायोजक कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करती हैं। उपभोक्ता भी अब खाद्य जरूरतों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं और वे भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करने लगे हैं। इसलिए अनुबंध खेती में उत्पादन के दौरान गुणवत्ता के ऊपर खास ध्यान रखा जाता है। उत्पादन की गुणवत्ता में स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कंपनियों की कड़ी निगरानी और पूरा नियंत्रण होता है।

इस तरह, जैसे–जैसे अनुबंध खेती लोकप्रिय होती जा रही है, यह कृषि व्यापार कंपनियों का किसानों के साथ सीधे जुड़ने का एक पसंदीदा तरीका भी बनती जा रही है। वैसे–वैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अनुबंध खेती की ओर रुख कर रही हैं ताकि शहरी मध्यमवर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। कृषि खुदरा व्यापार और प्रसंस्करण में लगातार व्यवसायिक निवेश बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करने का आधार बन सकती है और कृषि को लाभकारी उद्यम की ओर अग्रसर कर सकती है। फिलहाल देश में खेती योग्य भूमि का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा ही अनुबंध खेती के अंतर्गत आता है, लेकिन खाद्य एवं कृषि उद्योग में बाज़ार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अनुबंध खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, बिग इंडिया फार्म्स, डाबर इंडिया लिमिटेड, गुडरिक ग्रुप लिमिटेड, रैलिस इंडिया लिमिटेड, टाटा कॉफी लिमिटेड, पैसिफिक हर्ब्स एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड,पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, आनंद एग्रो ग्रुप, बारामती एग्रो लिमिटेड, हिमालय हर्बल हेल्थकेयर, पीवी एग्रो, दौलत फार्म्स ग्रुप, लुईस ड्रेफस कंपनी, सिंजेन्टा इंडिया, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, पायनियर (कॉर्टेवा एग्रीसाइंस), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, सतलुज एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, न्यूडेल, अमूल, एग्रोटेक फूड लिमिटेड, मदर डेयरी, रिलायंस फ्रेश प्रोड्यूसर्स, जैन सिंचाई प्रणाली आदि ब्रांड आज भारत में अनुबंध खेती को एक नए स्तर पर ले गए हैं।

अनुबंध कृषि हेतु विधिक प्रयासः केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में अनुबंध खेती को सुगमता, कार्यशील समानता और वैधता प्रदान करने के लिए 'कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) विनियमन मॉडल अधिनियम, 2003' बनाया, जिसे 'एपीएमसी मॉडल एक्ट, 2003' भी कहा जाता है। यह अधिनियम में कृषि बाजार में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के साथ दलालों और बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है (ताकि वे सीधे कंपनियों को अपना उत्पादन बेच सकें) और कंपनियों के लिए खरीद मूल्य को कम

करना है (ताकि वे सीधे किसानों से उचित कीमत पर कच्चा माल खरीद सकें)। हालांकि, वर्ष 2003 के मॉडल एक्ट से पहले किसानों से सीधे उनके उत्पाद खरीदने की अनुमति नहीं थी और निजी थोक बाजार या मण्डी बनाना भी ज्यादातर राज्यों में संभव नहीं था, जिसके कारण स्थानीय व्यापारी अपना गुट अथवा संघ बना लेते थे और जोड़–तोड़ करके खरीद मूल्य को कम रखते थे जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता और वे हमेशा नुकसान में रहते हैं।

चूंकि देश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में आधारिक संरचना और किसानों के लिए बाजार सुविधाओं की काफी कमी है। किसानों को अपना माल बेचने के लिए निकटवर्ती शहर तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नजदीक बाजार न होने के कारण किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर बिचौलिए उनके उत्पादों को सस्ते दामों में हड़पते रहे हैं। ग्रामीण कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एक नहीं कई मध्यवर्ती संस्थाएं हैं जो आग में घी का काम करती हैं। केवल किसानों को ही उनकी मेहनत का मूल्य नहीं मिल पाता, अन्य सभी मध्यवर्ती संस्थाएं अपना मुनाफा कमा लेती हैं। ग्रामीण आधारिक संरचना न होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाती है और बीच में इतने ज्यादा बिचौलिए घटक हो जाते हैं कि किसानों का हिस्सा लगातार सिकुड़ता जाता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने "एपीएमसी मॉडल एक्ट, 2003" बनाया ताकि सीधी बिक्री और अनुबंध खेती को प्रोत्साहित किया जा सके, जहां किसान अनुबंध खेती के माध्यम से कंपनियों को सीधे अपना माल बेच सकें। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे इसके अनुसार अपने कृषि मण्डी कानून में उपयुक्त बदलाव करें।

इसके बाद पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना समय गंवाए अपने अधिनियमों को संशोधित कर दिया। लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी पुराने कानून चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड ने एपीएमसी अधिनियम, 2003 को पूरी तरह से लागू किया गया है। कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको आंशिक रूप से लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल ने सीधे बिक्री के लिए; मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और चंडीगढ़ ने अनुबंध खेती के लिए; पंजाब, पश्चिम बंगाल, और चंडीगढ़ ने निजी मार्केट मण्डी के लिए या तो अपने पूर्व प्रभावी क़ानून को संशोधित किया है या फिर क़ानून बनाए हैं। केरल, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप में एपीएमसी क़ानून नहीं होने के कारण सुधारों की जरूरत ही नहीं है। बिहार ने 1 सितंबर 2006 को अपने एपीएमसी कानून को निरस्त ही कर दिया है। तमिलनाडु के एपीएमसी अधिनियम में पहले से ही इन सुधारों का प्रावधान है। मेघालय, जम्मू और कश्मीर, पांडिचेरी, और उत्तर प्रदेश में सुधारों की शुरुआत ही नहीं हुई है। इस प्रकार कुछ राज्यों में एपीएमसी अधिनियम ही नहीं है और कुछ राज्यों ने इसे आंशिक रूप से लागू किया है। केन्द्र सरकार ने पाया कि 'एपीएमसी मॉडल एक्ट, 2003' के तहत 20 राज्यों ने अनुबंध खेती के लिए अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन किया है, जबकि पंजाब में अनुबंध खेती पर एक अलग कानून है। हालांकि, अक्टूबर 2016 तक केवल 14 राज्यों ने अनुबंध खेती से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया था। इसके समाधान के लिए अंततः भारत सरकार द्वारा मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018 का मसौदा निर्मित किया गया।

मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018: कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक विनियामक और नीतिगत ढांचा बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बेहतर मूल्य रिटर्न सुनिश्चित करने, फसल पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु किसानों को कृषि–उद्योगों के साथ एकीकृत करने के लिए एक "मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम मसौदा समिति" गठित की, जिसने 23 दिसंबर 2017 को मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम का मसौदा निर्मित किया, जिसका शीर्षक 'राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018' था। इसके बाद 22 मई 2018 को भारत सरकार ने "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018" लागू किया गया। इसमें अनुबंध कृषि को समवर्ती सूची के तहत शामिल किया गया है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। सरकार द्वारा अनुबंध कृषि में संलग्न फर्मों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य फसलों की भंडारण सीमा एवं आवाजाही पर मौजूदा लाइसेंसिंग और प्रतिबंध से छूट दी गई। इसके अनुसार अनुबंध खेती के लिए, कृषि उत्पादन खरीदारों और उत्पादकों के बीच फसल–पूर्व समझौते किए जा सकते हैं। उत्पादक भविष्य में समझौते के

अनुसार खरीदार को एक निश्चित मूल्य पर कृषि उपज बेच सकता है। उत्पादक बाजार मूल्य और मांग में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकता है। खरीदार गुणवत्ता वाले उत्पाद की अनुपलब्धता के जोखिम को कम कर सकता है। उत्पादक समझौते के अनुसार कृषि आगतें के माध्यम से उत्पादन में सुधार के लिए खरीदार से सहायता प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, खरीदार उत्पादक की भूमि पर कोई स्थायी संरचना नहीं बना सकता है। उत्पादक की भूमि के अधिकार या स्वामित्व को खरीदार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

मॉडल एक्ट के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राज्य एपीएमसी के दायरे से बाहर होगी। खरीदारों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए एपीएमसी को मार्केट फीस और कमीशन चार्ज नहीं देना होगा। अनुबंध के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य–स्तरीय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा। प्राधिकरण के कार्यों में (i) सुविधा शुल्क लगाना और इकट्ठा करना, (ii) अनुबंध के विवादों से संबंधित अपीलों का निपटारा करना (iii) कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रचार करना शामिल है। अनुबंधित उपज की बिक्री और खरीद संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एपीएमसी के विनियमन के दायरे से बाहर है।

चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार नियंत्रण आदेशों के माध्यम से स्टॉकहोल्डिंग सीमाएँ लगाई जाती हैं। स्टॉकहोल्डिंग सीमा के ऐसे प्रावधान प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं और खरीदारों को अनुबंध करने से हतोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए, व्यापार के हित में खरीदारों को उनकी आवश्यकता के छह महीने तक स्टॉक सीमा से छूट दी जा सकती है। अनुबंध खेती के तहत खरीदी गई उपज पर कृषि उपज की स्टॉकहोल्डिंग की सीमा लागू नहीं होगी। यह भी कहा गया कि अनुबंध खेती का उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक विपणन चैनल और बेहतर मूल्य प्राप्ति प्रदान करना है, इसलिए, (i) किसानों द्वारा उपज की सीधी बिक्री की अनुमति देना, (ii) फलों और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर करना, (iii) किसान–उपभोक्ता बाजारों की स्थापना, (iv) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, (v) उपज की बिक्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल होना आदि का प्रावधान किया जाना चाहिए। हालांकि, इस अधिनियम के तहत एकमात्र तमिलनाडु राज्य ने अनुबंध खेती कानून लागू किया है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी हुआ है।

अनुबंध खेती अधिनियम, 2020: 24 सितम्बर, 2020 को अधिनियमित अनुबंध खेती अधिनियम (सीएफए), 2020 का आधिकारिक नाम "किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अधिनियम, 2020" है। यह अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है। यह किसानों को कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके उत्पादन के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है। किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन से पहले किया गया लिखित कृषि समझौता, कृषि उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति, गुणवत्ता, ग्रेड, मानकों, मूल्य के लिए नियम और शर्तों को सूचीबद्ध करता है। समझौते की न्यूनतम अवधि एक फसल मौसम या पशुधन का एक उत्पादन चक्र होगी, जबकि अधिकतम अवधि पाँच वर्ष है। कृषि उपज का मूल्य समझौते में उल्लेखित होना चाहिए। मूल्य में परिवर्तन के लिए, उपज के गारंटीकृत मूल्य और गारंटीकृत मूल्य से ऊपर किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए स्पष्ट संदर्भ समझौते में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है। यह सरल और संविदा कृषि अधिनियम का एक उन्नत संस्करण है, जिसे 20 राज्यों द्वारा पहले से ही अपनाया गया है। यह अधिनियम किसानों के पक्ष में संतुलन बनाता है। यह विभिन्न राज्यों में संविदा कृषि के प्रावधानों में पंजीकरण, लाइसेंस, जमा और विभिन्न अन्य अनुपालन की जटिल प्रणाली को हटा देता है।

किसानों और प्रायोजकों अर्थात कृषि व्यवसाय फर्मों के बीच कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (अधिनियम) केवल दो प्रावधानों तक सीमित हैः (i) उत्पादन से पूर्व किसानों और प्रायोजकों के मध्य सहमति से किसानों को सुनिश्चित कीमत भुगतान किए जाना और (ii) यदि वांछित हो, तो पारस्परिक रूप से सहमत निबन्धन और शर्तों पर किसानों को कृषि सेवाएं और आदान प्रदान करना। यह अधिनियम किसानों विशेषकर छोटे किसानों को मंडी और मूल्य जोखिमों से बचाना चाहता है, ताकि वे मंडी और कम कीमत की चिंता किए बिना उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती कर सकें। अधिनियम के अनुसार, किसानों द्वारा वांछित गुणवत्ता की उपज का उत्पादन किया जाएगा, न कि प्रायोजक द्वारा। प्रायोजक की भूमिका पहले से सहमत मूल्य पर उपज खरीदने और इनपुट सेवाओं की आपूर्ति करने तक सीमित है। यह अधिनियम पूर्व प्रचलित संविदा कृषि पद्धतियों की तुलना में सरल है और इसके कई खंड

किसानों के हित में ज्यादा रखे गए हैं। यह कॉर्पोरेट फार्मिंग से बिल्कुल अलग है, जहां उत्पादन कार्यकलाप बिजनेस फर्मों द्वारा किए जाते हैं। अधिनियम में किसानों द्वारा प्रायोजक या फार्म को किसी भी रूप में जमीन लीज पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रायोजक को किसान की जमीन या परिसर पर स्थाई परिवर्तन या स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। इसलिए कॉर्पोरेटों द्वारा किसानों की जमीन हड़पने या करार में छेड़खानी द्वारा बलपूर्वक संपत्ति हड़पने जैसी आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं।

किसानों को शिकायतों के कानूनी निवारण की महंगी और लंबी प्रक्रिया से बचाने के लिए, करार एसडीएम और कलेक्टर या एडीशनल कलेक्टर के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विवाद समाधान के लिए व्यवस्था करता है। किसानों से किसी भी तरह की वसूली के लिए किसान की जमीन के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यदि प्रायोजक किसान को भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस पर बकाया राशि का डेढ़ गुना जुर्माना देने का प्रावधान है। यदि कोई किसान करार से इनकार करता है, तो वसूली प्रायोजक द्वारा किसी भी अग्रिम भुगतान या उसके द्वारा आपूर्ति किए गए इनपुट की लागत से अधिक नहीं होगी। अधिनियम के प्रावधानों जैसे कि कृषि करार का पंजीकरण लागू करने के लिए राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

अनुबंध अधिनियम में किसी भी किसान के लिए इस करार को करना अपेक्षित नहीं है, यह निर्णय पूरी तरह से किसान के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। अधिनियम में किसान की भूमि अथवा परिसर के हस्तांतरण, बिक्री, लीज, मोर्टगेज पर प्रतिबंध हैं। अधिनियम से संबंधित सभी आशंकाएं कार्पोरेट खेती से संबंधित हैं, जोकि पूर्णतः अलग व्यवस्था हैं और भारत के किसी भी राज्य में इसकी अनुमति नहीं है। एफपीएएफएस अधिनियम का झुकाव किसानों की तरफ है। कोई भी पक्ष सहमत अवधि के बाद करार को जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है। यह अधिनियम विविधीकरण, प्रीमियम कीमत पर गुणवत्ता उत्पादन, इच्छुक उपभोक्ताओं को वांछित गुणवत्ता वाले उत्पाद की सीधी बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देता है। यह कृषि क्षेत्र में नई पूंजी और नवीन ज्ञान को लाकर मूल्य श्रृंखला में किसानों की भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यद्यपि अनुबंध कृषि अधिनियम कृषि में निजी क्षेत्रों को अधिक अनुमति और सुगमता प्रदान करता है, यह अधिक व्यापारियों के लिए जगह और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, जिससे फर्म एकाधिकार सीमित होगा। लेकिन अधिक खरीदार होने से बेहतर मूल्य और आय की गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि सौदेबाजी और सौदेबाजी की शक्ति भी मायने रखती है। इसके अलावा, अधिनियम में अनुबंध कृषि संबंधी कई मुद्दे और चिंताएं हैं। यथाः

1. अनुबंध अधिनियम में मूल्य निर्धारण विधि का अभाव है, जैसा कि अधिनियम में कहा गया है कि गारंटीकृत कीमत या अतिरिक्त राशि निर्धारण के तरीकों को अनुबंध समझौते में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें किस पद्धति का पालन किया जाएगा। यदि किसान बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए अधिक प्रायोजकों को अनुमति देना चाहते हैं तो क्या किसानों को शक्तिशाली प्रायोजक से बेहतर मूल्य के लिए बातचीत करने का मौका मिलेगा, इस बारे में अधिनियम अनुत्तरित है।
2. अनुबंध खेती में किसानों को गुणवत्ता के आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पादन करना आवश्यक है, जिसके लिए उच्च उपज वाली फसलोत्पादन एवं आवश्यक गुणवत्ता के लिए हमेशा अधिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो छोटे किसानों के लिए वहनीय नहीं हो सकता है। यद्यपि अनुबंध अधिनियम कृषि सेवाओं को समझौतों में उल्लेख करने की अनुमति देता है, लेकिन यह आश्वासन नहीं देता है कि किसानों को वे सेवाएँ गारंटीकृत प्राप्त होंगी; बल्कि इसके प्रायोजकों की क्षमता और इच्छा पर निर्भर होने की अधिक संभावना है। इसलिए, यदि प्रायोजक उचित इनपुट प्रदान नहीं करते हैं, तो छोटे किसानों के लिए पूंजी गहन अनुबंध खेती प्रथाओं से निपटना मुश्किल होगा। भले ही प्रायोजक उर्वरक या कीटनाशक प्रदान कर दें, लेकिन किसानों को बिजली, सिंचाई और परिवहन सुनिश्चित करना होगा। इससे अनुबंध खेती लघु एवं सीमांत किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
3. अधिनियम में प्राकृतिक आपदाओं या बीमारी के प्रकोप का उल्लेख किया गया है जो अपरिहार्य और उत्पादकों के नियंत्रण से परे हैं, उन्हें कृषि बीमा द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन अधिनियम में उत्पादन हानि को अनदेखा किया गया है, जो मृदा की कम उत्पादकता और खराब प्रबंधन के कारण हो सकती है। अधिनियम में पर्यावरणीय स्थिरता को भी अनदेखा किया गया है, इसमें कीटनाशकों के उपयोग, पर्यावरणीय गिरावट, मृदा

प्रबंधन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जबकि अनुबंध प्रायोजकों पर उत्पादन हानि सहायता का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।

4. एफपीओ का पंजीकरण छोटे किसानों को जोड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन एफपीओ असमान रूप से वितरित हैं, और पंजीकरण लागत अधिक है। जबकि अध्ययन बताते हैं कि प्रायोजक किसानों के प्रति चयनात्मक और पक्षपाती होते हैं, क्योंकि वे अक्सर छोटे और संसाधन रहित किसानों को बाहर कर देते हैं। इसलिए, अनुबंध अधिनियम उन बाधाओं को हल करने में विफल हो सकता है जो छोटे किसानों को बाजार–उन्मुख खेती में शामिल होने से रोकती हैं। अतः अनुबंध अधिनियम होने के बावजूद अनुबंध खेती में छोटे किसानों की भागीदारी असुरक्षित है।
5. अनुबंध अधिनियम में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय धारणीयता संबंधी चिंताओं का अभाव है क्योंकि अनुबंध खेती में प्रायः उच्च मूल्य वाली फसलें, वाणिज्यिक, नकदी, निर्यात फसलें और वस्तुएं शामिल होती हैं, जिनका चयन बाजार की मांग और प्रायोजकों की रुचि से निर्धारित होता है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में अनुबंध खेती में मुख्य रूप से टमाटर, आलू, मिर्च, औषधीय पौधे, बेबी कॉर्न, पपीता, खीरा, धान (मुख्यतः बासमती चावल), मूंगफली, सूरजमुखी, रागी, मेंथा, आम, काजू, गेंदा, प्याज जैसी सब्जी और फलों की फसलें शामिल रही हैं। ऐसी फसलों के चयन से फसल विविधता और कृषि पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इससे खेती की प्रथाएं गैर–खाद्य फसलो, नकदी और निर्यात फसलों की ओर स्थानांतरित हो सकती हैं, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अंततः देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष एवं सुझावः यद्यपि तीन कृषि कानूनों के क्रियांवयन पर भारत सरकार ने रोंक लगा दिया है जिसमें अनुबंध अधिनियम भी शामिल है, लेकिन अनुबंध अधिनियम में उजागर खामियों पर विचार कर अधिक विश्वसनीय, आर्थिक रूप से उपयुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय बनाने के लिए उचित सुधारों पर विचार किया जा सकता है। सरकार, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 2012 में निर्गत "जिम्मेदार अनुबंध कृषि कार्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" पर भी विचार कर सकती है। इन दिशा–निर्देशों में चौदह सिद्धांत शामिल हैं जिनका पालन अनुबंध खेती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इनमें 'सामान्य उद्देश्य', 'कानूनी ढांचे का पालन', 'स्पष्ट दस्तावेजीकरण', 'अनुबंध की पठनीयता', 'उचित ध्यान और समीक्षा', 'प्रकटीकरण', 'मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता', 'गुणवत्ता से संबंधित पारदर्शिता और निष्पक्षता', 'इनपुट आपूर्ति और उपयोग से संबंधित पारदर्शिता और निष्पक्षता', 'जोखिम कटौती में निष्पक्षता', 'खरीदार किसान संबंधों में अनुचित व्यवहार की रोकथाम', 'अनुबंध की शर्तों का सम्मान', 'खुली बातचीत', 'विवादों को निपटाने के लिए स्पष्ट तंत्र' शामिल हैं।

यद्यपि अनुबंध अधिनियम में एफएओ दिशा–निर्देशों में उल्लिखित कुछ सिद्धांत शामिल हैं। लेकिन सरकार अन्य सिद्धांतों पर भी विचार कर सकती है जो अनुबंध अधिनियम को अधिक पारदर्शी और लाभदायक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'कीमत निर्धारण में पारदर्शिता' उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाएगी। 'गुणवत्ता खंड में पारदर्शिता और निष्पक्षता' और 'जोखिम घटाने में निष्पक्षता' खेती को अधिक कुशल बना सकती है, विशेषकर जब प्राकृतिक आपदाओं और उत्पादन हानि की स्थिति आती है। 'इनपुट आपूर्ति और उपयोग से संबंधित खंडों में पारदर्शिता और निष्पक्षता' सीमित संसाधन वाले छोटे किसानों के अनुबंध में शामिल होने, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें पैदा करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यदि सरकार अनुबंध अधिनियम में उपरोक्त सिफारिशें शामिल करती है, तो यह अनुबंध खेती को दोनों पक्षों के लिए लाभ की ओर अग्रसर कर सकती है।

कुल मिलाकर, भारत में अनुबंध खेती कोई नई प्रथा नहीं है; यह दशकों से बिना किसी विशिष्ट कानूनी ढांचे के समर्थन के अस्तित्व में रही है। व्यवस्थित प्रलेखित अनुबंध खेती फसल विविधीकरण, उत्पादन, आय वृद्धि, रोजगार सृजन आदि को बढ़ावा देती है। हालाँकि, अनुबंध खेती की प्रथाओं में व्याप्त खामियों के लिए एक बेहतर कानूनी ढाँचा स्थापित होना आवश्यक है ताकि कृषि क्षेत्र को समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सके। कृषि को कॉर्पोरेट क्षेत्र के बजाय किसानों के हाथों में ही रहना चाहिए। अनुबंध खेती के साथ–साथ, राज्यों को स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, कृषि संगठनों, एफपीओ और संस्थानों के साथ समूह अनुबंधों को प्रोत्साहित करने पर विचार करना चाहिए ताकि अनुबंध संबंधों को मजबूत किया जा सके और उन्हें अधिक टिकाऊ एवं निष्पक्ष बनाया जा सके। छोटे किसानों की भागीदारी

को अनुबंध खेती के अभ्यास में बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हस्ताक्षर करने से पहले, किसानों को मसौदा समझौते की समीक्षा करने और कानूनी सलाह लेने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। कीमत, गुणवत्ता, आपूर्ति और आगतों के उपयोग को निर्धारित करने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए। मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर कीमत को पारदर्शी तरीके से पारस्परिक रूप से सहमत किया जाना चाहिए, जिसमें किसानों को समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान सौदेबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब खुले बाजार की कीमत अनुबंध पर सहमत मूल्य की तुलना में बढ़ जाती है, तो प्रायोजक खुले बाजार की कीमत पर खरीद करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इसे किसानों के लिए अवसर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पंजाब में मार्कफेड के साथ अनुबंध खेती साझेदारी में यह प्रावधान भी शर्तबद्ध है कि यदि खुले बाजार की कीमत बढ़ जाती है, तो प्रायोजकों को उत्पाद वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार खरीदना होगा, लेकिन यदि खुले बाजार में गिरावट आती है, तो प्रायोजक किसानों को अनुबंध मूल्य उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे। यदि किसानों को इनपुट की आवश्यकता है, तो प्रायोजक या सरकार को उन्हें आपूर्ति करनी चाहिए; अन्यथा, संसाधन रहित लघु एवं सीमांत किसानों के लिए अनुबंध समझौते में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस तरह, देश में अनुबंध खेती के लिए सार्थक और गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। जैसा कि प्रमोद कुमार, ए.वी. मंजूनाथ, सुमन के. सौरव ने अपनी पुस्तक "कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड टेनेंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर (2020)" में कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आय और विविधीकरण बढ़ा है, हालांकि उत्पादन की लागत अधिक है और छोटे किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ हुआ है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रथा में एक कानूनी ढांचा होना चाहिए ताकि इसको अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके।

स्रोत एवं संदर्भः

1. बारिक, पी. (2021)। भारत के संविदा कृषि अधिनियम 2020 का एक आलोचनात्मक विश्लेषण, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, 34, 165–174.
2. रे, एन., क्लार्क, जी, एवं वैली, पी. (2021)। किसानों के कल्याण और आजीविका पर अनुबंध खेती का प्रभावः पश्चिम बंगाल का एक गाँव का केस स्टडी, रूरल स्टडीज जर्नल, 86, 127–135.
3. रे, आर. के, कुमारी, एम, सिन्हा, पी, उमराव, ए, एवं नायक, एस (2020)। भारत में अनुबंध खेती की समस्या और संभावनाएँ। फूड एंड साइंटिफिक रिपोर्ट (एफएसआर), 1, 63–68.
4. प्रमोद कुमार, ए.वी. मंजूनाथ, सुमन के. सौरव (2020)। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड टेनेंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर, सेज पब्लिकेशन नई दिल्लीः पहला संस्करण, 2020, पृष्ठ–352।
5. बेहरा, डी. के (2019)। भारत में संविदा कृषि में किसानों की भागीदारीः बिहार का एक अध्ययन, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिव्यू, 20(2), 80–89.
6. विकोल, एम (2019)। आलू, लघु वस्तु उत्पादक और आजीविकाः महाराष्ट्र, भारत में अनुबंध खेती और कृषि परिवर्तन, जर्नल ऑफ एग्रेरियन चेंज, 19(1), 135–161.
7. बेलेमारे, एम. एफ, एवं ब्लोम, जे. आर (2018)। डज कान्टेक्ट फार्मिंग इम्प्रूव वेलफेयरः अ रिव्यू, वर्ल्ड डेवलपमेन्ट, 112, 259–271.
8. पी. टी. जार्ज एवं अफसर जाफरी (2018)। एक विवादास्पद समझौताः अनुबंध खेती और भारत के छोटे किसान, फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ, फोकस इंडिया प्रकाशन, नई दिल्लीः अगस्त, 2018, पृष्ठ–70।
9. कुमार, ए, रॉय, डी, त्रिपाठी, जी, जोशी, पी. के, एवं अधिकारी, आर. पी. (2018)। डज कान्टेक्ट फार्मिंग इम्प्रूव प्रॉफिट एंड फूड सेफ्टी? नेपाल में टमाटर की खेती के प्रमाण, जर्नल ऑफ एग्रीबिजनेस इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़, 8(3), 603–624।
10. मंजूनाथ, ए.वी (2016)। भारत में अनुबंध खेती की वर्तमान स्थिति और संभावनाएँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, वाल्यूम–8, अंक–7, आईएसएसएन, 0975–3710.
11. कुमार, अंजनी; रॉय, देवेश; त्रिपाठी, गौरव; जोशी, प्रमोद कुमार; एवं अधिकारी, राजेंद्र प्रसाद (2016)। नेपाल में छोटे किसानों के मुनाफे और उपज पर अनुबंध खेती का प्रभावः मसूर की खेती से एक प्रमाण, एग्रीकल्चरल एंड एप्लाइड इकॉनमिक्स असोसिएशन की वार्षिक बैठक, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, कांफ्रेंस पेपर, 31 जुलाई–2 अगस्त, 2016।

12. दत्ता अलॉय एट अल. (2016)। आलू के लिए पेप्सिको अनुबंध खेती का एक केस स्टडी, आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, आईएसएसएनः 2278–487X।
13. चक्रवर्ती, मानस. (2015)। भारत में अनुबंध खेती पर एक अनुभवजन्य अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक रिसर्च, वाल्यूम–2, अंक–5।
14. पंडित, ए, लाल, बी, एवं राणा, आर. के. (2015)। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आलू की अनुबंध खेती का आकलन, पोटेटो रिसर्च, 58, 1–14.
15. कौर, प्रीतिंदर (2014)। आलू की अनुबंध खेतीः पेप्सिको पौधे का एक केस स्टडी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, वाल्यूम–4, अंक–6, जून 2014।
16. हरीश, एन. (2014)। भारत में कृषि विकास के लिए अनुबंध खेती, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड इकॉनमिक्स, कर्नाटक (भारत), वाल्यूम–1, अंक–4।
17. मंजूर, हारिस (2014)। भारत में संविदा खेतीः कृषि विकास के लिए एक आर्थिक साझेदारी, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड इकॉनमिक्स, वाल्यूम–1, अंक–3।
18. बैरेट, सी. बी, बाचके, एम. ई, बेलेमारे, एम. एफ, माइकलसन, एच. सी, नारायणन, एस, एवं वॉकर, टी. एफ (2012)। संविदा कृषि में लघु कृषकों की भागीदारीः पाँच देशों से तुलनात्मक साक्ष्य, वर्ल्ड डेवलपमेन्ट, 40(4), 715–730.
19. धीमान, आर. सी, एवं गांधी, जे. एन (2012)। विमको के पॉप्लर कार्यक्रम में क्लोनल विकास और विविधता, एनविस फॉरेस्ट्री बुलेटिन, 12(1), 40–48।
20. शुक्ला, रुचिरा एवं चौधरी, भावेश (2011)। दक्षिण गुजरात में केला किसानों का संविदा खेती के प्रति दृष्टिकोण, इंडियन भारतीय एग्रीकल्चरल रिसर्च जर्नल, वाल्यूम–45।
21. पंडित, ए, पांडे, एन. के, राणा, आर. के, एवं लाल, बी. (2009)। आलू की अनुबंध खेती से लाभ का एक अनुभवजन्य अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स, 64(3).
22. बिरथल, पी. एस, एवं जोशी, पी. के (2009)। अनुबंध खेती में दक्षता और समानताः भारत में डेयरी उद्योग के एक केस स्टडी से साक्ष्य, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, 48(4), 363.
23. कुमार, जे, एवं कुमार, के. पी. (2008)। अनुबंध खेतीः समस्याएँ, संभावनाएँ और आय एवं रोजगार पर इसका प्रभाव। एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, 21(2), 243–250।
24. गुलाटी, ए, जोशी, पी. के, एवं लैंड्स, एम. (2008)। भारत में अनुबंध खेतीः एक परिचय, पालिसी पेपर, नई दिल्लीः राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केंद्र।
25. कुमार, शिव (2007)। हरियाणा में कपास के बीज की संविदा खेती के संचालन और प्रदर्शन का तरीका, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, वाल्यूम–20, पृष्ठ 99–116।
26. ढिल्लों, एस. एस, सिंह, एन एवं ढिल्लों, एस.एस (2006)। पंजाब में ठेका खेतीः समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण, पाकिस्तान इकॉनमिक एंड सोशल रिव्यू, 19–38.
27. त्रिपाठी, आर. एस, सिंह, आर, एवं सिंह, एस. (2005)। आलू उत्पादन में अनुबंध खेतीः जोखिम और अनिश्चितता के प्रबंधन का एक विकल्प, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, 18, 47–60।
28. देशपांडे, सी. एस (2005)। विम्को पॉपलर कार्यक्रमः मूल्यवर्धित कृषि के साधन के रूप में संपर्क खेती, नाबार्ड, डीइएआर ऑकेज़नल पेपर, 42.
29. दिलीप, बी. के, ग्रोवर, आर. के, एवं राय, के. एन. (2002)। टमाटर में अनुबंध खेतीः एक आर्थिक विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स, 57(2), 197–210।
30. एस. सिंह (2000)। भारतीय पंजाब में कृषि विविधीकरण के लिए अनुबंध खेतीः प्रदर्शन और समस्याओं का एक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स, वाल्यूम–55, अंक–6, 283–294।

*****

आलेख उद्धरित करें:	मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। भारत में अनुबंध खेती का एक अवलोकन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 10-22।

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा का अध्ययन

डॉ. अमित कुमार सिंह,

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।

(**Corresponding Author:** amitkumarsingh472@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21316753

सारांश

स्त्री और पुरूष गाड़ी के ऐसे दो पहिए हैं जिनका एक दूसरे के बिना दोनो का जीवन एकाकी है। ये दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देते है। प्राचीन ग्रंन्थो में नारी को नर से ऊँचा स्थान उसकी सृजनकारी शक्ति के कारण दिया गया, परंतु समयान्तराल में नारी को अबला बना दिया गया और जन्म के बाद पिता पर, विवाह पश्चात पति पर और वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रितता के भाव ने उनकी प्रस्थिति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। इसके पीछे कारण जो भी रहे हो। कोई भी विचार शून्य में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह उस समाज की तत्कालीन परिस्थितियों की कोख से ही जन्मता है, जिसके मूल में जड़ हो चुके समाज की परंपरागत रूढ़ियों की दीवार को गिरा कर समयानुकूल परिवर्तन को अपनाना, स्वीकारना और ग्रहण करना होता है। वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष भी समानता की चर्चा पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़कर समता और संविधान के लक्ष्यों को खोजने का ऐसा प्रयास है जो कई वर्षों से महिलाओं पर थोप दी गयी उन रूढ़िगत मान्यताओं से टकराहट है और जहां एक स्त्री को पब्लिक स्फीयर में ले जाने का सार्थक प्रयास है जिसको प्राइवेट स्फीयर में समाज की परंपरागत रूढ़ियों ने बांध कर रखा था।

आलेख सूचना

प्राप्त: 12 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 20 सितम्बर, 2025 **प्रकाशित:** 30 सितम्बर, 2025

सारणी: 03 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 15

मुख्य शब्द: महिला, सशक्तिकरण, लैंगिक भेदभाव, शोषण, प्रभुता, परंपरा, कानून।

परिचय एवं पृष्ठभूमि: "नारी! तुम केवल श्रद्धा हो"

यह एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति महाकवि जयशंकर प्रसाद की कविता "कामायनी" से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने नारी के महत्व और उसकी भूमिका को बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। नारी को केवल श्रद्धा के रूप में देखना, उसके प्रति एक गहरी सम्मान और आदर की भावना को दर्शाता है। यह पंक्ति नारी की महत्ता और उसके जीवन में योगदान को उजागर करती है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। भले ही 20वीं सदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद की उक्त पंक्ति नारी की भूमिका और महत्व को समझने के लिए यह पंक्ति एक सुंदर उदाहरण है। लेकिन सामाजिक परिदृश्य में नारी की दशा प्राचीन काल के पश्चात उत्तरोतर अधोमुखी रही है।

विश्व की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, फिर भी उन्हें लैंगिक भेदभाव के कारण निम्न दर्जा दिया जाता रहा है वे हिंसा, शोषण और भेदभाव की शिकार रहीं है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, उनकी उपेक्षा की जाती है और उन्हें हीन समझा जाता रहा है। यह बात भारत के संदर्भ में भी उतनी ही सही है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की स्थिति को देखें तो दुनिया के लगभग सभी समाजों में यह पुरुषों से पिछड़ी रही है और इनके साथ कई निर्योग्यताएं है और समस्याएं संबंधित रही हैं और भारत में इनकी स्थिति काफी जटिल रही है। रूढ़िगत समाज में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण किया जाता रहा है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी सामाजिक मान्यताओं के नाम पर परंतु महिलाओं का शोषण हर काल में जारी रहा। सिमोन डी बुवा की पुस्तक "द सेकेंड सेक्स" में यह प्रसिद्ध पंक्ति उद्धृत है कि 'औरतें जन्म नहीं लेती बल्कि बना दी जाती है'। यह

उक्ति पितृसत्तात्मक व्यवस्था को रेखांकित करती है और उन विचारों को समाज में प्रसारित करती है, जो पुरुषों की सत्ता को निर्धारित करती है, महिलाओं की इस दोयम दर्जे की स्थिति के कारण ही इतिहास के पन्नों में भी महिलाओं को योगदान तथा कृत्य के पन्ने गायब रहे हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब नारीवादी अपनी कहानी लिखने के लिए एकत्रित हो चुके हैं।

भारतीय समाज में नारी का सम्मान सदियों पुरानी परंपरा रही है, पर वास्तविकता इससे इतर दिखाई पड़ती है। नारी एक तरफ शक्ति के रूप में पूजने की परंपरा रही, वही यह दूसरी ओर वह अबला भी रही। मनुस्मृति के श्लोक ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है उस स्थान में देवताओं का वास होता है, का उद्धरण प्राचीन कालीन महिलाओं के स्वर्णिम काल का द्योतक है जिसमें उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार और स्वयंबर द्वारा स्वयं वर चुनने की परम्परा देखने को मिलती थी, परंतु वैदिक काल के पश्चात रूढ़िवादिता बढ़ने से स्त्रियों के अधिकार, सम्मान और बराबरी का दर्जा धीरे–धीरे कम होता चला गया।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासः भारत का नारीवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में पहला नारीवादी आंदोलन समाज में विद्यमान अंधविश्वासों, रूढ़िगत परंपराओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि को समाप्त करने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, डी॰ के॰ कर्वे, दुर्गाबाई देशमुख, रुकमा बाई आदि समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी। विभिन्न संगठनों एवं कानूनी सुधार के माध्यम से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और स्त्री अधिकार की दिशा में सार्थक प्रयास किए। दूसरा चरण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जुड़ा है इस दौर में महिलाएँ स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर श्रमिक आंदोलन में भी शामिल होने लगी थी। इस चरण में भारतीय महिला संघ (1917) संगठन की स्थापना और शारदा एक्ट (1929) जैसे कानूनी सुधार हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा में कामिनी राय, सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख आदि ने महिला सशक्तिकरण के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। भारत में नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण आजादी के बाद सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। यह मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुँच, संपत्ति में अधिकार तथा लैंगिक भेदभाव की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। वर्तमान दौर की भारतीय नारीवादियों में मेघना पंत, वृंदा करात, मधु किश्वर, गीता सहगल, वंदना शिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रूथ वनिता का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।

औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भारत का पुनर्निर्माण अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तथा समानता के अवसर को लक्ष्य के रूप में रखा गया। साथ ही अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता मूल अधिकारों के द्वारा और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति–निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से इन लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयास भी इस दिशा में प्रयास आरंभ किये गए और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों को परिस्थिति में व्यापक परिवर्तन और सुधार लाना भी था।

भारत में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो संवैधानिक प्रयास के रूप में और दूसरा, कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा किए गये प्रयास के रूप में। स्वतन्त्रता के पश्चात संवैधानिक प्रयास के तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3), 16, 19, 21, 23, 24, 39(घ), 42, 47, 51, 243(घ), 243(न), 325 के साथ ही विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक एक्ट 1976, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और दुरुपयोग रोकथाम) एक्ट 1994, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 जैसे संवैधानिक प्रयास शामिल हैं।

कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा किए गये प्रयास के रूप में स्वधार योजना, उज्जवला योजना, विशाखा गाइडलाइन, महिला शक्ति केंद्र, स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना और महिला उद्यमिता के द्वारा महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार की एक व्यापक योजना है, जिसका कार्यान्वयन 15वें वित्त

आयोग की 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के दौरान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अभिसरण और संस्थागत तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति की दो उप योजनाएँ संबल' और 'सामर्थ्य हैं। संबल योजना के घटक के रूप में– (1) वन स्टॉप सेंटर (2) महिला हेल्पलाइन (3) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (4) नारी अदालतें शामिल हैं, वहीं सामर्थ्य योजना के तहत (1) शक्ति सदन (2) सखी निवास (3) पी.एम.एम.वी.वाई. (4) पालना (क्रेच) (5) एन॰ एच॰ ई॰ डब्ल्यू॰ शामिल है।

वीसवीं सदी के सातवें दशक में भारत में नारीवादी आंदोलनों के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से महिलाओं के मुद्दे सार्वजनिक बहस के केन्द्र बन गए कि संविधान द्वारा समानता के अधिकार मिल जाने से विकास के लाभ भी समान रूप से प्राप्त होंगे, यह पूर्णतः सहीं नहीं है। योजना बनाने की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण भी कभी–कभी कारगर ढंग से लैंगिक मुद्दों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जा सका है। इस पूरी विकास प्रक्रिया में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य का अभाव और नीति–निर्माताओं द्वारा लैंगिक असंवेदनशीलता पर बहस आरंभ हो गई। 1975 के बाद कई महिला संगठन बने जिन्होंने मुख्यतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों पर कार्य शुरू किया और शिक्षा में बदलाव हेतु सरकार पर दबाव डालने का कार्य किया।

भारत में महिला सशक्तिकरण की दशाएं: यह कहा जाता है कि भारत में कानूनों की भरमार हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन, पीड़ित की पहुँच और समय पर न्याय मिल पाना दूर की कौड़ी साबित होता है, क्योंकि समस्या क्रियान्वयन में कमी के साथ ही तन्त्र की कमी भी है जिनके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। लालफ़ीताशाही भी इसके मार्ग में एक रोड़ा दिखाई पड़ता है। समाज की सोच में परिवर्तन एक दिन में नहीं लाया जा सकता है। इसमें समय लगता है। अगर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जनगणना के आँकड़े महिलाओं का जनसंख्यात्मक स्थिति को देखें तो भारत में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति विद्यमान है।

सारणी-1: भारत में लिंगानुपात की स्थिति

वर्ष	लिंगानुपात	दशकीय परिवर्तन
1901	972	-
1911	964	-8
1921	955	-9
1931	950	-5
1941	945	-5
1951	946	1
1961	941	-5
1971	930	-11
1981	934	4
1991	927	-7
2001	933	6
2011	943	10

Source: Census of India 2011

1901 में यह 11 करोड़ 70 लाख थी जो 1981 में 32 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 2001 में 49 करोड़ 50 लाख हो गई और 2011 में महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 58 करोड़ 76 लाख हो गई। परंतु प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसाकि सारणी–1 से स्पष्ट है कि 1901 में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, जबकि 1971 में यह अनुपात कम हुआ और प्रत्येक 1000 पुरुष के पीछे 930 महिलाएं रह गई। 1981 में नाममात्र की बढ़ोत्तरी हुई। यह अनुपात 933 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हो गया। 1991 में इसमें 927 तक गिरावट आई पर 2001 में यह थोड़ा सा बढ़कर पुनः 933 तक पहुँच गया है। ये आंकड़े स्वतंत्रता के 75 वर्षों के पश्चात के भारत में बाल विवाह और बालिका भ्रूण हत्या की तस्वीर खुद ब खुद बयां करते हैं, जबकि 2011 में महिलाओं की औसत आयु (68.1) पुरुषों से (65.8) से अधिक थी।

वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे ये परिवर्तन शहरी क्षेत्र में ज्यादा परिलक्षित होते हैं, वही दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन स्तर और प्रस्थिति में बदलाव तो आया है, पर वह अभी भी परंपरागत बंधनों और रूढ़िगत मान्यताओं को पूर्णरूपेण तोड़ नहीं पाई हैं। इसके प्रमुख कारणों में जागरूकता, संसाधनों पर अधिकार का अभाव, शिक्षा का अभाव रहा है। भारत में साक्षरता पर नजर डाली जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात् हुई जनगणना के आंकड़ों में पुरुषों की साक्षरता दर 1951 से 24.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में

82.14 प्रतिशत तक पहुंच गई, वहीं महिला साक्षरता 1951 में 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई है।

अगर आंकड़ों में वृद्धि वर्ष 1951 से 2011 के सापेक्ष देखा जाए तो जितनी प्रतिशत वृद्धि (57.24 प्रतिशत) पुरुष साक्षरता में हुई है, उससे अधिक प्रतिशत वृद्धि (58.16 प्रतिशत) महिला साक्षरता में हुई है, परंतु इसके बावजूद 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता से प्रतिशत के रूप में 16.68 प्रतिशत से कम है। यह अंतर 1951 की जनगणना में प्रतिशत के रूप में 17.6 प्रतिशत था, अर्थात महिला साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि के मामले में पुरुषों से वर्तमान (2011) में अधिक है। वहीं ग्रामीण और शहरी साक्षरता में भी व्यापक अंतर दिखाई पड़ता है, जहां 2001 में ग्रामीण महिला साक्षरता 46.13 प्रतिशत थी वो 2011 की जनगणना में बढ़कर 57.93 प्रतिशत हो गयी। जबकि शहरी महिला साक्षरता 2001 की जनगणना में 72.86 प्रतिशत थी वह 2011 की जनगणना में बढ़कर 79.11 प्रतिशत हो गयी। हालांकि भारतीय नारी ने आधुनिक युग में धीरे–धीरे खुद को जाना परखा है, अपनी शक्ति और गुणों को पहचाना है और वह अपने अनुसार खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्षशील रही है। यह गर्व का विषय है कि आज भारत की नारी खुद को शिक्षित कर प्रशासनिक सेवाओं, लिपिक, रिसेप्सनिष्ट के रूप में स्त्रियो की संख्या पुरुषों से कम नही है। इससे यह प्रतीत होता है कि महिलाओं की कार्य क्षमता कमतर नहीं है। शान्त, निष्पक्ष, आवेगहीन, भावुक प्रकृति के कारण स्त्रियां आज अति विशिष्ट पदों को धारित कर रही हैं और नव भारत के अभिनव निर्माण में स्त्रियों की भूमिका महती साबित हो रही है। नारीवादी आंदोलनों ने स्त्रियों की स्थिति में व्यापक बदलाव लाया है और इसके कई दूरगामी परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं।

सारणी-2: भारत में स्त्री-पुरुष साक्षरता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1901	5.35	9.83	0.6
1911	5.92	10.56	1.05
1921	7.16	12.21	1.81
1931	9.5	15.59	2.93
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.67	24.95	9.45
1961	24.02	34.4	12.95
1971	29.45	39.5	18.69
1981	36.23	46.9	24.82
1991	42.84	63.9	32.17
2001	64.83	76.0	53.67
2011	74.4	82.14	65.46

Source: Registrar General of India website

शिक्षा एवं निजता के अधिकार, विवाह एवं तलाक के नवीन कानून, बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा पर प्रतिबंध जैसे कानूनों एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से महिलाओं की दशा में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सास–बहू के सम्बन्धों के साथ, पति–पत्नी के संबंध भी अब अधीनस्थता से समानता की ओर बढ़ रहे हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयास भी अपना प्रभाव जमा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं। आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति सकारात्मक मूलभूत बदलाव आये हैं। पितृतंत्र और पितृसत्ता व्यवस्था की दीवारें ढहीं हैं और उनकी चूलें भी हिली हैं जिससे महिलाओं के शोषण के असहनीय तरीकों में बदलाव आये हैं। हालांकि खेल, सेना, राजनीति, धर्म, सेवा, मीडिया और फिल्म आदि हर क्षेत्र में मदर टेरेसा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, अवनी चतुर्वेदी, लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, श्रीमती प्रतिभा पाटील, सुधा चंद्रन, तुलसी गौड़ा, टेसी थॉमस, गीता गोपीनाथ, पी. टी. उषा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, पी. वी. सिंधु जैसी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशाएं: जहां एक ओर यह परिदृश्य बेहद सुनहला है वहीं दूसरी ओर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा, शोषण, यौन हिंसा, बलात्कार, पोर्नोग्राफ़ी की बढ़ती तादात महिलाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। आज भी दहेज प्रथा, स्त्रियों के साथ एक रोग की तरह जुड़ा हुआ है, चाहे वह ग्रामीण समाज का निम्न वर्ग हो या नगरीय समाज का उच्च वर्ग ही क्यों न हो, सभी समाजों में इस प्रथा ने अपनी जड़ें जमा

रखी हैं। ग्रामीण भारत में विधवा विवाह को अभी भी पूर्णतः सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है। गांवों में बालविवाह, पर्दा प्रथा. लड़कियों के जीवन साथी के चयन में माता–पिता की प्रचल भूमिका जैसे तत्व स्त्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज अंतर्जातीय विवाह करने वालों की हत्या तक कर दी जाती है, जिसे आनर किलिंग की संज्ञा दी जाती है। हाल के वर्षों में दिल्ली में और अन्य जगहों पर बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण व हिसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आज भी शहरों या गाँवों में बालिका भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, पोषण में भेदभाव जैसी घटनाएं विद्यमान हैं। उपरोक्त स्थितियाँ आज भी भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति को दर्शाती हैं। यह सर्वविदित है कि सबसे पहले जिस स्त्री ने पुरुष को घर बनाकर रहने को प्रेरित किया आज उसी घर में कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा का शिकार है। नारीवादियों के समक्ष भारतीय समाज की संस्कृतियाँ अलग–अलग प्रकार की होने से चुनौतियाँ भी विविध प्रकार की हैं, क्योंकि महिलाओं के शोषण और पराधीनता की संरचनाएँ और कहानियाँ भी अलग–अलग हैं। नारीवादी आंदोलन के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती महिलाओं के लिए सैकडों वर्षों से बना दी गई रूढ़िगत मान्यताएँ और पूर्वाग्रह हैं। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के प्रवेश की पाबन्दियों की कुत्सित मानसिकता एक लंबे अंतराल का परिणाम है, पर अब आधुनिकीकरण, नगरीकरण के दौर में संचार साधनों तथा यातायात साधनों के विकास ने महिलाओं के विचारों में परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता और समानता के अधिकार से स्त्रियों में चेतना का प्रसार हुआ है। चेतना के प्रसार में शिक्षा की महती भूमिका है वर्तमान में उच्च शिक्षा (18–23 वर्ष) में सकल नामांकन अनुपात (AISHE Report 2020) को देखा जाए तो यह एक सुखद तस्वीर पेश कर रहे हैं। जहां वर्ष 2014–15 में कुल सकल नामांकन अनुपात 23.7 फीसदी था, जिसमें बालक वर्ग में 24.5 प्रतिशत, वहीं बालिका वर्ग में 22.9 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020–21 में कुल सकल नामांकन के रूप में बढ़कर 28.4 फीसदी हो गया जहां बालक वर्ग में यह दर 28.3 फीसदी तक बढ़ी ,वहीं बालिका वर्ग में यह बढ़कर 28.5 फीसदी हो गई है, जो यह दर्शाती है कि पिछले 8 शिक्षण सत्र के आंकड़ों में बालिका वर्ग की सकल नामांकन अनुपात बालक वर्ग के मुकाबले वृद्धि की ओर अग्रसर है।

सारणी-3: भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

शिक्षण सत्र	पुरुष	महिला	कुल
2014-15	24.5	22.9	23.7
2015-16	25.4	23.5	24.5
2016-17	26.0	24.5	25.2
2017-18	26.3	25.4	25.8
2018-19	26.3	26.4	26.3
2019-20	26.9	27.3	27.1
2020-21	26.7	27.9	27.3
2021-22	28.3	28.5	28.4

Source: Various Editions of AISHE Report

यह तस्वीर परिवार की बालिका शिक्षा को लेकर बदल रही मानसिकता को भी प्रस्तुत करती है। बाल विवाह के कम होते आंकड़े, स्त्रियों की आत्मनिर्भर होने तक विवाह न करने की नवीन प्रवृत्ति तथा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा की सर्वसुलभता एवं पहुंच ने भी महिला शिक्षा के नवीन एवं बहुआयामी द्वार खोले हैं। साथ ही साथ रोजगार के मामलों में पुरुषों एवं महिलाओं में मिट रहे भेद एक सुखद भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं। अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक,राजनीतिक और सांस्कृतिक सुधारों के परिणामस्वरूप लैंगिक भेदभाव में हो रही कमी और आधुनिक भारत में महिलाओं को प्राइवेट स्फीयर से पब्लिक स्फीयर में ले जाने का सार्थक प्रयास महिला सशक्तिकरण की सुखद तस्वीर पेश करता है।

निष्कर्ष एवं सुझावः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण महिला और पुरुष के बीच की असमानता को समाप्त कर लिंग निरपेक्षता का एक प्रयास है, या यह अपने अधिकारों को छीनने की लड़ाई है, तो प्रश्न यह उठता है आखिर यह लड़ाई किस समाज से है और क्यों है और इस शोषण की नींव कब और क्यों पड़ी ? क्या इस शोषण का चरित्र सार्वभौमिक और सर्वकालिक था। महिला सशक्तिकरण आंदोलन कहां तक सफल है यह प्रश्न अभी अनुत्तरित है, क्योंकि इस लड़ाई के दो पहलू हैं एक यह लड़ाई उस मानसिकता से है, जो स्त्रियों को पुरुषों से कमजोर मानकर उसे द्वितीय दर्जा दिलाती है तो दूसरी उस मानसिकता से है जहां निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। भले ही वह अब आत्मनिर्भर हो रही है। प्रश्न मनपसंद शिक्षा और जीवनसाथी के चुनाव से ही क्यों न जुड़ा हो। अब इस आधुनिक बुद्धिजीवी समाज में सर्व स्वीकार्य है कि महिलाओं को समता से वंचित करना अलोकतांत्रिक है। हर्ष का विषय यह है कि सरकार भी अब महिलाओं की शिक्षित करने के साथ ही उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान दशा मिश्रित है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी में प्रगति हुई है, लेकिन लैंगिक हिंसा, कार्यस्थल भेदभाव और श्रम बल में कम भागीदारी जैसी गंभीर चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। दिशा मुख्य रूप से शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को समाप्त करने पर केंद्रित है, जिसके लिए मजबूत कानूनी ढाँचे, सामाजिक जागरूकता और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि, आजादी के बाद महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, जो बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थागत प्रसव का परिणाम है। महिलाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए सशक्त करने के सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया है। इन सबके बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जिसमें घरेलू और यौन हिंसा शामिल है, एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। महिला श्रम बल की भागीदारी दर में गिरावट आई है, जो चिंताजनक है। समान काम के लिए समान वेतन न मिलना और कार्यस्थल पर भेदभाव की समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं। कुछ पारंपरिक सोच और सांस्कृतिक बाधाएँ महिलाओं को पूरी तरह सशक्त होने से रोकती हैं।

कुल मिलाकर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। लिंग समानता को बढ़ावा देने, हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता पैदा करने, महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. गुप्ता मोतीलाल (2019)। भारत में समाज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, जनवरी, 2019।
3. सिंह जे॰ पी॰ (2019)। आधुनिक भारत का समाज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली के जनवरी, 2016, अगस्त 2018, अक्टूबर 2018 अंक।
5. परमार शुभ्रा (2015)। नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार, ओरियंट ब्लैक स्वान प्रा॰ लि॰ हैदराबाद।
6. पूनम साहू, वासुदेव साहसी (2013)। महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा. अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिव्यूज़ एंड रिसर्च, 1(2): अक्टूबर–दिसंबर 2013, पृष्ठ 57–59।
7. सिंह गौरव (2013)। महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थाएं, आन्वीक्षिकी, 2013, पृष्ठ–64
8. सिन्हा मनोज (2012)। समकालीन भारत एक परिचय, ओरियंट ब्लैक स्वान प्रा॰ लि॰ हैदराबाद।
9. जोशी गोपा (2011)। भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली।
10. श्रीवास्तव रागिनि (2011)। आधुनिक समाज एवं महिलाएं, इंदौर, 2011, पृष्ठ–21।
11. अंसारी एम.ए (2007)। महिला और मानवाधिकार, जयपुर, 2007, पृष्ठ–224।
12. आचार्य सम्राटश्री देवेन्द्रमुनी (2006)। भारतीय वाङ्मय में नारी, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ–24।
13. सिंह योगेन्द्र (2006)। भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
14. मेहता, बी.के, और दुबे, राकेश कुमार (2004)। शोध संप्रेषण, बिलासपुर, 2004, पृष्ठ–18 और 114।
15. टी. राधाकृष्ण (1997)। मध्यप्रदेश महिला नीति भेपाल, 1997, पृष्ठ–11 और 14।

*****

आलेख उद्धरित करें:	सिंह, डॉ. अमित कुमार (2025)। भारत में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 23-28।

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का एक अध्ययन

मुकेश कुमार[1], पवन कुमार सिंह[2]

1. **असि0 प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।
2. **असि0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग**, सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चंदौली।

(**Corresponding Author:** mukeshkumaralld@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21316837

सारांश

भारत और चीन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हैं, जिनके बीच परस्पर क्रिया और संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। ये दुनियां की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं। उदारीकरण कें बाद दोनों ने तेजी से प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटनाओं में से एक हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार में हुई तेज वृद्धि है। भारत, चीन के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है, जबकि चीन, भारत के शीर्ष तीन व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है। अर्थव्यवस्थाओं के बड़े आकार एवं निर्यातों की संरचना के साथ–साथ उच्च विकास दर और दोनों पक्षों की राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, वैश्विक व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि व्यापार की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसने भारत को किसी भी देश के साथ अब तक के सबसे बड़े एकल व्यापार घाटे में भी धकेल दिया है। हमारी व्यापार घाटे की चिंताएँ दोतरफा हैं। एक तो घाटे का वास्तविक आकार और दूसरायह असंतुलन साल–दर–साल लगातार बढ़ता जा रहा है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2024–25 में चीन को 14.25 अरब डॉलर मूल्य का माल निर्यात किया, जो पिछले वित्त वर्ष (2023–24) के 16.66 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात से 14.4 प्रतिशत कम है। जबकि 2024–25 में, भारत ने 113.45 अरब डॉलर मूल्य का चीनी माल आयात किया, जो पिछले वित्त वर्ष में आयातित 101.73 अरब डॉलर मूल्य के आयात से 11.5 प्रतिशत अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि चीन से भारत के आयात में दो अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चीन को भारतीय निर्यात में कमी आई, जिससे 99.2 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ। इससे कुल द्विपक्षीय व्यापार 138.48 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे चीन दो साल के अंतराल के बाद भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर सकेगा। यह शोध पत्र भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों पर केंद्रित है। जिसमें भारत और चीन के बीच विकसित हो रहे व्यापार संबंधों तथा भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 21 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 12 सितम्बर, 2025 **प्रकाशित:** 30 सितम्बर, 2025

सारणी: 03 **चित्र एवं ग्राफ:** 02 **स्रोत एवं संदर्भ:** 16

मुख्य शब्द: व्यापार घाटा, आर्थिक संबंध, भारत–चीन व्यापार संरचना, द्विपक्षीय संबंध।

प्रस्तावना: आज भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहे हैं। 1 अप्रैल, 1950 को भारत, चीन जनवादी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर–समाजवादी गुट देश बना था। 18 जुलाई, 1994 को भारत और चीन के बीच दोहरे कराधान समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुसार एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भाग लेने में भी रुचि दिखाई है। उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद दोनों देशों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। हालिया महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार है। पिछले छह–सात वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज चीन, भारत के शीर्ष तीन व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जबकि भारत चीन के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया है। अर्थव्यवस्था के आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना, निर्यात और विकास दर को देखते हुए, द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं। 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से, चीन और भारत ने सहयोग और प्रतिस्पर्धा

दोनों से युक्त एक जटिल संबंध को आगे बढ़ाया है। जहाँ एक ओर दोनों एशियाई देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से अपनी विवादित हिमालयी सीमा पर, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया है। हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के प्रति अपने दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, और वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ाते हुए अपनी सीमा को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2024–25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। चीन भारत को औद्योगिक वस्तुओं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। चीनी प्रौद्योगिकी और निवेश की बढ़ती माँग, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में, दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को उजागर करती है। साथ ही, भारत प्रमुख उद्योगों में नए संयुक्त उद्यमों के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण स्थापित करने के लिए चीनी कंपनियों को सक्रिय रूप से आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है।

अध्ययन का उद्देश्यः निर्यात और आयात जैसे आर्थिक संकेतकों की सहायता से भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का अध्ययन और विश्लेषण करना।

शोध विधिः यह शोध मुख्यतः द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आकड़ों को मुख्यतः विभिन्न प्रासंगिक शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, आर्थिक समीक्षा, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के प्रकाशन और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से लिया गया है। भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और वेबसाइटों में प्रकाशित सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

भारत–चीन के मध्य व्यापारः भारत और चीन प्राचीनतम सभ्यताओं में से हैं और इनके बीच संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। नाथूला दर्रा प्रसिद्ध रेशम मार्ग था। बीसवीं सदी के आरंभ में भारत और चीन के बीच कुल सीमा व्यापार का अस्सी प्रतिशत नाथूला दर्रे से होकर होता था। भारत के निरंतर बुनियादी ढाँचे के विकास, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की माँग और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन ने चीनी मशीनरी, कलपुर्जों और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात को बढ़ावा देना जारी रखा है। मूल्य–प्रतिस्पर्धी विनिर्माण में चीन की मजबूती ने इसे इनपुट्स, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बना दिया है। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय निर्यात में नरम भारत से चीन के आयात में गिरावट कच्चे माल, खनिज और रसायन जैसे क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक मांग दबाव को दर्शाती है, जो भारत की पारंपरिक निर्यात शक्तियाँ हैं। भारत में घरेलू नीतिगत बदलावों, जिनमें कुछ क्षेत्रों में बढ़ते संरक्षणवाद भी शामिल है, ने भी आयात के मामले में द्विपक्षीय व्यापार की गति को कम किया है। विश्लेषकों को चीन–भारत आर्थिक संबंधों में ''आंशिक रूप से नरमी'' दिखाई दे रही है, और विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग धीरे–धीरे फिर से शुरू हो रहा है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार अच्छी दर से बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार घाटा अभी भी चीन के पक्ष में झुका हुआ है।

चीन के साथ भारत का व्यापार वित्त वर्ष 2014–15 के 48.45 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 99.21 अरब डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान, चीन को भारत का निर्यात 11.96 अरब डॉलर से बढ़कर 14.25 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन से आयात 60.41 अरब डॉलर से बढ़कर 113.46 अरब डॉलर हो गया, जो एक उल्लेखनीय वृद्धि है जिसने व्यापार असंतुलन को और गहरा कर दिया। यह वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे चीनी सामानों पर निरंतर निर्भरता के साथ–साथ भारत के सीमित निर्यात को भी दर्शाती है। जैसा कि सारणी 1 स्पष्ट है।

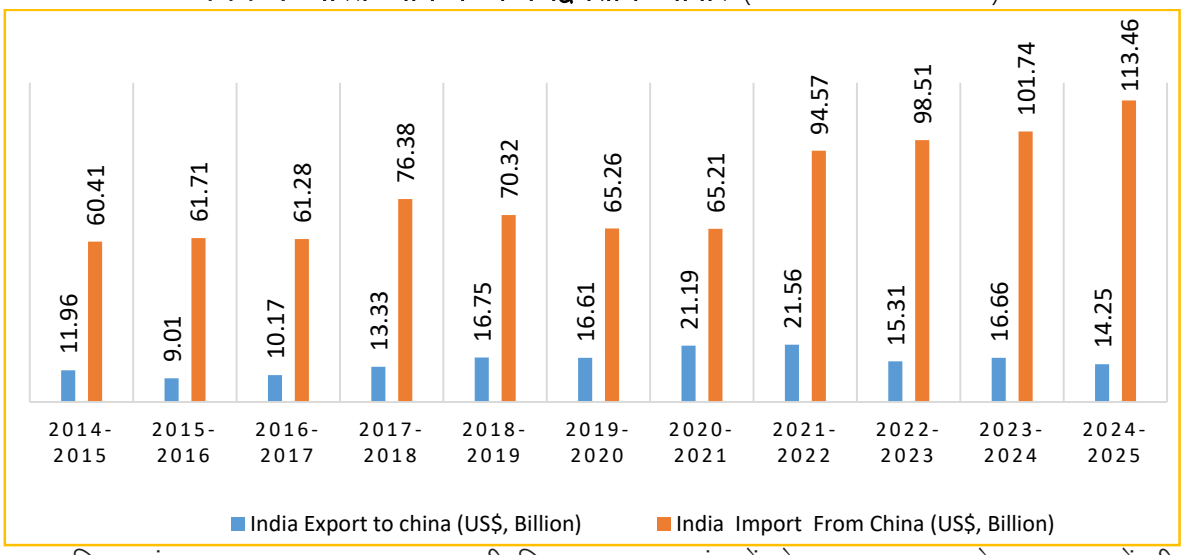
सारणी–1: भारत–चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष (वित्तीय वर्ष)	चीन को भारत का निर्यात	प्रतिशत परिवर्तन	चीन से भारत का आयात	प्रतिशत परिवर्तन	व्यापार घाटा	कुल व्यापार
2014-2015	11.96	-19.57	60.41	18.38	48.45	72.37
2015-2016	9.01	-24.61	61.71	2.14	52.70	70.72
2016-2017	10.17	12.84	61.28	-0.69	51.11	71.45
2017-2018	13.33	31.08	76.38	24.64	63.05	89.71
2018-2019	16.75	25.64	70.32	-7.94	53.57	87.07
2019-2020	16.61	-0.83	65.26	-7.19	48.65	81.87
2020-2021	21.19	27.54	65.21	-0.07	44.02	86.40
2021-2022	21.56	0.34	94.57	45.02	73.01	116.13
2022-2023	15.31	-28.00	98.51	4.16	83.20	113.82

2023-2024	16.66	8.84	101.74	3.28	85.08	118.40
2024-2025	14.25	-14.45	113.45	11.52	99.21	127.71

(**स्रोतः** वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

चित्र–1: भारत–चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)



वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विस्तृत व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2024–25 में चीन को 14.25 अरब डॉलर मूल्य का माल निर्यात किया, जो पिछले वित्त वर्ष (2023–24) के 16.66 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात से 14.4 प्रतिशत कम है। 2024–25 में, भारत ने 113.45 अरब डॉलर मूल्य का चीनी माल आयात किया, जो पिछले वित्त वर्ष में आयातित 101.73 अरब डॉलर मूल्य के आयात से 11.5 प्रतिशत अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि चीन से भारत के आयात में दो अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चीन को भारतीय निर्यात में कमी आई, जिससे 99.2 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ। जैसा कि सारणी–1 से स्पष्ट हो रहा है। 2014–15 में भारत का चीन से आयात 60.41 अरब डालर मूल्य से बढकर 2024–25 में यह 113.73 अरब डालर हो गया, वहीं पर भारत का चीन को निर्यात जो 2014–15 11.96 अरब डालर मूल्य था, जो 2015–16 में गिरकर 9.01 अरब डालर रह गया। यद्यपि 2015–16 से 2021–22 तक भारत के निर्यात में उतरोतर बृद्धि देखने को मिलती है और यह 2021–22 में बढकर 21.56 अरब डालर मूल्य हो गया। 2021–22 के बाद भारत के कुल निर्यातों में लगातार गिरावट र्दज की जा रही है। 2024–2025 में भारत का चीन को कुल निर्यात कम होकर 14.25 अरब डालर मूल्य का रह गया।

भारत से निर्यातः पिछले पॉच वर्षो में चीन को भारत के मुख्य निर्यात में जैविक रसायन, खनिज ईंधन, अयस्क, कपास और तांबा शामिल थे। चीन को भारत के शीर्ष दस निर्यात वस्तुएँ चीन को कुल निर्यात का 73 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसमें सबसे अधिक हिस्सा कपास (HS 52) का है, जो 14.2 प्रतिशत है, इसके बाद अयस्क, स्लैग और राख (HS 26) का 13.1 प्रतिशत और कार्बनिक रसायन (HS 29) का 8.8 प्रतिशत हिस्सा है। चीन से शीर्ष दस उत्पादों के आयात में वृद्धि के विपरीत, 2011–16 के दौरान चीन को भारत के शीर्ष दस वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि दर में भारी गिरावट आई।

चीन से शीर्ष दस उत्पादों के आयात में वृद्धि के विपरीत, पिछले पॉच वर्षो (2020–2024) के दौरान चीन को भारत के शीर्ष दस वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि दर में भारी गिरावट आई, जिन निर्यात योग्य उत्पादों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, उनमें अयस्क, स्लैग और राख में –6 प्रतिशत की गिरावट आयी जो कुल निर्यातों का 85 प्रतिशत है। उसके बाद आर्गेनिक रसायन में–18 प्रतिशत की गिरावट, प्लास्टिक उत्पाद और खनिज ईंधन में –4 प्रतिशत और तैयार पंख या पंख से बनी वस्तुएँ, कृत्रिम फूल, वस्तुएँ के निर्यात में –14 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसी अवधि के दौरान चीन को निर्यात किए जाने वाले शीर्ष दस उत्पादों में परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण उनके पुर्जे के निर्यातों 9 प्रतिशत, मछली और क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी के निर्यात में 7 प्रतिशत की जोकि कुल निर्यातों का 18 प्रतिशत है, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा तेल और उनके विखंडन से तैयार खाद्य वसा के निर्यात में 5 प्रतिशत जो कुल निर्यातों का 18 प्रतिशत है और नमक, गंधक, मिट्टी और पत्थर, पलस्तर सामग्री, चूना और सीमेंट के निर्यातों में 7 प्रतिशत जो कुल निर्यातों का 43 प्रतिशत है के निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि

देखी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हाल के वर्षों में चीन को भारत के निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है। वित्त वर्ष 2024–25 में, चीन को भारत का निर्यात 14.25 अरब डॉलर था, जो 2023–24 में 16.66 अरब डॉलर से कम है। भारत द्वारा चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कार्बनिक रसायन, सूती धागा, तांबा और अयस्क शामिल हैं। हालाँकि, चीन को भारत का निर्यात अभी भी चीन से उसके आयात की तुलना में बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बहुत अधिक है।

सारणी–2: भारत से चीन को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद–2024–25

S.N.	Product label	India's Exports from China (USD Billion)						
		2020	2021	2022	2023	2024	Annual growth in value between 2020-2024, %, p.a.	Share in India's exports, %
1	Ores, slag and ash.	3.49	3.48	1.07	3.42	2.56	-6	85
2	Organic chemicals.	2.41	2.52	1.63	1.22	1.26	-18	6
3	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation.	1.20	1.74	1,98	1,18	1,22	-4	2
4	Nuclear reactors, boilers, machinery.	0.71	1.03	0.99	0.94	1,13	9	3
5	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates.	0.89	1.02	1.26	1.24	1.13	7	18
6	Animal, vegetable or microbial fats and oils.	0.67	0.71	0.65	0.72	0.85	5	43
7	Electrical machinery and equipment and parts thereof.	0.63	0.98	0.63	0.67	0.82	1	2
8	Salt; sulphur; earths and stone	0.63	0.78	0.98	0.90	0.81	7	40
9	Coffee, tea, maté and spices	0.60	0.66	0.46	0.64	0.68	2	13
10	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down;	0.23	0.50	0.38	0.46	0.47	-14	80
11	Total Export from China.	19.00	23.03	15.08	16.23	15.13	……	100

Source: ITC Trade Map Database

भारत का चीन से आयातः आयात के मामले में, चीन से भारत के आयात में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रभुत्व रहा, उसके बाद मशीनरी और परमाणु रिएक्टरों का स्थान रहा। कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, ऑप्टिकल, फोटो, तकनीकी और चिकित्सा उपकरण भी प्रमुखता से आयात किए गए। जैसाकि सारणी–03 से स्पष्ट है।

सारणी–3: चीन से भारत में आयातित मुख्य उत्पाद, 2020 से 2024 तक

S.N.	Product label	India's imports from China (USD Billion)					Annual growth in value between 2020-2024, %, p.a.	Share in India's imports, %
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Electrical machinery and equipment and parts thereof.	17.84	26.39	30.6	29.3	36.2	14	42
2	Nuclear reactors, boilers, machinery	12.37	18.79	21.7	21.9	24.8	18	41
3	Organic chemicals	8.19	11.86	13.5	11.8	11.1	06	43
4	Plastics and articles thereof	2.16	0.41	1.98	2.36	2.72	27	28
5	Optical, photographic, cinematographic,	0.83	1.17	2.20	2.35	2.51	15	21
6	Iron and steel	1.57	2.43	1.89	1.91	2.09	36	15
7	Vehicles other than railway or	1.23	1.62	1.80	1.78	1.99	17	28

	tramway rolling stock,							
8	Articles of iron or steel	1.20	1.72	1.37	1.40	1.84	13	40
9	Aluminium and articles thereof	0.67	0.97	1.37	1.40	1.84	27	24
10	Miscellaneous chemical products	1.24	1.70	1.70	1.51	1.52	02	21
11	Total Imports from China.	58.7	87.5	102.	99.6	108.9	14	100
Source: ITC Trade Map Database								

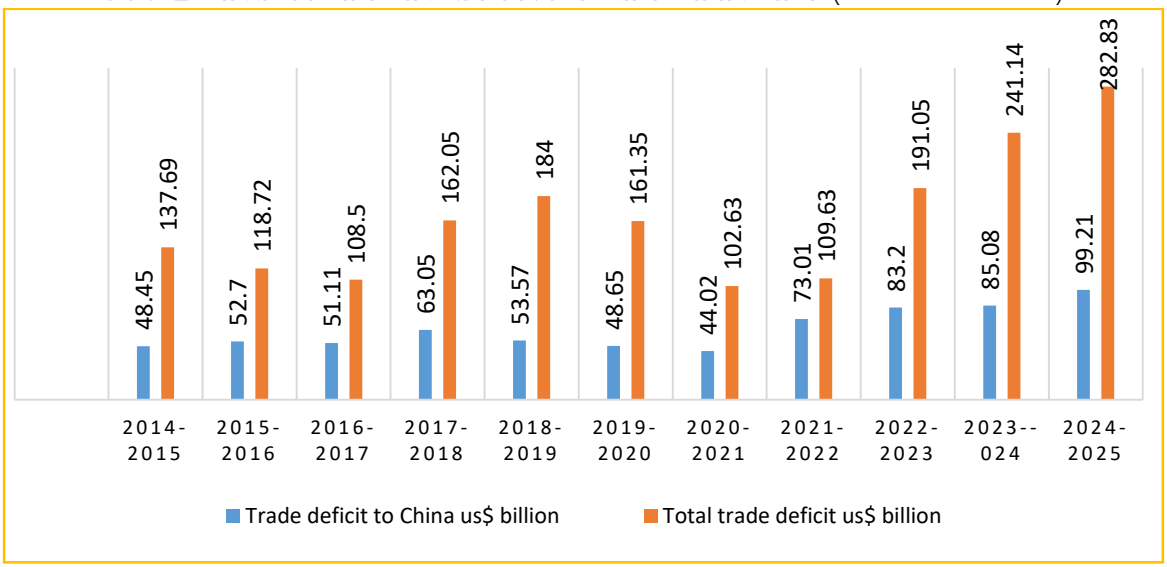
चीन से भारत के शीर्ष दस आयात, चीन से होने वाले कुल आयात का 79 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसमें से अधिकांश हिस्सा विद्युत उपकरणों का है, जो 42 प्रतिशत है। इसके बाद परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणय उनके पुर्जे 18 प्रतिशत, कार्बनिक रसायन में 6 प्रतिशत, प्लास्टिक और उनकी वस्तुओं में 27 प्रतिशत, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, मापन, जाँच, परिशुद्धता, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा में 15 प्रतिशत, लोहा और इस्पात में सर्वाधिक 36 प्रतिशत, रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन एवं उनके पुर्जे और सहायक उपकरण में 17 प्रतिशत, लोहे या इस्पात की वस्तुओं में 13 प्रतिशत, एल्युमीनियम और उनकी वस्तुओं में 27 प्रतिशत और विविध रासायनिक उत्पाद। दिलचस्प बात यह है कि चीन से आयातित शीर्ष दस उत्पादों में 2020–2024 के दौरान 14 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जबकि शेष उत्पादों में इसी अवधि के दौरान–6. 1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

चीन में मंदी और आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी कम नहीं हुई है, और 2020–24 में चीन से भारत का आयात कोविड–पूर्व स्तर से काफी अधिक है। भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 16.6 प्रतिशत जो 2024–25 में गिरकर 15.43 प्रतिशत हो गयी, जबकि संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसकी आयात हिस्सेदारी क्रमशः 2020–21 और 2024–25 में 6.7 प्रतिशत और 7.31 प्रतिशत थी। कुल गैर–तेल माल आयात में चीन का प्रभुत्व है, क्योंकि गैर–तेल आयात के लिए भारत की चीन पर निर्भरता 25 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती।

भारत और चीन के मध्य व्यापार घाटा: भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार अच्छी दर से बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार घाटा अभी भी भरत के पक्ष में झुका हुआ है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और सभी हितधारकों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। भारत ने बार–बार बढ़ते व्यापार घाटे और चीनी बाजार में भारतीय वस्तुओं के सामने आने वाली गैर–व्यापारिक बाधाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है। 2003–04 के 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 99.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष में भारत के कुल व्यापार असंतुलन (283 अरब अमेरिकी डॉलर) में चीन का व्यापार घाटा लगभग 35 फीसदी था। 2023–24 में यह अंतर 85.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। व्यापार घाटे आंकड़ा न सिर्फ बड़ा है, बल्कि स्ट्रक्चरल भी है। थिंक टैंक जीटीआरआई के अनुसार, इसे और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि चीन अब लगभग हर औद्योगिक कैटेगरी में भारत के आयात पर हावी है: फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स तक।

हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएं कच्चे माल, इंटरमिडिएट प्रोडक्ट्स और कैपिटल गुड्स जैसे ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मोबाइल फोन पार्ट्स, मशीनरी और एक्टिव फार्मा सामग्री हैं, इनका उपयोग तैयार उत्पाद बनाने में किया जाता है, जिनका निर्यात भी किया जाता है। बढ़ते व्यापार घाटे का क्या प्रभाव होगा? विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता, सस्ता आयात स्थानीय मैन्युफैक्चरर को नुकसान पहुंचा सकता है. मुद्रा अवमूल्यन के कारण आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है, जिससे महंगाई दर बढ़ सकती है और आयात पर अधिक निर्भरता प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण के प्रोत्साहन को कम करती है, जिससे लॉन्ग टर्म औद्योगिक ग्रोथ धीमा हो जाता है। चीन पर भारी आयात निर्भरता का अर्थ सरकार के दृष्टिकोण से, जब सरकार किसी अमित्र देश से उत्पादों और सेवाओं के आयात पर निर्भर होती है, तो राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ भी गहरी हो जाती हैं। भारत अपने दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) चीन से आयात करता है। जैसा कि सारणी–03 से स्पष्ट हो रहा है। जहॉ निर्यात 2014–15 में 19.15 प्रतिशत बढ़कर 11.96 अरब डॉलर से 2024–25 में 14.25 अरब डॉलर हो गया, वही पर कुल आयात 2014–15 में 87. 82 प्रतिशत बढ़कर 60.41 अरब डॉलर से 2024–25 113.46 अरब डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 104.76 प्रतिशत बढ़कर 2014–15 में 48.45 बिलियन डॉलर से बढकर 2024–25 में 99.21 बिलियन डॉलर हो गया, जो एक उल्लेखनीय वृद्धि है जिसने व्यापार असंतुलन को और बढा दिया। यह वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे चीनी सामानों पर निरंतर निर्भरता के साथ–साथ भारत के सीमित निर्यात को भी दर्शाती है।

चित्र–2: भारत का चीन और शेष विश्व के साथ व्यापार घाटा (बिलियन अमेरिकी डॉलर)



(**स्रोतः** वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

भारतीय बाजार में भी चीनी एपीआई की कीमत भारतीय एपीआई से सस्ती है। इस समस्या की गहराई कोविड–19 महामारी के दौरान तब उजागर हुई जब यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत को चीनी एपीआई का निर्यात अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो गया और परिणामस्वरूप भारत को भी एपीआई के अपने निर्यात में कटौती करनी पड़ी। भारत में उत्पादित लगभग 24 प्रतिशत कोयला ऊर्जा उन संयंत्रों से आ रही है, जो चीन से आयातित महत्वपूर्ण उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, इसे आवश्यक रूप से रणनीतिक निर्भरता नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सुरक्षा चुनौती है। हालाँकि, चीन से ऐसे आयातों को सीमित करने या यहाँ तक कि अवरुद्ध करने की माँग की जा रही है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब होगा कि निजी भारतीय बिजली कंपनियों को अधिक लागत वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन के लिए अनेक कारक जिम्मेदार है। चीन दुनिया के लिए एक विनिर्माण केंद्र बन गया है, जिसका विशाल औद्योगिक आधार उसे भारत की तुलना में कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। इसके कारण चीन भारत को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से लेकर वस्त्रों तक कई प्रकार के उत्पादों का निर्यात करता है।

चीनी वस्तुओं पर भारत की निर्भरताः भारत चीनी वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि वह चीन से बड़ी मात्रा में कच्चा माल और तैयार उत्पाद आयात करता है। इसमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसी वस्तुएँ शामिल हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार में कई गैर–शुल्क बाधाएँ हैं, जिनमें जटिल नियामक आवश्यकताएँ, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन और व्यावसायिक लेन–देन में पारदर्शिता का अभाव शामिल है। ये बाधाएँ भारतीय व्यवसायों के लिए चीनी बाजार तक पहुँचना और चीनी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बना सकती हैं। भारत के अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और रसद सुविधाओं के परिणामस्वरूप निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत बढ़ जाती है, जिससे चीनी बाजार में भारतीय वस्तुएँ कम प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। भारतीय रुपये और चीनी युआन के बीच विनिमय दर भी व्यापार असंतुलन में एक भूमिका निभाती है। भारतीय रुपया चीनी युआन से कमजोर रहा है, जिससे चीनी खरीदारों के लिए भारतीय निर्यात महँगा और भारतीय खरीदारों के लिए चीनी आयात सस्ता हो गया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन बढ़ गया है। अतः भारत को वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देशों से अपने आयात में विविधता लाकर चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी।

भारत, चीन को अपने निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। भारत को इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और रसायन जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन उत्पादों का लाभ मार्जिन अधिक होता है और ये भारत की विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने में मदद करेंगे। भारत को आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपने घरेलू उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता है। सरकार घरेलू कंपनियों को वर्तमान में आयातित वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। इससे न केवल व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भारत को अन्य देशों के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये घरेलू उद्योगों को

नुकसान न पहुँचाएँ। भारत को निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष एंव सुझावः हाल के वर्षो में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। यद्यपि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और सभी हितधारकों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। फिर भी दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध समकालीन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। चीन के साथ निरंतर व्यापार असंतुलन पिछले कुछ समय से भारत के लिए नीतिगत और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन चीन के साथ यह व्यापार असंतुलन रास्ते में बड़ी समस्याएँ पैदा कर सकता है। इसलिए आयात पर भारी निर्भरता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। ''भारत को अनुसंधान एवं विकास के साथ–साथ उन उद्योगों में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की जरूरत है, जहाँ हमारी आयात पर निर्भरता ज्यादा है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, प्लास्टिक और रसायन आदि। हमें नवाचार के लिए अधिक बजटीय आवंटन और प्रोत्साहनों के जरिए स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करके विनिर्माण में मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाना होगा और विनिर्माण के सेवाकरण को भी बढ़ावा देना होगा। इन सभी से उत्पादन लागत और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।'' यद्यपि भारत सरकार ने 2020 में उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण को एक पहल के रूप में प्रोत्साहित किया था। इसमें आगे जोड़ते हुए, सबनवीस ने कहा कि चीन पर भारत की आयात निर्भरता कम हो सकती है, लेकिन यह धीरे–धीरे और अप्रत्यक्ष रूप से होगा।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. आचार्य, अलका. चीन और भारतः वृद्धिशील जुड़ाव की राजनीति, हर आनंद प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008.
2. आचार्य शंकर. भारत में समष्टि आर्थिक नीति और विकास पर निबंध, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2006.
3. अदेल दलजीत सेन. चीन और उसके पड़ोसी, (डीप एंड डीप प्रकाशन, नई दिल्ली), 1984.
4. अहुलवालिया, इशर जज, भारत के आर्थिक सुधार और विकासः मनमोहन सिंह पर निबंध, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1998.
5. अजीज, जहांगीर, स्टीवन विंसेंट डुनावे, और ईश्वर प्रसाद, चीन और भारत एक दूसरे से सीखते हुएः सतत विकास के लिए सुधार और नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., 2006
6. बैचमैन डेविड. चीन में नौकरशाही, अर्थव्यवस्था और नेतृत्वः महान छलांग के संस्थागत मूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 1991।
7. बागची अमिया के. अविकसितता की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1982।
8. बैन, मॉरिस, आधुनिक चीन में राज्य उद्यम प्रणाली का निर्माणः संस्थागत परिवर्तन की गतिशीलता, एमएः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2005।
9. बाजपेयी जी.एस. सिक्किम पर चीन की छायाः धमकी की राजनीति, लांसर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1999।
10. बाजपेयी, कांति और मट्टू, अमिताभ, संपादक, द पीकॉक एंड द ड्रैगनः 21वीं सदी में भारत–चीन संबंध, हर–आनंद प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000।
11. बाजपेयी कांति पी, बोनी एल. कोए. भारत और चीन के बीच विश्वास निर्माण, मिशेल में क्रेपॉन और अमित सेवक, सं., दक्षिण एशिया में संकट निवारण, विश्वास निर्माण और सुलह, (मैकमिलन प्रेस, लंदन, 1995।
12. बाजपेयी कांति पी. क्षेत्र, क्षेत्रीय राजनीति और दक्षिण एशिया की सुरक्षा, मार्विन जी. वेनबाम और चेतन कुमार, सं., दक्षिण एशिया सहस्राब्दी की ओर बढ़ रहा हैः राष्ट्रीय सुरक्षा की पुनर्परीक्षा, वेस्ट व्यू, बोल्डर, 1995।
13. कोहेन स्टीफन फिलिप, चीमा परवेज इकबाल, चारी पीआर, दक्षिण एशिया में धारणा, राजनीति और सुरक्षा, राउट लेज कर्जन, लंदन, 2003।
14. दास नारायण. भारत और चीनः एक साझा भाग्य की खोज, मुनि एसडी, सं., अंडरस्टैंडिंग साउथ एशिया, साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1994।
15. दीपक बीआर. भारत और चीन 1904–2004ः एक सदी शांति और संघर्ष, मानक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.
16. देशपांडे जी.पी., आचार्य अलका. सं., सपनों का पुल पार करनाः भारत–चीन के 50 वर्ष, तुलिका प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000

आलेख उद्धरित करें:	कुमार, मुकेश एवं सिंह, पवन कुमार (2025)। भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का एक अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 29-35।

Bundelkhand Journal of Academic Research

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन

(चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में)

राम लखन[1] डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[2]

1. **शोधार्थी (एमए अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** potteras9125@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21316892

सारांश

फिनटेक का आशय तकनीक और इंटरनेट का उपयोग कर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास एवं जनोपयोगी पहुंच को प्रोत्साहित करने से है। यह तकनीक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और डेटा एनालिटिक्स का अभिनव उपयोग है जिससे बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। इसमें बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में प्रयुक्त तकनीकों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड भुगतान उपकरण, त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, क्राउडफंडिंग, पीयर–टू–पीयर लेंडिंग, रोबो–एडवाइजरी सेवाएँ, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि शामिल हैं। फिनटेक वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में मोबाइल–आधारित भुगतान, डिजिटल क्रेडिट और ब्लॉकचेन आधारित समाधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को सस्ती और सुगम वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। यह नवाचार वित्तीय साक्षरता बढ़ाता है और समावेशी व पोषणीय वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देता है। हालांकि, सूचना गोपनीयता और नियामक ढांचे जैसे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि फिनटेक के लाभों को अधिकतम किया जा सके और समग्र वित्तीय परिदृश्य को अधिक समावेशी बनाया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है कि कैसे फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में मदद कर रही है। अध्ययन का उद्देश्य चित्रकूट में वित्तीय समावेशन पर फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की भूमिका का आकलन करना है। अध्ययन में फिनटेक सेवाओं की पहुँच, सामर्थ्य, उपयोगिता की जाँच और वित्तीय समावेशन में मौजूदा कमियों को पाटने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 30 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 17 सितम्बर, 2025 **प्रकाशित:** 30 सितम्बर, 2025

सारणी: 18 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 25

मुख्य शब्द: फिनटेक, वित्तीय समावेशन, वित्तीय पहुंच, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल साक्षरता।

परिचय एवं पृष्ठभूमि: वित्तीय समावेशन का आशय व्यक्तियों और व्यवसायों को उपयोगी व किफ़ायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने से है ताकि उनकी लेनदेन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा की ज़रूरतें ज़िम्मेदारी और टिकाऊ तरीके से पूरी हो सकें। बहुआयामी प्रगति के बावजूद, वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें वित्तीय संस्थानों की उपस्थिति एक बड़ी बाधा है। विकासशील देशों में हाशिए के समूहों का कल्याण बढ़ाने के लिए इन मुद्दों का समाधान ज़रूरी है। वित्तीय प्रौद्योगिकी समाज के विभिन्न वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिनटेक कंपनियों द्वारा विकसित मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, पारंपरिक बैंकिंग बाधाओं को तोड़कर, कम सेवा वाले समुदायों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाते हैं। फिनटेक समाधानों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की लागत कम होती है, जिससे वे व्यापक आबादी के लिए अधिक किफायती

और सुलभ हो जाती हैं। मोबाइल बैंकिंग, पीयर–टू–पीयर ऋण और ब्लॉकचेन–आधारित समाधानों जैसे अभिनव वित्तीय उत्पादों के माध्यम से, फिनटेक वित्तीय सेवाओं के अनुभव को फिर से परिभाषित करता है। फिनटेक प्लेटफार्मों और उपकरणों के साथ इंटरैक्ट करने से लोगों को वित्तीय निर्णय लेने और अपने रुपए को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के बारे में शिक्षित होने में मदद मिलती है, जिससे उनकी वित्तीय साक्षरता बढ़ती है। वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग लेने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम कर सशक्त बनाती है। फिनटेक नवाचार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटते हैं, जिससे उन लोगों को भी समावेशी वित्तीय सेवाएं मिल पाती हैं, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। भारत में यूपीआई जैसे फिनटेक समाधानों ने भारत में वित्तीय क्रांति ला दी है, जो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण को आसान बनाता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

फिनटेक 'वित्तीय' और 'प्रौद्योगिकी' शब्दों का संयोजन है, जिसे वित्तीय प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। फिनटेक वर्ष 2008–09 के वित्तीय संकट के दौरान उभरा और तब से बाज़ार में नई तकनीकों के आगमन के माध्यम से वित्तीय सेवा क्षेत्र में क्रांति ला दी है। प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग आधुनिक बैंकिंग विकास की नींव रखने वाला प्रमुख स्तंभ है। भारत में पिछले एक दशक में, पहले से वंचित क्षेत्रों और समुदायों में मोबाइल नेटवर्क के तेज़ी से विस्तार ने वित्तीय समावेशन की प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिनटेक क्षेत्र के विकास को आकार देने में उचित नीतिगत पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीतिगत पहलों का लक्ष्य नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना, वित्तीय सेवाओं की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की कई नीतिगत पहलों जैसे भुगतान बैंक (2014), एकाउंट एग्रीगेटर (2016), प्री–पेड इंस्ट्रूमेंट्स (2017), पीयर–टू–पीयर ऋण (2017), इनवॉयस डिस्काउंटिंग (व्यापार प्राप्य एवं छूट प्रणाली टीआरईडीएस, 2018) और डिजिटल उधार दिशानिर्देश (2022, 2023) आदि ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के अतिरिक्त विकल्प प्रदान किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है और ग्रामीण व अर्ध–शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा के लिए खर्च कम हुआ है। उल्लेखनीय है कि एकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से सहमति–आधारित जानकारी साझा करने की संचयी संख्या जुलाई 2023 में 15.65 मिलियन तक पहुंच गई है। बीमा, पूंजी बाजार और पेंशन फंड इकाइयों के एकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल होने से इसे काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत, जो दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक देश है, वह अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है, जिसकी 1.4 अरब से ज़्यादा की आबादी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 6,60,000 गाँवों और 806 ज़िलों में फैली हुई है। भारत सरकार वित्तीय समावेशन पर ज़ोर देकर प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), मुद्रा योजना जैसी रणनीतियों को लागू कर रही है और भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना के तहत ज़मीनी स्तर पर डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मज़बूत बनाती है। इन प्रयासों के बावजूद, एक बड़ा जनसांख्यिकीय समूह बैंकिंग सेवाओं से वंचित है।

साहित्य की समीक्षाः वर्तमान शोध के लिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं, शोध लेखों, पुस्तकों, कार्यपत्रों और प्रासंगिक स्रोतों की समीक्षा की गई है। गरीबी उन्मूलन और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है। तेजी से विकसित वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) ने वित्तीय सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाया है। विश्व बैंक की ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट, 2017 के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन ने पाया कि 144 देशों में फिनटेक और वित्तीय समावेशन के बीच एक मजबूत संबंध है। परिणामों ने दिखाया कि अकेले महिलाओं और पूरी आबादी के बीच फिनटेक व वित्तीय समावेशन का मजबूत संबंध है। ऊंची आय वाले देश अधिक समावेशी थे, लेकिन कम आय वाले देश वित्तीय रूप से अधिक वंचित थे (Babar, 2023)। फिनटेक डिजिटल वित्तीय समावेशन में सहायक है, लेकिन अकेले फिनटेक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में लैंगिक भेद को कम नहीं कर सकता है (Dyna Heng, 2022)।

वित्तीय समावेशन में वित्तीय प्रौद्योगिकी का योगदान डिजिटल भुगतान, मोबाइल मुद्रा और पीयर–टू–पीयर लेंडिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देता है। फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में, विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस और आईएमएफ वित्तीय रिपोर्ट जैसे अध्ययन वित्तीय समावेशन पर फिनटेक के लाभों को बढ़ाने और इसे लागू करने के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करते हैं (Kampani, 2024)। दुनिया में लगभग 1.4 बिलियन लोग लैंगिक असमानता, सामाजिक–आर्थिक स्थिति और भौगोलिक दूरी के कारण बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं। फिनटेक डिजिटल भुगतान, पीयर–टू–पीयर लेंडिंग, ब्लॉकचेन समाधान और मोबाइल बैंकिंग प्रदान करता है। इसलिए, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और एक समावेशी वित्तीय

पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए (A. Adelaja, 2024)। माइक्रोफाइनेंस प्लेटफॉर्म, पीयर–टू–पीयर लेंडिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल बैंकिंग जैसे फिनटेक विकल्प सफलतापूर्वक बिना बैंक वाले और कम बैंक वाले लोगों तक पहुंच गए हैं। यह अध्ययन वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने, लोगों को सशक्त बनाने और आर्थिक क्रांति में फिनटेक के लाभों पर भी चर्चा करता है। हालाँकि, यह डेटा गोपनीयता और नियामक अनुपालन के मुद्दों को भी उठाता है (Dr. Amrik Singh, 2023)।

फिनटेक में लागत को कम करके और वंचितों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत में वित्तीय समावेशन में तेजी लाने की क्षमता है (B. Raj, 2020)। भारत का वित्तीय वातावरण तेजी से बदल रहा है, जिसमें फिनटेक डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण है। फिनटेक बैंकिंग क्षेत्र के बदलाव का एक बड़ा उदाहरण भारत सरकार की केंद्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम डिजिटल इंडिया है। यह शोध पत्र भारत में फिनटेक की भूमिका, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय गेटवे में उसकी भूमिका और फिनटेक के साथ भविष्य में सहयोग पर केंद्रित है। यह भारत में पारंपरिक बैंकिंग तंत्र में बदलाव और फिनटेक के प्रभावों को समझाना चाहता है। पत्र वित्तीय क्षेत्र में फिनटेक की शुरुआत के बाद डिजिटल इंडिया की भूमिका को विश्लेषित करता है (Sanmath, 2018)। भारत, लगभग 1.3 बिलियन लोगों की आबादी और कम बैंकिंग आबादी के कारण फिनटेक के लिए एक तेजी से बढ़ता बाजार है। पिछले पांच वर्षों में हुई तेज वृद्धि ने इस बाजार को एक गेम चेंजर बनाया है। लेख में भारतीय व्यावसायिक वातावरण में वित्तीय प्रौद्योगिकियों के मूल प्रकारों, उनके उद्देश्यों, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई है (P. Krishna Priya, 2019)। पेपर बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचैन और बिग डेटा जैसे वित्तीय प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण प्रभावों पर चर्चा करता है। यह पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन, डिजिटल भुगतान, बीमा और रेगटेक जैसे अनुप्रयोगों की खोज करता है और धोखाधड़ी का पता लगाता है। प्रमुख भारतीय बैंकों और वित्तीय सेवा संस्थाओं के अनुभवों की जांच करता है, फिनटेक के पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों पर प्रभाव पर प्रकाश डालता है। फिनटेक का उपयोग ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल भुगतान, निधि प्रबंधन और स्टॉक ट्रेडिंग में किया जाता है। अध्ययन के अनुसार, फिनटेक ने भुगतान प्रणाली और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है (Rashmi Dabbeeru, 2021)।

पारंपरिक वित्तीय सेवाएं प्रौद्योगिकी में बदल गई हैं, जिससे भारतीय बैंकिंग और सेवा प्रदाताओं ने ग्राहकों की पहुंच और सेवा वितरण को बढ़ाया है। निवेशकों, नियामकों, भुगतान बैंकों, एनबीएफसी, पारंपरिक बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, ब्रोकिंग और धन प्रबंधन कंपनियों, बीमा कंपनियों और शुद्ध–प्ले फिनटेक ऑपरेटरों ने फिनटेक को अप्रयुक्त बाजार क्षेत्रों में वित्तीय उत्पादों को प्रदान करने में वित्तीय प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करने में रुचि दिखाई है (N. Prakash, 2022)। फिनटेक वित्तीय सेवाओं में डिजिटल नवाचारों, बाजारों और संस्थानों का परिवर्तन शामिल है। फिनटेक उद्यमियों के लिए भारत का पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर बदल रहा है, जो नए क्षेत्रों और विदेशी बाजारों की खोज कर रहा है। ई–कॉमर्स और स्मार्टफोन की वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था फिनटेक के अवसरों पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है (Baporikar, 2021)। भारत, अपने अधिकांश बैंक रहित आबादी के कारण वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए एक आकर्षक वैश्विक केंद्र है। लेख में भारतीय व्यावसायिक वातावरण में वित्तीय प्रौद्योगिकी के मुख्य प्रकारों, उनकी क्षमताओं, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई है। यह फिनटेक की ग्राहक अनुकूलन क्षमता का मात्रात्मक मूल्यांकन करता है और तकनीकी, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों का गुणात्मक विश्लेषण करता है (Silky Sharma, 2022)। भारत में लगभग 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं। हालांकि, सरकार कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार कर रही है, जिसका उद्देश्य फिनटेक कंपनियों के लिए स्थिर वातावरण बनाना है। एक अध्ययन ने आरबीआई के आंकड़ों के साथ प्रतिगमन और सहसंबंध का उपयोग करते हुए भारत में वित्तीय समावेशन पर फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया। परिणामों से पता चलता है कि फिनटेक व्यवसायों ने, खासकर मध्यम वर्ग के लिए, वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये निष्कर्ष एक संगठित वित्तीय प्रणाली के लिए काम करने वाले नीति निर्माताओं को मदद करेंगे (M. Asif, 2023)।

विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को प्रदान कर फिनटेक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसे डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का विकास इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण

योगदान दिया है (K, 2023)। फिनटेक उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल रहा है और वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहा है। भारत का बाजार सरकारी समर्थन, समावेशी प्रौद्योगिकी और तकनीकी नवाचार से गति प्राप्त कर रहा है। हालांकि, कम लाभप्रदता, उच्च परिचालन खर्च और उच्च ग्राहक अधिग्रहण खर्चों के कारण विकास धीमा हो सकता है। 2022 में 266.56 बिलियन डॉलर का विश्वव्यापी फिनटेक एए सर्विस बाजार, 2023 से 2030 तक 17.5 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। फिनटेक एए सर्विस कंपनियों ने पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को निर्बाध डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं। व्यापार विकास परस्पर संबंधों और वित्तीय बाजारों की विश्वव्यापी पहुंच से होता है (Garg, 2024)। फिनटेक माइक्रोफाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल वॉलेट और मोबाइल भुगतान जैसे नवाचारों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। ये प्रौद्योगिकियां लेन–देन की लागत को कम करती हैं, पारदर्शिता बढ़ाती हैं और खुदरा विक्रेताओं को अनौपचारिक से औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने की सुविधा देती हैं (D, 2024)।

शोध अंतरालः उपर्युक्त समीक्षाओं के माध्यम से हमने पाया है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों (जहां बैंक पहुंचने में असमर्थ हैं) तक पहुंचकर वित्तीय समावेशन का कारण बन सकती हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी बैंकरों और ग्राहकों दोनों के दृष्टिकोण से वित्तीय लेनदेन के समय और लागत को कम करती हैं। जमीनी स्तर पर आबादी को वित्तीय समावेशन की परिधि में लाने के लिए नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता है। सरकारें और वित्तीय संस्थान सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण पहलों में निवेश कर रहे हैं। हालांकि, वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग, विशेष रूप से बचत या ऋण के लिए अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है। कुछ अध्ययनों ने भारतीय आर्थिक परिदृश्य पर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए फिनटेक के प्रभाव का विश्लेषण किया है और मिश्रित परिणाम पाए हैं।

विभिन्न प्रकार के शोधों का आकलन करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि शोधकर्ताओं द्वारा समीक्षित साहित्य मे राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन शामिल है, परंतु किसी भी राष्ट्रीय अध्ययन मे किसी लघु क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया है, या फिर फिनटेक सेवाओं को आम तौर पर शहरी बाजारों और तकनीक जनित अध्ययनों पर केंद्रित किया गया है। ग्रामीण आबादी, जिनके पास अलग–अलग वित्तीय व्यवहार और साक्षरता स्तर हो सकते हैं, उसका अध्ययन करने और फिनटेक के वित्तीय समावेशन मे सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव और पहुंच को जानने के लिए जमीनी स्तर पर शोध की आवश्यकता है। इसलिए, हमने चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन किया है।

शोध पद्धतिः यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़े प्रश्नावाली के माध्यम से चित्रकूट जिले के उत्तरदाताओं से संकलित किए गए हैं, जबकि द्वितीयक आँकडे मुख्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार की रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट, समाचार पत्रों, शोध लेखों, शोध पत्रिकाओं, ई–पत्रिकाओं, पुस्तकों और पत्रिकाओं से एकत्रित किए गए हैं।

अध्ययन का औचित्यः पूर्व के शोध निष्कर्षों और उद्देश्यों का आकलन करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि ग्रामीण आबादी डिजिटल प्रणालियों के अविश्वास, प्रौद्योगिकी से अपरिचितता या धोखाधड़ी के डर के कारण फिनटेक सेवाओं को अपनाने के लिए प्रतिरोध प्रदर्शित कर सकती है। यह चित्रकूट जैसे महत्वाकांक्षी और अल्पविकसित क्षेत्र में व्यवहार विशिष्ट बाधाओं और उन्हें दूर करने के तरीके पर प्रकाश डाल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता का महत्व अक्सर अनदेखा किया जाता है। वित्तीय समावेशन के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए फिनटेक सेवाओं का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं (जैसे कृषि लेनदेन, छोटे व्यवसाय और सूक्ष्म ऋण प्रणालियाँ) पर फिनटेक के प्रभाव पर बहुत कम स्थानीय अध्ययनों ने ध्यान दिया है। सामाजिक पदानुक्रम और लैंगिक मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। शोध का औचित्य यह समझना है कि फिनटेक कैसे इन असमानताओं को दूर कर सकता है और हाशिए के समूहों को वित्तीय रूप से समावेशित कर सकता है।

अध्ययन के उद्देश्यः 'वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका' के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि फिनटेक आने के पश्चात मानव जीवन पर उनके वित्तीय समावेशन की प्रक्रियाओं मे क्या प्रभाव पड़ा है,

क्या फिनटेक ने उनके जीवन को आसान बनाया या नहीं। क्या फिनटेक ने सुविधा और सुगमता के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्रों मे भी संतुष्टि प्रदान की है अन्यथा नहीं। इस संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय समावेशन में फिनटेक की भूमिका को समझना।
2. वित्तीय लेनदेन और व्यवसाय पर फिनटेक के प्रभाव का आकलन करना।
3. ग्रामीण आबादी मे फिनटेक से जुडी वित्तीय आदतों को समझना।
4. वित्तीय लेनदेन में फिनटेक की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को समझना।

उपर्युक्त उद्देश्यों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या फिनटेक ने नगरों एवं महानगरों की चकाचौंध एवं नए आधुनिक परिवेश में ग्रामीण आबादी को भी वित्तीय समावेशन में उनके वित्तीय व्यवहारों को अधिक सुगम एवं प्रभावशाली बनाया है या नहीं?

अध्ययन का क्षेत्र: प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले पर आधारित है। इस शोध मे चित्रकूट जिले के गाँव व कस्बों की आबादी पर उनके वित्तीय लेनदेन की प्रक्रियाओं मे वित्तीय समावेशन के कारण होने वाले प्रभावों का अवलोकन किया गया है। इसके लिए आंकड़ों को प्रश्नावली द्वारा उत्तरदाताओं से भरवाकर संकलित किया गया है। आंकड़ों के संकलन के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमि के 40 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध का विश्लेषण जिले के 40 उत्तरदाताओं पर आधारित है।

आंकड़ों का विश्लेषण: प्रस्तुत अध्ययन में चित्रकूट जिले 40 उत्तरदाताओं द्वारा प्रदत्त सूचानाओं से वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

सारणी-1: उत्तरदाताओं का आयु वर्ग

आयु वर्ग	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
25 वर्ष से कम	16	40
25 – 35 वर्ष	14	35
35 – 50 वर्ष	10	25
कुल	**40**	**100**

सारणी-2: उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक स्थिति	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
जूनियर स्तर तक	14	35
इंटरमीडिएट स्तर तक	10	25
ग्रेजुएट या अधिक	16	40
कुल	**40**	**100**

सारणी–1 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के आयु वर्ग को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 40 उत्तरदाताओं मे 40 प्रतिशत फिनटेक उपयोगकर्ता 25 वर्ष से कम आयु के हैं, 35 प्रतिशत उपयोगकर्ता 25 से 35 वर्ष के मध्य और 25 प्रतिशत उपयोगकर्ता 35 से 50 वर्ष के बीच हैं। स्पष्ट है कि फिनटेक सेवाओं की लोकप्रियता युवाओं मे काफी अधिक है। सारणी–2 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वालों की शैक्षिक स्थिति को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वे में सम्मिलित 40 उत्तरदाताओं मे 35 प्रतिशत उपयोगकर्ता जूनियर लेवल तक शिक्षित हैं, 25 प्रतिशत उपयोगकर्ता इन्टरमीडिएट तक और 40 प्रतिशत उपयोगकर्ता ग्रेजुएट या उससे अधिक शिक्षित हैं।

सारणी-3: उत्तरदाताओं का आय वर्ग

आय वर्ग	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
1 लाख से कम	29	72.5
1 से 2.5 लाख	05	12.5
2.5 से 5 लाख तक	04	10.0
5 लाख से अधिक	02	5.0
कुल	**40**	**100**

सारणी-4: उत्तरदाताओं की फिनटेक सेवाएं

फिनटेक सेवाएं	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
ऑनलाइन बैंकिंग	08	20
डिजिटल भुगतान	28	70
क्रिप्टोकरन्सी	00	00
पी-टू–पी उधार	04	10
कुल	**40**	**100**

सारणी–3 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के वार्षिक आय को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 40 उत्तरदाताओं मे 72.5 प्रतिशत की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, 12.5 प्रतिशत 1 से 2.5 लाख तक वार्षिक आय के उपयोगकर्ता, 10 प्रतिशत की वार्षिक आय 2.5 से 5 लाख तक और 5 प्रतिशत की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है। इस तरह, कम आय वर्ग में फिनटेक सेवाएं अधिक प्रचलित हैं। सारणी–4 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के फिनटेक सेवाओं के विवरण को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 40 उत्तरदाताओं मे 20 प्रतिशत ऑनलाइन बैंकिंग का, 70 प्रतिशत डिजिटल भुगतान का और 10 प्रतिशत पी–टूदृपी उधार

का उपयोग करते हैं। हालांकि, चयनित उत्तरदाताओं मे कोई भी क्रिप्टोकरंसी गतिविधि के लिए फिनटेक सेवा का उपयोग नहीं करता है। स्पष्ट है कि फिनटेक सेवाओं में डिजिटल भुगतान सर्वाधिक प्रचलित है।

सारणी-5: वित्तीय एप्पस का उपयोग

आवृत्ति	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
दिन मे एक बार	06	15.0
दिन मे एक से अधिक बार	23	57.5
सप्ताह मे कुछ बार	06	15.0
कभीकभार-	05	12.5
कुल	**40**	**100**

सारणी-6: फिनटेक सेवाओं के उपयोग के कारण

विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
सुविधा और सुगमता	**22**	**55.0**
समय और लागत बचत	**08**	**20.0**
अधिक विकल्पों तक पहुच	**07**	**17.5**
सुरक्षा या अन्य	**03**	**7.5**
कुल	**40**	**100**

सारणी–5 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के वित्तीय एप्पस के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 40 उत्तरदाताओं मे 57.5 प्रतिशत दिन मे एक से अधिक बार, 15 प्रतिशत दिन मे एक बार, 15 प्रतिशत सप्ताह मे कुछ बार और 12.5 प्रतिशत कभी–कभार वित्तीय एप्पस का उपयोग करते हैं। इस तरह, फिनटेक सेवाओं के लिए दिन में एक से अधिक बार वित्तीय एप्पस का उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है। सारणी–6 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के फिनटेक सेवाओं के उपयोग का प्राथमिक कारण दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 40 उत्तरदाताओं मे 55 प्रतिशत सुविधा और सुगमता को, 20 प्रतिशत समय और लागत बचत को, 17.5 प्रतिशत अधिक विकल्पों तक पहुच को और 7.5 प्रतिशत सुरक्षा या अन्य को फिनटेक सेवाओं के उपयोग का प्राथमिक कारण मानते हैं। इस तरह, फिनटेक सेवाओं का उपयोग करने वाले अधिकांश उत्तरदाता सुविधा और सुगमता को प्राथमिक कारण मानते हैं।

सारणी-7: फिनटेक सेवाओं के उपयोग के कारण

विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
दैनिक लेनदेन के लिए-	24	60.0
निवेश के लिए	03	07.5
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए	07	17.5
सभी के लिए	06	15.0
कुल	**40**	**100**

सारणी-8: भुगतान एप्पस का उपयोग

एप्पस	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
यूपीआई एप्प	16	40.0
फोन पे	09	22.5
गूगल पे	08	20.0
अन्य	07	17.5
कुल	**40**	**100**

सारणी–7 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के उपयोग के कारण को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 40 उत्तरदाताओं मे 60 प्रतिशत दैनिक लेन–देन के लिए, 17.5 प्रतिशत ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, 15 प्रतिशत सभी के लिए और 7.5 प्रतिशत निवेश के लिए फिनटेक सेवाओं के उपयोग करते हैं। इस तरह, दैनिक लेन–देन के लिए फिनटेक सेवाओं का उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है। सारणी–8 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के भुगतान एप्पस के उपयोग को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि शोध में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 40 प्रतिशत यूपीआई एप्प, 22.5 प्रतिशत फोन पे, 20 प्रतिशत गूगल पे और 17. 5 प्रतिशत अन्य भुगतान एप्पस फिनटेक सेवाओं के उपयोग करते हैं। इस तरह, फिनटेक सेवाओं के लिए यूपीआई एप्प का उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी-9: फिनटेक सेवाओं के प्रभाव

प्रभाव	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
बहुत अधिक	08	20.0
पर्याप्त	17	42.5
कुछ हद तक	10	25.0
कह नहीं सकते	05	12.5
कुल	**40**	**100**

सारणी-10: प्राथमिकता या उपयोगिता का स्तर

उपयोगिता	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
अति महत्वपूर्ण	06	15.0
महत्वपूर्ण	16	40.0
मध्यम	13	32.5
कम महत्वपूर्ण	05	12.5
कुल	**40**	**100**

सारणी–9 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के फिनटेक के कारण वित्तीय लेनदेन और व्यवसाय में सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 42.5 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके दैनिक वित्तीय लेनदेन या फिर व्यवसाय मे फिनटेक की वजह से पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पड़ा

है। 25 प्रतिशत मानते हैं कि फिनटेक की वजह से कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जबकि 20 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनको फिनटेक सेवा ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, लेकिन 12.5 प्रतिशत उत्तरदाता फिनटेक सेवा के प्रभाव के बारे में अनिश्चित हैं। इस तरह, फिनटेक सेवाओं के दैनिक वित्तीय लेनदेन या व्यवसाय मे सकारात्मक प्रभाव स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी–10 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के फिनटेक के लिए प्राथमिकता के स्तर को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 40 प्रतिशत फिनटेक सेवाओं को महत्वपूर्ण, 32.5 प्रतिशत मध्यम, 15 प्रतिशत अति महत्वपूर्ण और 12.5 प्रतिशत कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरह, फिनटेक सेवाओं को वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी-11: माइक्रो फाइनेंस को प्रोत्साहन			**सारणी-12: वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन**		
विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत	विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
हाँ, दिया है।	34	85	हाँ, दिया है।	36	90
नहीं दिया है।	06	15	नहीं दिया है।	04	10
कुल	**40**	**100**	**कुल**	**40**	**100**

सारणी–11 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के फिनटेक सेवाओं द्वारा माइक्रो फाइनेंस के प्रोत्साहन स्तर को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 85 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक सेवाओं की वजह से माइक्रो फाइनेंस को प्रोत्साहन मिला है, जबकि 15 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक सेवाओं ने माइक्रो फाइनेंस को प्रोत्साहन नहीं दिया है। इस तरह, फिनटेक सेवाओं की वजह से माइक्रो फाइनेंस का प्रोत्साहन स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी–12 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं के फिनटेक सेवाओं द्वारा वित्तीय समावेशन के प्रोत्साहन स्तर को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 90 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक सेवाओं की वजह से वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिला है, जबकि 10 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक सेवाओं ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन नहीं दिया है। इस तरह, फिनटेक सेवाओं की वजह से वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहन स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी-13: फिनटेक से लागत में कमी			**सारणी-14: वित्तीय समावेशन में भूमिका**		
विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत	विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
हाँ कमी हुई है।	35	87.5	हाँ	33	82.5
नहीं हुई है।	05	12.5	नहीं	07	17.5
कुल	**40**	**100**	**कुल**	**40**	**100**

सारणी–13 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उपभोक्ता के समय और बैंकिंग लागत मे कमी को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 87.5 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक सेवाओं की वजह से उपभोक्ता के समय और बैंकिंग लागत मे कमी आई है, जबकि 12.5 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक सेवाओं से उपभोक्ता के समय और बैंकिंग लागत मे कमी नहीं आई है। इस तरह, फिनटेक सेवाओं की वजह से उपभोक्ता के समय और बैंकिंग लागत मे कमी स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी–14 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं की राय को वित्तीय समावेशन में फिनटेक सेवाओं की भूमिका के रूप में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 82.5 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक सेवाओं ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जबकि 17.5 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक सेवाओं की वित्तीय समावेशन में भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह, फिनटेक सेवाओं की वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी-15: फिनटेक सेवाओं से सुरक्षा			**सारणी-16: फिनटेक सेवाओं से नुकसान**		
विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत	विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
सुरक्षित है।	32	80	वित्तीय नुकसान नहीं।	36	90
असुरक्षित है।	08	20	वित्तीय नुकसान हुआ है।	04	10
कुल	**40**	**100**	**कुल**	**40**	**100**

सारणी–15 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं की राय को फिनटेक सेवाओं की सुरक्षा के रूप में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 80 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक सेवा सुरक्षित है, जबकि 20 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक सेवाओं या तो असुरक्षित या फिर फिनटेक सेवाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी कह पाने मे असमर्थ हैं। इस तरह, फिनटेक सेवाओं को सुरक्षित स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी–16 में फिनटेक सेवाएं उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं की राय को फिनटेक सेवाओं से वित्तीय नुकसान की स्थिति को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 90 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक सेवाओं से उन्हें किसी प्रकार का वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है, जबकि 20 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक सेवाओं से उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ है। इस तरह, फिनटेक सेवाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित या लाभदायक स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी-17: फिनटेक कंपनियों पर विश्वास

विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
हाँ, भरोसा है।	29	72.5
भरोसा नहीं है।	11	27.5
कुल	**40**	**100**

सारणी-18: फिनटेक से वित्तीय सेवाओं की सुलभता

विकल्प	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
हाँ, सुलभ बनाया है।	34	85
सुलभ नहीं बनाया है।	06	15
कुल	**40**	**100**

सारणी–17 में उत्तरदाताओं के गोपनीयता को लेकर फिनटेक सेवाओं के उपयोगकर्ता का फिनटेक कंपनियों पर भरोसे को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 72.5 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक सेवाओं की प्रदाता कंपनियों की गोपनीयता नीति पर उन्हें पूर्ण विश्वास है, जबकि 27.5 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक सेवाओं की प्रदाता कंपनियों की गोपनीयता नीति पर उन्हें विश्वास नहीं है। इस तरह, फिनटेक सेवाओं की प्रदाता कंपनियों की गोपनीयता नीति पर विश्वास करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी–18 में उत्तरदाताओं द्वारा फिनटेक का वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाने को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल 40 उत्तरदाताओं मे 85 प्रतिशत का मानना है कि फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं को पहले से अधिक सुलभ एवं प्रभावी बना दिया है, जबकि 15 प्रतिशत का कहना है कि फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं को पहले की तुलना में बहुत अधिक सुलभ एवं प्रभावी नहीं बनाया है। इस तरह, फिनटेक सेवाओं की सुलभता को स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है। अतः इससे इस बात का भी पता चलता है कि फिनटेक कंपनियां अपनी सुरक्षा सेवाओं को लेकर प्रभावी कदम उठा रही हैं।

परिणाम एवं परिचर्चा: चूंकि प्रस्तुत शोध ग्रामीण परिवेश में वित्तीय समावेशन बढाने में फिनटेक की भूमिका पर केंद्रित है, इसलिए प्रश्नावाली के माध्यम से संकलित आंकड़ों के विश्लेषण को सरल तालिकाओं की मदद से प्रस्तुत किया गया है, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से विश्लेषण को देखकर शोध के लक्ष्यों एवं महत्व को जान पाए एवं वित्तीय समावेशन मे फिनटेक की भूमिका के प्रभावों का अनुमान लगा सके। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि फिनटेक ने वित्तीय समावेशन मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परंतु फिनटेक कंपनियों द्वारा प्रदत्त सुविधा और सेवाओं ने कितनी प्रभावी भूमिका निभाई, इस पर उत्तरदाताओं के अलग अलग विचार हैं। हर उपयोगकर्ता के पास प्रश्न के अपने अपने जवाब थे। हालांकि, उत्तरदाताओं के उत्तरों को देखकर यह समझ आता है कि बहुत सी सूचनाओं का या तो उत्तरदाताओं को ज्ञान नहीं है या उसके बारे मे उन्हे अधूरा ज्ञान प्राप्त है जिस वजह से उन्हे असुविधा का सामना करना पड़ता है।

विश्लेषण से पता चलता है कि फिनटेक का वित्तीय समावेशन में व्यापक प्रभाव है। यह तकनीक वित्तीय सेवाओं को उन लोगों तक पहुँचाने में मदद करती है, जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे हैं। फिनटेक ने डिजिटल भुगतान को सरल और सुलभ बनाया है, जिससे लोग कैशलेस लेनदेन को अपना रहे हैं। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच को बढ़ाया है। फिनटेक कंपनियाँ उन लोगों को ऋण देने में सक्षम हुई हैं, जिन्हें पारंपरिक बैंक ऋण देने से हिचकिचाते हैं। फिनटेक से ग्रामीणों की ऋण और क्रेडिट तक पहुँच बढ़ी है, जिससे छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत ऋण प्राप्तकर्ताओं को सहायता मिलती है। फिनटेक प्लेटफॉर्म छोटे निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा करते हैं। ये प्लेटफॉर्म लोगों को अपनी बचत और निवेश को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर रहे हैं। फिनटेक एप्लिकेशन वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। विभिन्न मोबाइल ऐप्स उपयोगकर्ताओं को बजट बनाने, खर्च प्रबंधन और वित्तीय योजनाएँ बनाने में सहायता करते हैं। फिनटेक सेवाओं की

प्रदाता कंपनियों की गोपनीयता नीति पर विश्वास करने वाले उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है अर्थात अधिकांश उपयोगकर्ता फिनटेक कंपनियों के सुरक्षा मानकों से संतुष्ट हैं।

विश्लेषण से पता चलता है कि फिनटेक ने वित्तीय समावेशन को तेज़ किया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। यद्यपि फिनटेक सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण लोग सेवाओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन वित्तीय लेन–देन में साइबर अपराधों की संभावना बढ़ गई है। हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसी समस्याएँ उपयोगकर्ताओं को फिनटेक सेवाओं पर पूर्ण विश्वास करने से रोक सकती हैं। चूंकि फिनटेक कंपनियों को विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाती है और सुगम शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध नहीं कराती हैं। इसलिए, कुछ मामलों में पारंपरिक बैंकिंग नियमों के अनुरूप न होने के कारण इन सेवाओं का विस्तार बाधित हो जाता है। फिनटेक आधारित कंपनियां उन लोगों को वित्तीय सहायता और सेवाएँ देती हैं, जिनका बैंकिंग इतिहास होता है। इस कारण से फिनटेक की सार्वभौमिक पहुंच सीमित है। हालांकि, सीमित बैंकिंग इतिहास वाले लोगों तक फिनटेक सुगमता से पहुंच रहा है, जबकि पारंपरिक क्रेडिट स्कोरिंग तंत्र की अनुपस्थिति के कारण बैंकों और निवेशकों को जोखिम महसूस होता है। कुछ उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं पर भरोसा नहीं करते, विशेष रूप से जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से अधिक परिचित हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेशन अधिक सुलभ और विस्तारित हुआ है। हालांकि, वित्तीय तकनीकों में सुधार, साइबर सुरक्षा उपायों का सशक्तीकरण, डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने आदि से ऐसी बाधाओं को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष एवं सुझावः वित्तीय समावेशन का आशय सार्वभौमिक पहुंच के साथ व्यक्तियों और व्यवसायों को उचित, सुलभ, सुगम, प्रभावी आदि वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने से है, ताकि वे अपनी वित्तीय और आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। इस दिशा में फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, माइक्रो–क्रेडिट, और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों ने वित्तीय सेवाओं को उन लोगों तक पहुँचाने में मदद की है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित थे। फिनटेक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक बदलाव किए हैं, लेकिन यह क्षेत्र कुछ चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। इन चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

फिनटेक ने डिजिटल भुगतान की पहुँच को विस्तारित कर यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और ई–बैंकिंग जैसी सेवाओं ने वित्तीय लेनदेन को सुगम बना दिया है। अब लोग दूरस्थ क्षेत्रों में भी कैशलेस लेन–देन कर रहे हैं। फिनटेक कंपनियाँ ऑल्टरनेटिव डेटा का उपयोग करके उन लोगों को क्रेडिट दे रही हैं, जो पारंपरिक बैंकों से सेवा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। क्रेडिट सेवाओं की पहुँच विस्तारित होने से छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ने में मदद मिली है। फिनटेक आधारित बचत और निवेश प्लेटफॉर्म लोगों को छोटे स्तर पर निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, ऐप्स आदि के माध्यम से लोग स्वचालित रूप से छोटी बचत और निवेश कर रहे हैं। वे अपने आवश्यक क्रय विक्रय फिनटेक के माध्यम से निस्तारित कर रहे हैं। फिनटेक ने सूक्ष्म वित्तीयन और माइक्रोइंश्योरेंस को कम आय वाले लोगों और समाज के सीमान्त समूहों तक पहुंचाया है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, फिनटेक कंपनियाँ सरल, तीव्र और सस्ती वित्तीय योजनाएँ पेश कर रही हैं, जिससे वित्तीय सेवाओं का विस्तार बढ़ा है। फिनटेक प्लेटफॉर्म वित्तीय जागरूकता और साक्षरता को बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन टूल्स लोगों को बजट बनाने, खर्च प्रबंधन, क्रेडिट स्कोर सुधारने आदि में सहायता कर वित्तीय साक्षरता बढ़ा रहे हैं।

हालांकि, डिजिटल सेवाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन कई लोगों को इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुँच नहीं है। समाधान के रूप में, सरकारें और निजी कंपनियाँ मिलकर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला सकती हैं। और कम लागत वाले इंटरनेट और डिवाइस उपलब्ध करा सकती हैं। फिनटेक सेवाओं के बढ़ने के साथ ही साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी और वित्तीय फ्रॉड से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। दो–स्तरीय सत्यापन, एन्क्रिप्शन, और उपयोगकर्ता जागरूकता कार्यक्रमों से सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। फिनटेक कंपनियों को विभिन्न सरकारी और वित्तीय नियामक संस्थाओं के नियमों का पालन करना होता है। यदि ये नियम अत्यधिक जटिल हों, तो नवाचार की गति धीमी हो सकती है। सरकार को फिनटेक के लिए संतुलित नीतियाँ बनानी चाहिए, जो नवाचार को बढ़ावा दें और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फिनटेक प्लेटफॉर्म बिना पारंपरिक क्रेडिट

स्कोरिंग सिस्टम के क्रेडिट देते हैं, जिससे बैंकों और निवेशकों को जोखिम होता है। इसके समाधान के रूप में, उन्नत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के माध्यम से क्रेडिट योग्यता का बेहतर आकलन किया जा सकता है। कुछ उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान सेवाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं को वित्तीय रूप से शिक्षित करना आवश्यक है। वित्तीय जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक सेवाओं के फायदे समझाए जा सकते हैं।

इस तरह, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने और स्मार्टफोन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा उपायों को सख्त बनाने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक और उन्नत साइबर सुरक्षा तंत्र लागू किए जा सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता सुरक्षित रहे। सरकार और फिनटेक कंपनियों को मिलकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और अनुकूल नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। फिनटेक ने वित्तीय समावेशन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। डिजिटल भुगतान, ऋण सेवाएँ, बचत और निवेश के अवसरों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को वित्तीय सुगमता प्रदान की है। हालाँकि, इस क्षेत्र में चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिनका समाधान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा को बढ़ाना, वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और नियामक नीतियों को सुधार कर किया जा सकता है। यदि सही रणनीतियाँ अपनाई जाएँ, तो फिनटेक भविष्य में एक अधिक समावेशी और सशक्त वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकता है।

कुल मिलाकर, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में फिनटेक कंपनियों का विस्तार बढ़ रहा है। फिनटेक स्टार्टअप न केवल नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि कई बैंक व वित्तीय संस्थान भी नई तकनीकों की खोज और डिजिटल सेवा वितरण चैनलों में बड़े निवेश कर रहे हैं। अध्ययन ने भारत की बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में फिनटेक क्रांति की क्षमता पर प्रकाश डाला है। वित्तीय प्रौद्योगिकी के विकास ने दिखाया है कि वे सामर्थ्य में सुधार कर सकते हैं, सुलभता की खाई को पाट सकते हैं और वंचित लोगों को अधिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। फिर भी, निरंतर तकनीकी अनुकूलन की आवश्यकता और कठिन नियामक मुद्दों जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं। फिनटेक की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारों, बैंकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

स्रोत एवं संदर्भः

1. ए. अडेलजा, एस. सी. (2024)। फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ानाः बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाले लोगों के लिए समाधान, वर्ल्ड जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड रिव्यूज़, https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.2.2379.
2. गर्ग, एन. (2024)। भारत में फिनटेक का गहन विश्लेषणः विकास, अवसर और चुनौतियाँ, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.28876.
3. कम्पानी, आर. (2024)। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में फिनटेक की भूमिका, आईओएसआर जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। https://doi.org/10.9790/5933-1506014749.
4. शक्तिकांत दास (2023)। फिनटेक और बदलते वित्तीय परिदृश्य, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, सितम्बर, 2023, पृष्ठ 1–6। https://www.rbi.org.in/hindi/1Upload/Speeches
5. डॉ. अमरीक सिंह, डी. एल. (2023)। फिनटेक और वित्तीय समावेशनः वित्तीय सेवाओं तक वंचित लोगों की पहुँच में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और होटल प्रबंधन पत्रिका, https://doi.org/10.22271/27069583.2023.v5.i2a.71।
6. एम. आसिफ, एम. एन. (2023)। भारत में वित्तीय समावेशन पर फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रभाव, जर्नल ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। https://doi.org/10.3390/jrfm16020122.
7. के, डी. एन. (2023)। भारत में वित्तीय समावेशन में फिनटेक की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i04.5953.
8. आसिफ, एम, खान, एम. एन, तिवारी, एस., वानी, एस.के. एवं आलम, एफ. (2023)। भारत में वित्तीय समावेशन पर फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रभाव, जर्नल ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 16(2), 122।
9. सुनीता, आर. एवं सिद्दीक, एम.एम. (2023)। चेन्नई के संदर्भ में फिनटेक और वित्तीय सेवाओं के भविष्य पर एक अध्ययन, जर्नल ऑफ सर्वे इन फिशरीज साइंसेज, 10(3एस), 6550–6557।

10. डॉ. एस. उमा महेश्वरी (2023)। बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, जर्नल ऑफ सर्वे इन फिशरीज साइंसेज, 10(4एस), 2841–2849।

11. बाबर, एच. (2023)। फिनटेकः वित्तीय समावेशन और महिलाओं के लिए एक समाधान, क्यूईओस, https://doi.org/10.32388/af1eu0.

12. डायना हेंग, वाई. डब्ल्यू. (2022)। फिनटेकः वित्तीय समावेशन या बहिष्करण? आईएमएफ वर्किंग पेपर्स, https://doi.org/10.5089/9798400208645.001.

13. लक्ष्मण के., वेदांत राज, आदि (2023)। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में फिनटेक कंपनियों के प्रभाव पर एक अध्ययन, जेटीआईआर जनवरी 2023, वाल्यूम–10, अंक–1।

14. एन. प्रकाश, वाई. आई. (2022)। भारत में फिनटेक क्रांति पर एक अध्ययनः एक समीक्षा, आई–मैनेजर जर्नल ऑन मैनेजमेंट। https://doi.org/10.26634/jmgt.17.2.19158.

15. सिल्की शर्मा, एस. एस. (2022)। फिनटेक में प्रौद्योगिकी और नवाचार का अनुप्रयोग और भारत में इसकी अनुकूलनशीलता, 2022, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में नवीन प्रथाओं पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीआईपीटीएम)। https://doi.org/10.1109/iciptm54933.2022.9753933.

16. नीलम एवं सोनाली भट्टाचार्य (2022)। वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधानः एक समीक्षा एवं भविष्य का एजेंडा, एएबीएफजे वाल्यूम–16, अंक–5, 2022।

17. गोस्वामी, एस, शर्मा, आर. बी एवं चौहान, वी. (2022) । ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन (एफआई) पर वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) का प्रभाव, यूनिवर्सल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, 10(2), 483–497.

18. भारतीय रिज़र्व बैंक (2022)। "फ़िनटेक एंड डिजिटल बैंकिंगः ए स्टडी"। https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=19818

19. रश्मि दब्बीरू, डी. एन. (2021)। भारत में बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में फिनटेक अनुप्रयोग, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, https://doi.org/10.2139/ssrn.3881967.

20. बापोरिकर, एन. (2021)। भारत में फिनटेक चुनौतियाँ और दृष्टिकोण। https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3257-7.ch008.

21. प्रो. किट्टी संदीप राणा (2020)। वित्तीय समावेशन में फिनटेक की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, वाल्यूम–6, अंक–4, जुलाई 2020, आईएसएसएनः 24549150।

22. बी. राज, वी. यू. (2020)। भारत में वित्तीय समावेशन में तेजी लाने में फिनटेक की भूमिका, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, https://doi.org/10.2139/ssrn.3591018.

23. विनय कांडपाल, रजत मेहरोत्रा (2019)। वित्तीय समावेशनः भारत में फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की भूमिका, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस, वाल्यूम–19, अंक–1 (2019): 85–93।

24. पी. कृष्णा प्रिया, के.ए. (2019)। भारत में फिनटेक मुद्दे और चुनौतियाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग (आईजेआरटीई)। http://www.doi.org/10.35940/ijrte.C4087.098319.

25. सनमथ, ए. (2018)। फिनटेक बैंकिंगः डिजिटल बैंकिंग में क्रांतिकारी बदलाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। https://doi.org/10.31142/ijtsrd18699.

*****

आलेख उद्धरित करें:	लखन, राम एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन (चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में), बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 36-46।

Bundelkhand Journal of Academic Research

डॉ. बी आर अंबेडकर के आर्थिक विचारों का अवलोकन

सुरेन्द्र कुमार[1], योगेन्द्र कुमार कुशवाहा[2]

1. **शोधार्थी (अर्थशास्त्र),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।
2. **शोधार्थी (अर्थशास्त्र),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** surendra531998@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21316974

सारांश

जब भी कोई देश राजनीतिक या आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है, तो अक्सर बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों को अपने देश के इतिहास में समाधान खोजने की आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक घटनाएँ, उसके लोग और उनके विचार, जिन्होंने देश और उसके लोगों के भविष्य को आकार दिया है। वे देश की विरासत होने के साथ–साथ वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए भी सार्थक सिद्ध होते हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर भारत में अपने समय के एक ऐसे महान विचारक, नेता और बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने न केवल लाखों अछूतों का जीवन बदला, बल्कि भारत का संविधान प्रारूपित कर उसे एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आकारित करवाने में भी अप्रतिम योगदान दिया है। डॉ. अंबेडकर कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मीडिया, राजनीति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में पारंगत थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश भारत में विऔद्योगीकरण और विनगरीकरण प्रक्रिया ने भारत को बहुआयामी नुकसान पहुँचाया है। जबकि औद्योगीकरण भारत की गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का एक शक्तिशाली एवं स्वाभाविक समाधान था। भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका संघर्ष तो था ही, वे अपने समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ भी थे। वे 20वीं सदी के भारत के उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों में से एक थे। भारत के आर्थिक विचारों में उनका उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक वित्त, मुद्रा प्रणाली और कृषि से संबंधित उनके विचार भारतीय अर्थव्यवस्था में मील के पत्थर हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आर्थिक विचारों के अवलोकन पर केंद्रित है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 08 जुलाई, 2025 **स्वीकृत:** 27 अगस्त, 2025 **प्रकाशित:** 30 सितम्बर, 2025

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 36

मुख्य शब्द: कृषि प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण, कराधान, सामाजिक न्याय।

परिचय एवं पृष्ठभूमि: डॉ. अंबेडकर के शुरुआती जीवन के 30–32 वर्षों का शिक्षण एवं पेशेवर लेखन अर्थशास्त्र से संबंधित था, जिसमें प्राचीन भारतीय वाणिज्य (1915); ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त (1915), भारत का राष्ट्रीय लाभांश (1916), भारत में लघु जोतें एवं उनका समाधान (1918), रुपये की समस्या (1923), ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (1925) के साथ साथ 13 शोध समीक्षाएं आदि में उनका आर्थिक विश्लेषण और आर्थिक विचार मिलते हैं। डॉ. अंबेडकर 20वीं सदी के भारत के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों में से एक थे। मार्क्सवादी अर्थशास्त्री पॉल बरन ने अपने एक आलेख में बौद्धिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि बौद्धिक कार्यकर्ता वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग जीविकोपार्जन के लिए करता है, जबकि बुद्धिजीवी बुद्धि का उपयोग आलोचनात्मक विश्लेषण और सामाजिक परिवर्तन के लिए करता है। बरन की दृष्टि में, डॉ. अंबेडकर बौद्धिक कार्यकर्ता की बजाय एक बुद्धिजीवी हैं। एंटोनियो ग्राम्शी का मानना है कि डॉ. अंबेडकर जैविक बुद्धिजीवी होने का उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो एक संपूर्ण सामाजिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति करता है। उनकी विद्वता के बारे में नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि "डॉ. अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं; अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अद्‌भुत है और उसे हमेशा याद रखा जाएगा"।

डॉ. अंबेडकर भारत में प्रशिक्षित अर्थशास्त्रियों की पहली पीढ़ी में से एक थे। वे अर्थशास्त्र में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पहले भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे, जिनके शोध पत्र प्रसिद्ध अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित

हुए थे। डॉ. अंबेडकर ने शुरुआत में एक मौद्रिक अर्थशास्त्री के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने रुपये की समस्या पर ऐसे समय में विचार किया जब औपनिवेशिक प्रशासन और भारतीय व्यापारिक हितों के बीच इसके मूल्य को लेकर टकराव चल रहा था। उनका तर्क था कि सरकार भारत में अपना माल बेचने वाले ब्रिटिश निर्यातकों की मदद के लिए एक अधिमूल्यित विनिमय दर बनाए रख रही है। अंततः मामले की जाँच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1925 में एक शाही आयोग गठित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

वर्ष 1913 में डॉ. अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले अध्येयता के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने वर्ष 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1916 में डॉ. अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी थीसिस के रूप में "भारत का राष्ट्रीय लाभांशः एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन" (The National Dividend of India: A Historical and Analytical Study, 1916) प्रस्तुत किया, जो उनकी पीएच.डी. की डिग्री का आधार था। यह थीसिस आठ वर्ष बाद "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास" (The Evolution of Provincial Finance in British Indi) नामक शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी। इस सर्वोच्च डिग्री को प्राप्त करने के बाद वे भारत लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया।

सितंबर, 1917 में अपनी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर वे वापस शहर लौट आए और नौकरी करने लगे। लेकिन शहर में थोड़े ही समय नवंबर, 1917 तक रहने के बाद वह बम्बई रवाना हो गए। बम्बई में वे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। सुविज्ञ होने के कारण वह छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। हालांकि, लंदन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चले गए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डी.एससी. की तैयारी करने की भी अनुमति दी गई। वर्ष 1921 में उन्होंने "प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया'' पर अपनी थीसिस लिखी और लंदन यूनिवर्सिटी से एम. एससी. की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कुछ समय जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में बिताया। वर्ष 1923 में उन्होंने डी.एससी. (डॉक्टर ऑफ साइंस) के लिए अपनी थीसिस "द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीः इट्स ऑरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन" प्रस्तुत की थी। इस तरह, उनके प्रमुख आर्थिक विचार निम्नलिखित पुस्तकों में पढने को मिलते हैंः

1. ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण (Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India): 1921
2. रुपये की समस्याः उद्भव और समाधान (The Problem of the Rupee: its origin and its solution): 1923
3. ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India): 1925

प्रस्तुत शोधपत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदान का अवलोकन करता है, जिसमें लोक वित्त, कृषि अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास में जाति व्यवस्था की समस्या, कृषि एवं भूमि सुधार, कराधान नीति के विचार, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक विकास की रणनीति, उद्यम अर्थव्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, महिलाओं का आर्थिक उत्थान, जल संसाधन नीति, मानव पूंजी की अवधारणा, भारतीय मुद्रा प्रणाली, भारतीय रिज़र्व बैंक के गठन, रुपये की समस्या जैसे अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रमुख योगदानों का अवलोकन किया गया है।

कृषि एवं भूमि सुधार पर विचारः किसानों की समस्या और औपनिवेशिक कृषि नीति के बारे में डॉ. अंबेडकर ने बिशप हेबर के हवाले से लिखा है कि भारतीय किसान मितव्ययिता से खेती करते है और अनाज को बुद्धिमानी से उपयोग करते है। फिर भी अनुकूल मानसून के दौरान अनाज के उनके प्रबंधन अपर्याप्त हो जाते है। जब उनकी फसल थोडी सी विफल हुई, तब सरकारी सहायता भी पुरुषो, महिलाओं और बच्चों को मरने से नहीं रोक पाई। इस बदहाली का कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और औपनिवेशिक कलेक्टरों की कृषि और किसान विरोधी नीतियाँ है। बिशप हेबर लिखते हैं कि "इंग्लैंड के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हजारों भारतीय जो कपास के उत्पादन में अपनी आजीविका कमाते थे, उनके पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि अमेरिका और इंग्लैंड की स्थिति काफी अच्छी है।" डॉ. अंबेडकर ने इतिहासकार एच. एच. बिल्सन का हवाला देते हुए लिखा कि "इंग्लैंड के व्यापारिक व्यवहार भारत के प्रति अन्यायपूर्ण थे। इंग्लैंड को भारतीय सूत और रेशम बेची जा सकती है, जो कि इंग्लैंड में 50 से 60 प्रतिशत सस्ती है। लेकिन भारतीय निर्यात पर रोक लगाने के लिए और अपने कपास व रेशम उद्योगों की रक्षा के लिए इंग्लैंड ने भारतीय उत्पादों पर 70 से 80 प्रतिशत कर लगाया है। अगर इंग्लैंड ने भारतीय सामानों पर ऐसे निषेध करों और आदेशों को लागू नहीं किया होता तो पैस्ले और मैनचेस्टर की मिल्स वाष्प शक्ति के बावजूद पूरी तरह बंद हो सकती थी"। स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ कृषि और किसान विरोधी रही हैं।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि कृषि सुधार, प्रच्छन्न बेरोजगारी और बेहतर भूमि उपयोग के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। जोतों के आकार और उत्पादकता संबंध का विश्लेषण करते हुए डॉ. अंबेडकर अन्य देशों के

अध्ययनों की समीक्षा करते हैं, और सर हेनरी कॉटन को उद्धृत करते हैं कि "भारत में कृषि को बहुत अधिक खतरा है"। उन्होंने एक महत्वपूर्ण आयाम पर प्रकाश डाला जो बाद के वर्षों में और आज भी भारत के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि "एक बड़ी कृषि आबादी वास्तविक खेती में भूमि के निम्नतम अनुपात के साथ का अर्थ है कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा फालतू और बेकार है। ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई कृषि जोतें बेकारश्रम की समस्या को बढ़ाएंगी। अतः लोगों की निर्भरता भूमि पर कम करने के लिए भारत का औद्योगिकरण ही "भारत की कृषि समस्याओं के लिए सबसे सुगम उपाय है" और भारत की "दोषपूर्ण राजनीतिक अर्थव्यवस्था" को देखते हुए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने के लिए भी। स्पष्ट है कि आधुनिक विकास सिद्धांतकारों ने कृषि विकास में उद्योग की भूमिका और प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा के बारे में जो मान्यताएं और नियम स्थापित किए हैं, उनसे बहुत पहले डॉ. अंबेडकर ने कृषि–उद्योग संबंधों के बारे में तर्क दे दिया था।

डॉ. अंबेडकर पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपखंडन की समस्या का परीक्षण किया और आर्थिक जोतों को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया। कृषि सुधारों के क्रम में उन्होंने समेकन के मुद्दे का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए पाया कि संपत्ति विरासत और जनसंख्या वृद्धि कृषि समस्याओं का मुख्य स्रोत है। वे अपनी विवेचना में कहते हैं कि "... यदि यह कहा जाए कि भारतीय कृषि छोटी और बिखरी हुई जोतों से ग्रस्त है तो हमें न केवल इन्हें समेकित करना चाहिए, बल्कि उनका विस्तार भी करना चाहिए। यह ध्यान रहना चाहिए कि चकबंदी द्वारा छोटी जोतों की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि चकबंदी द्वारा इन्हें बड़ी आर्थिक जोतों में बदला ज़ाये।" उन्होंने प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेवांस के उन विचारों की आलोचना की है कि प्रत्येक बड़ी जोत आर्थिक जोत होती है। उन्होंने प्रोफेसर जेवांस की उस परिभाषा का भी खंडन किया, जो आर्थिक जोत को उपभोग के आधार पर परिभाषित करती है और दृढ़ता के साथ तर्क देते हुए कहा है कि आर्थिक जोत का आधार उत्पादन होना चाहिए। उन्होंने राज्य पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक कृषि की अवधारणा का सुझाव संविधान सभा को दिया था। लेकिन वर्चस्व वाले ग्रामीण जमींदार, अभिजात वर्ग और भूमि से जुड़ी जातियों के विरोध के कारण यह सुझाव नकार दिया गया था।

भारतीय कृषि पर डॉ. अंबेडकर के विचार उनके आलेख "भारत में लघु जोतें एवं उनके समाधान (Small Holdings in India and their Remedies:1918)" और "स्थिति एवं अल्पसंख्यक (Status and Minorities:1947)" में पाए जाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ लोगों के पास ज़मीन होना भारतीय कृषि की एक गंभीर समस्या है, जिसके परिणामस्वरूप खेती एवं संसाधनों के उपयोग में कठिनाई, लागत में वृद्धि, कम उत्पादकता, अपर्याप्त आय और निम्न जीवन स्तर जैसे कई नुकसान हैं। डॉ. अंबेडकर के अनुसार कृषि की उत्पादकता न केवल भूमि के आकार से संबंधित है, बल्कि पूंजी, श्रम और इनपुट जैसे अन्य कारकों से भी संबंधित है। इसलिए, यदि पूंजी या श्रम पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं हैं, तो बड़े आकार की भूमि भी अनुत्पादक हो सकती है। इसके विपरीत, यदि ये संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों तो छोटे आकार की भूमि भी उत्पादक बन जाती है। इसी विचार के साथ स्वतंत्रता के बाद 'भूमि हदबंदी अधिनियम' पारित किया गया। कृषि समस्या के समाधान के लिए उनका सुझाव है कि सामूहिक खेती, भूमि की आर्थिक जोत या भूमि का समान वितरण, बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, सरकार द्वारा सहायता, पानी, बीज, उर्वरक आदि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

उन्होंने महाराष्ट्र की कृषि प्रणाली में प्रचलित खोती प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। दरअसल, खोती प्रथा ब्रिटिश भारत में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रायगढ़, रत्नागिरी, कोलाबा और सिंधुदुर्ग जिलों में प्रचलित एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, जहाँ खोत (गाँव का प्रशासनिक अधिकारी) किसानों से कृषि उपज इकट्ठा कर सरकार को देता और किसानों का शोषण करता था। खोत एक प्रकार के जमींदार या वतनदार थे, जिनके कारण किसानों का जीवन दूभर था और वे पीढ़ियों तक दमन का शिकार होते रहे हैं, क्योंकि खोती व्यवस्था के कारण किसानों का व्यापक शोषण होता था, जिससे उन्हें लंबे समय तक गरीबी और दमन का सामना करना पड़ता था।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि खोती जैसी सामंतवादी प्रथाएं सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, और उनका उन्मूलन आवश्यक है ताकि किसानों को सम्मानजनक जीवन और उत्पादन का स्वाधिकार मिल सके। उनके अनुसार खोती प्रथा में 'खोत' (जमींदार) किसानों से लगान वसूलते और मनमाने ढंग से किसानों पर अत्याचार करते थे, उन्हें कभी–कभी जमीन से बेदखल भी कर देते थे। वे कर संग्रहकर्ता (ब्रिटिश सरकार) और करदाता (निम्न भूमिधारकों) के बीच मध्यस्थ थे। खोती ब्रिटिश क्षेत्र से एकत्रित कर राजस्व को ब्रिटिश सरकार को सौंपने के लिए ज़िम्मेदार थे, जिसके लिए वे निम्न भूमिधारकों का खुलकर शोषण और दुर्व्यवहार करते थे। डॉ. अंबेडकर ने खोती प्रथा को किसानों के उत्पीड़न का एक रूप मानते हुए महसूस किया कि इसे समाप्त करने के लिए कानून बनाना आवश्यक है और वर्ष 1937 में बॉम्बे विधान सभा में इसको समाप्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे "खोती उन्मूलन अधिनियम" के नाम से जाना जाता है। अंततः उनके प्रयासों से खोती प्रथा का उन्मूलन हुआ, जिससे किसानों को उनके अधिकार वापस मिले थे।

मौद्रिक प्रणाली पर विचारः डॉ. अंबेडकर ने भारतीय मौद्रिक प्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए रुपये की समस्या पर अपना शोध प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मुद्रा नीति को विनियमित करने का तरीका माना है। उन्होंने ब्रिटिश काल की मौद्रिक नीति की तीखी आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि भारत को एक ऐसी मौद्रिक प्रणाली अपनानी चाहिए, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण हो। उन्होंने लंदन में अपनी डॉक्टरेट थीसिस में भारत की मुद्रा नीति का गहन विश्लेषण किया। ब्रिटिश मौद्रिक प्रणाली पर उनका तर्क था कि इसने भारत के आर्थिक शोषण में योगदान दिया है। जबकि मौद्रिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जो भारत को वित्तीय रूप से संप्रभु, आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से मजबूत बनाए।

उल्लेखनीय है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डॉ. अंबेडकर ने पर्यवेक्षक प्रो. एडविन कैनन के मार्गदर्शन में अपनी डॉक्टरेट थीसिस "द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीः इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन" को संपन्न किया था। यह थीसिस एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण के रूप में लिखी गई है, जिसमें ब्रिटिश सरकार की मौद्रिक गतिविधियों का विवेचन किया गया है। दरअसल, वर्ष 1893 औपनिवेशिक सरकार के सुधारों और स्वर्ण मानक के प्रबंधन के प्रयासों की शुरुआत का वर्ष है। यह भारतीय सिक्का अधिनियम, 1870 के संशोधन वर्ष को भी चिह्नित करता है। यह एकमात्र अधिनियम था जो ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप के मुद्रा प्रबंधन से संबंधित था (सिम्हा, 1970)। इसलिए, अंबेडकर ने ऐतिहासिक सर्वेक्षण के रूप में 1800–1893 तक भारतीय मुद्रा प्रणाली के सबसे उपेक्षित हिस्सों को भी प्रस्तुत किया है। हालांकि, अंबीराजन (1999) और नरेंद्र जाधव (1991) के आलेख इस पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। जाधव (1991, पृष्ठ–980) का दावा है कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली और उसके संचालन का मूल्यांकन करने के बाद, अंबेडकर स्वर्ण–विनिमय मानक के बजाय स्वर्ण–मानक के पक्ष में थे। हालांकि, जाधव अंबेडकर के आदर्श दृष्टिकोण को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, कि वे स्वर्ण–मानक के नहीं, बल्कि एक समान मुद्रा व्यवस्था के पक्षधर थे। जबकि डॉ. अंबेडकर के विचारों का वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली पर गहरा प्रभाव है। ब्रिटिश शासन के दौरान, जब भारत सरकार भारतीय रुपये के गिरते मूल्य से जूझ रही थी, तब (1923) उन्होंने तर्क दिया कि स्वर्ण विनिमय मानक में स्थिरता नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश स्वर्ण विनिमय मानकों को वहन नहीं कर सकते। इससे मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि का जोखिम भी बढ़ जाता है। उन्होंने आँकड़ों और कारणों से यह साबित किया कि कैसे भारतीय रुपये का मूल्य कम हो रहा है, जिससे रुपये की क्रय शक्ति गिर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी घाटे को नियंत्रित किया जाना चाहिए और मुद्रा का चक्रीय प्रवाह होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विनिमय दर स्थिरता की तुलना में मूल्य स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने अपने शोध प्रबंध "द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीः इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923" में 3 लोकप्रिय हस्तियों से बातचीत का भी ज़िक्र किया गया है, जिसमें एक तो उनके डॉक्टरेट पर्यवेक्षक प्रो. एडविन कैनन (1861–1935), दूसरा जॉन मेनार्ड कीन्स (1883–1946) और तीसरा एडविन केमेरर (1875–1945) थे। थीसिस में विवेचन के दौरान कीन्स का ज़िक्र 14 मौकों पर आता है। कीन्स और अंबेडकर के बीच बहुत कम सहमति है। यह असहमति इसलिए भी हो सकती है कि कीन्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिनका भारतीय मुद्रा प्रणाली के विश्लेषण का दृष्टिकोण औपनिवेशिक था। इसके अलावा कीन्स के बीच असहमति संदर्भ में अंतर के कारण भी हो सकती है, क्योंकि अंबेडकर का मानना है कि मुद्रा प्रणाली में रुपये की स्थिरता प्राप्त करने के लिए, सामान्य क्रय शक्ति का स्थिर होना आवश्यक है, अर्थात रुपये की सामान्य क्रय शक्ति का स्थिर होना वास्तविक मुद्रा स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है जो कीन्स से भिन्न मत था। जैसा कि उन्होंने कहा कि "कीन्स जिन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं, वे मेरे निष्कर्षों से बिल्कुल विपरीत हैं। यह मतभेद उस मूलभूत तथ्य से उपजा है, जिसे प्रोफ़ेसर कीन्स ने पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है, कि जब तक हम रुपये की सामान्य क्रय शक्ति को स्थिर नहीं करते, तब तक उसे स्थिर करने का कोई उपाय नहीं है। विनिमय मानक ऐसा नहीं करता क्योंकि यह मानक केवल लक्षणों से संबंधित है और रोग तक नहीं जाता है। वास्तव में मेरे अनुसार, यदि ऐसा कुछ भी है, तो यह रोग को और बढ़ाता है" (द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, पृष्ठ–328)। जबकि अमेरिकी अर्थशास्त्री केमेरर के साथ अंबेडकर घनिष्ठ आत्मीयता और सहमति प्रदर्शित करते हैं। केमेरर एक मौद्रिक अर्थशास्त्री थे जिनका सार्वजनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रभाव था। संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम की रूपरेखा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंबेडकर के शोध प्रबंध में केमेरर के कार्यों का सात भिन्न संदर्भों में उल्लेख किया गया है। डॉ. अंबेडकर स्वर्ण मानक और स्वर्ण विनिमय मानक के मूल्यांकन में केमेरर द्वारा स्थापित मानक के प्रति झुकाव के अनुरूप है।

पांचवें अध्याय 'स्वर्ण मानक से स्वर्ण विनिमय मानक तक' और अंतिम (सातवें) अध्याय 'स्वर्ण मानक की ओर वापसी' में, अंबेडकर विभिन्न मुद्रा व्यवस्थाओं के संबंध में कीन्स और केमेरर के विचारों के बीच संवाद प्रस्तुत करते हैं। एक समान मुद्रा व्यवस्था के पक्ष में तर्क देते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि "यदि प्रबंधन को समाप्त करना वांछनीय है तो परिवर्तनीयता एक अपर्याप्त उपाय है; परिवर्तनीयता के साथ भी रुपया एक

प्रबंधित रुपया ही रहेगा। ... यह भले ही अजीब लगे, लेकिन सुरक्षा एक निश्चित निर्गम सीमा वाले अपरिवर्तनीय रुपये में निहित है"(द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, पृष्ठ–614)। इस तरह, अंबेडकर का विवेचन औपनिवेशिक काल में प्रचलित विभिन्न मुद्रा व्यवस्थाओं के विकास को समझने का एक प्रारंभिक बिंदु माना जा सकता है। उनकी डॉक्टरेट थीसिस का मुख्य फोकस इस बात पर था कि भारतीय मौद्रिक मामलों को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। हालाँकि, अर्थशास्त्र में उनकी रुचि कभी भी विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक नीति पर इसके कई निहितार्थ थे, जैसा कि आर्थिक इतिहासकार एस. अंबीराजन ने 2001 में भारतीय अर्थशास्त्र में अंबेडकर के योगदान पर अपने एक भाषण में बताया था कि "रुपए पर गठित शाही आयोग को दिए अपने वक्तव्य में अंबेडकर ने इस विवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इस विवाद में दो अलग–अलग प्रश्न शामिल हैं। पहला यह कि क्या हमें अपने विनिमय को स्थिर करना चाहिए और दूसरा, वह अनुपात क्या होना चाहिए जिस पर हमें विनिमय को स्थिर करना चाहिए?" वर्तमान संदर्भ बहुत अलग है, लेकिन अंबेडकर ने जिस तरह से विनिमय की समस्या को प्रस्तुत किया वह आज भी प्रासंगिक है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक को रुपये की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए और उसे किस विनिमय मूल्य की रक्षा करनी चाहिए?

अंततः अंबेडकर ने रुपये के सीमित अवमूल्यन के पक्ष में तर्क दिया, जो उन विनिमय दरों के बीच कहीं था जिनके पक्ष में दो प्रतिस्पर्धी समूह थे। पहला, औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, जो मौजूदा विनिमय दर को बनाए रखना चाहती थी, जबकि दूसरा, कांग्रेस भारतीय व्यापारिक हितों की ओर से बोल रही थी जो रुपया की सस्ती विनिमय दर चाहते थे। दरअसल, 19वीं सदी के अंत में रुपये की सस्ती विनिमय दर ने भारतीय निर्यातकों की मदद की थी। अंबेडकर का तर्क था कि सीमित अवमूल्यन से व्यापारी वर्ग के साथ–साथ कामगार वर्ग को भी लाभ होगा। हालांकि, बहुत अधिक अवमूल्यन से कमाने वाले वर्ग को नुकसान होगा क्योंकि अगर रुपये में बहुत अधिक गिरावट आई तो वे उच्च मुद्रास्फीति की चपेट में आ जाएँगे। इसलिए, रुपये के विनिमय मूल्य पर विचार करते समय इन दोनों समूहों के हितों को संतुलित किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक अवमूल्यन से मुद्रास्फीति के कारण कमाने वाले वर्ग की वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी।

भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन को दिए अपने वक्तव्य में अंबेडकर ने कहाः "महत्वपूर्ण बात यह है कि कम विनिमय दर से कोई लाभ होता है, तो यह लाभ कहाँ से आता है? ज़्यादातर व्यापारियों का मानना है कि यह निर्यात व्यापार के लिए लाभ है और इतने सारे लोग इस पर आँख मूँदकर विश्वास कर चुके हैं। जबकि सभी के लिए यह एक आम धारणा है कि कम विनिमय दर पूरे राष्ट्र के लिए लाभ का स्रोत है। अगर यह समझ लिया जाए कि कम विनिमय दर का मतलब ऊँची आंतरिक कीमतें हैं, तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि यह लाभ राष्ट्र को बाहर से नहीं मिल रहा है, बल्कि देश के एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की कीमत पर प्राप्त लाभ है।"

अंबेडकर यह भी जानते थे कि रुपये की समस्या अंततः घरेलू मुद्रास्फीति की समस्या से जुड़ी है। अपने शोध प्रबंध के पुस्तक संस्करण की प्रस्तावना में उन्होंने बताया कि "...रुपये को तब तक स्थिर नहीं किया जा सकता, जब तक हम उसकी सामान्य क्रय शक्ति को स्थिर नहीं करते"। अंबीराजन ने भी बताया कि अंबेडकर स्पष्ट रूप से मूल्य स्थिरता और स्वचालित मौद्रिक प्रबंधन (जिसे नियम–आधारित मौद्रिक नीति कहा जा सकता है) के पक्षधर थे। अंबेडकर द्वारा मौद्रिक अर्थशास्त्र पर अकादमिक कार्य करने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन रुपये की समस्या के प्रति उनके कुछ सामान्य दृष्टिकोण अभी भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, एक खुली अर्थव्यवस्था में मूल्यह्रास के लाभ, वितरण संबंधी परिणामों को ध्यान में रखने की आवश्यकता, घरेलू अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता, मौद्रिक प्रबंधन में विवेकाधिकार के बजाय नियमों को प्राथमिकता आदि से स्पष्ट है कि अंबेडकर अपने समय के व्यावहारिक अर्थशास्त्री थे, जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत और स्वर्ण मानक से दृढ़ता से जुड़े हुए थे।

जल संसाधन नीति पर विचारः चूंकि डॉ. अंबेडकर का महाड़ सत्याग्रह पानी से ही संबंधित था, जिसे उन्होंने 20 मार्च 1927 को दलितों के लिए महाड़ तालाब का पानी इस्तेमाल करने के लिए किया था, शायद इसीलिए, वे पानी के महत्त्व और औचित्य के प्रति बहुत सजग और सतर्क थे। डॉ. अंबेडकर ने पानी को केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा माना, जिसे जाति आधारित बहिष्कार से मुक्त करने और सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया है। उनकी जल संसाधन नीति में पानी को सामाजिक समानता एवं गरिमा का प्रश्न मानना, नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करके बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौवहन करना, जल संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करना, जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि पहलू शामिल हैं। डॉ. अंबेडकर ने पानी को केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना। उन्होंने पानी को जाति से जोड़ा और दलितों को जल से वंचित किए जाने को सामाजिक अलगाव का कारण बताया। उन्होंने बल दिया कि जल संसाधनों पर सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए और जल तक

पहुँच दलितों को जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त कराएगी। उन्होंने नदियों के पानी के बहुआयामी उपयोग के लिए बड़े बांधों और नहरों के निर्माण की वकालत की थी, जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, सिंचाई और नौवहन को एक साथ हासिल करना था। उन्होंने जल संरक्षण को सतत विकास के लिए आवश्यक माना और सुनिश्चित किया कि जल संसाधनों का प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि उनका अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जल–उपयोगकर्ता संघों की स्थापना की सिफारिश की थी।

डॉ. अंबेडकर सिंचाई एवं विद्युत ऊर्जा नीति समिति के अध्यक्ष थे। समिति का मुख्य कार्य जल एवं विद्युत नीति तैयार करना था। उन्होंने वर्ष 1942 से 1946 तक वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम, सिंचाई और बिजली के सदस्य के रूप में काम करते हुए, नई जल एवं विद्युत नीति का खाका तैयार किया, जिसमें अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना को आदर्श माना गया। डॉ. अंबेडकर ने जल एवं विद्युत नीति की प्रकृति और उनके नियोजित विकास की रणनीति को प्रभावित किया था। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी परियोजना, सोन नदी जैसी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण डॉ. अंबेडकर की सिफारिशों के आधार पर किया गया। उन्होंने अंतर्राज्यीय जल विवादों और संघर्षों के समाधान के सुझाव दिए। उनके विचारों ने भारत की राष्ट्रीय जल संसाधन विकास नीति की नींव रखी, जिसमें जल के दोहन को समग्र दृष्टिकोण से देखा गया।

उन्होंने वर्ष 1942 से 1946 के बीच जिस जल नीति की नींव रखी थी, उसके तीन मुख्य अंग थे। पहला, नदियों की घाटी के आधार पर जल संसाधन विकास के लिए बहुउद्देशीय दृष्टिकोण अपनाना। दूसरा, नदी घाटी प्राधिकरण की अवधारणा और तीसरा, जल एवं बिजली संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में तकनीकी विशेषज्ञ निकायों का निर्माण। वह रेलवे से ज़्यादा रिवर कैनल, रिवर प्रोजेक्ट्स के समर्थक थे। नदियों का उपयोग ज़्यादा लाभकारी बनाने के पीछे उनका तर्क था कि नदियों का पानी बिजली बनाने, सिंचाई और नौका परिवहन में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इससे बाढ़ को भी आने से रोका जा सकता है।

मेरीटाइम इन्वेस्टमेंट समिट, 2016 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर, भारत की जल संसाधन एवं नदी परिवहन नीति के सर्जक भी थे। उन्होंने कहा, "हम में से अधिकांश यह नहीं जानते हैं कि बाबासाहेब ने जल संसाधन, जल परिवहन और विद्युत से संबंधित दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव रखी थी। उनमें से एक केंद्रीय जल, सिंचाई एवं जल परिवहन आयोग और दूसरा, सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड है। डॉ. अंबेडकर भारत की जल संसाधन एवं नदी परिवहन नीति के निर्माता भी हैं। यह दुखद है कि भारत की जल नीति एवं जल संसाधनों के विकास में डॉ. अंबेडकर की महती भूमिका को लोगों के सामने आने से रोकने के लिए एक शक्तिशाली लॉबी लगातार काम कर रही है। जबकि उनकी भूमिका से संबंधित विस्तृत शासकीय अभिलेख उपलब्ध हैं, इसके बावजूद सुनियोजित प्रयास किए गए कि इस दूरदृष्टा के अप्रतिम योगदान को अकादमिक क्षेत्र और सार्वजनिक विमर्श में मान्यता न मिले"।

उन्होंने अपने बहुआयामी दृष्टिकोण को आज़ाद भारत की बड़ी–बड़ी नदी परियोजनाओं को साकार किया था। इसमें सबसे पहली योजना दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन था। दामोदर नदी को बंगाल और झारखंड का दुख कहा जाता रहा है क्योंकि इसकी वजह से इन क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आती है। जिस वक्त इस योजना को अमल में लाना था, उस समय वायसरॉय लॉर्ड वावेल थे। वह चाहते थे कि इसके लिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट और इंजीनियर आएं। लेकिन डॉ. अंबेडकर ने वायसरॉय के खिलाफ़ अमेरिकन टेनेसी वैली अथॉरिटी को इस काम के लिए चाहते थे जिन्होंने अमेरिका में टेनेसी वैली योजना का निर्माण किया था। डॉ. अंबेडकर वायसरॉय के खिलाफ़ गए सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि इस योजना से भारतीयों का हित जुड़ा था। हमने सामाजिक विज्ञान की किताबों में पहली बार भाखड़ा नांगल बाँध (सतलज नदी पर) और हीराकुड बाँध (महानदी पर) के बारे में जाना गया। लेकिन इन किताबों ने हमें इनके निर्माण के पीछे के विचारक के बारे में नहीं बताया। हालांकि, अकादमिक जगह ने यह हमें शुरू से बताया कि जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत के 'मंदिर' कहते थे। लेकिन इन 'मंदिरों' के विचारक की भूमिका के बारे में चर्चा तक नहीं की जाती। ये दोनों ही बाँध योजनाएं बाबा साहब की दूरदृष्टि के प्रमाण हैं। शायद इसीलिए, जल संसाधनों पर उनके महत्त्व को उजागर करने हेतु "जल नीतियों में डॉ. अंबेडकर का योगदान" पर दिसंबर 2016 में आयोजित सेंट्रल वाटर कमीशन के सेमिनार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती ने घोषणा की थी कि 14 अप्रैल (बाबा साहब का जन्मदिन) को देश में राष्ट्रीय जल दिवस (नैशनल वाटर डे) के रूप में मनाया जाएगा। अतः बाबा साहब का जन्मदिन 'जल दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है।

डॉ. अंबेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष 1993 में 'जल संसाधनों के विकास में अंबेडकर का योगदान' प्रकाशित ग्रन्थ को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2016 में 307 पृष्ठों के एक स्मारक ग्रन्थ के रूप में पुनर्प्रकाशन किया, जिसके सन्देश में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने लिखा कि डॉ. अंबेडकर भारत के जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के हामी थे। राष्ट्र निर्माण में डॉ. अंबेडकर के योगदान को देश को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। उमा भारती ने लिखा, "अंतरराज्यीय

जल विवाद अधिनियम 1956 और रिवर बोर्ड्स अधिनियम 1956 प्रमाणित करते हैं कि डॉ. अंबेडकर कई राज्यों में बहने वाली नदियों से संबंधित मुद्दों पर कितने सजग थे। जल विवाद अधिनियम की भूमिका में कहा गया है कि इसका उद्देश्य अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का निपटारा करना है।"

वर्ष 1942 से 1946 के बीच डॉ. अंबेडकर ने देश के जल संसाधनों का सभी के हित में समुचित दोहन करने हेतु एक नई जल एवं विद्युत नीति का खाका तैयार किया था। उनका मानना था कि अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना भारत की नदीघाटी परियोजनाओं के लिए आदर्श हो सकती है। उनका कहना था कि नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों हो सके। इस तरह की परियोजनाओं से अकाल और बाढ़ को रोका जा सकेगा और देश की गरीब जनता का जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। डॉ. अंबेडकर जल संसाधनों के विकास हेतु बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने नदी घाटी प्राधिकरणों की अवधारणा भी विकसित की। इसे ही अब समन्वित जल संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। वर्ष 1944 से 46 की अवधि में श्रम विभाग ने जिन नदी घाटी परियोजनाओं को लागू करने पर सक्रियता से विचार किया, उनमें दामोदर, सोन, महानदी (हीराकुंड), कोसी, चम्बल व दक्कन की नदियों से संबंधित परियोजनाएं शामिल थीं। इन योजनाओं से एक साथ कई लक्ष्य हासिल किये जाने थे, जिनमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल परिवहन, घरेलू उपयोग के लिए जल आपूर्ति व जल विद्युत उत्पादन शामिल थे। दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना हमें इस महान दूरदृष्टा की याद दिलाते हैं।

डॉ. अंबेडकर की उपलब्धियों को दूसरों का बताने के प्रयास श्यामा प्रसाद मुख़र्जी की हाल ही में प्रकाशित एक जीवनी में लेखक ने यह दावा किया है कि बहुउद्देशीय दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो टेनेसी वैली परियोजना पर आधारित परन्तु उससे कहीं अधिक जटिल थी, डॉ. मुख़र्जी की एक असाधारण उपलब्धि थी। जबकि दामोदर नदी में 1943 में आई बाढ़ के बाद इस परियोजना की आवश्यकता अधिक तीव्रता से महसूस की गई थी। इसलिए, दामोदर घाटी निगम के संबंध में श्यामा प्रसाद मुख़र्जी के प्रति जो दावा किया गया है, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि डॉ. मुख़र्जी ने इस परियोजना के क्रियान्वयन में कोई योगदान दिया था। यह सर्वज्ञात है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल, जिसमें डॉ. श्यामाप्रसाद मुख़र्जी भी शामिल थे, ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। ऐसे में यह समझ से परे है कि दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत डॉ. मुख़र्जी के उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शपथ लेने के तीन साल पहले ही हो गई थी, के लिए उन्हें श्रेय कैसे दिया जा सकता है। डॉ. अंबेडकर के दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना में योगदान के सम्बन्ध में अकाट्य तथ्यों के उपलब्ध होने के बावजूद, डॉ. मुख़र्जी के संबंध में जो दावे किये जा रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल पाठकों और अध्येताओं को भ्रमित करना है। इससे यह पुरानी कहावत का सच एक बार फिर साबित होती है कि सफलता के कई पिता होते हैं।

कराधान नीति पर विचारः भारतीय माल पर ब्रिटिश सरकार के कर न केवल भेदभावपूर्ण थे, बल्कि उपयोग के अनुसार भी अलग–अलग थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जमीन पर लगाया गया कर केवल अत्यधिक ही नहीं था, बल्कि यह कई प्रान्तों में उतार–चढ़ाव के साथ अनिश्चित भी था। भारतीयों के लिए कर की दर 80 से 90 प्रतिशत थी, जबकि इग्लैंड में यह वर्ष 1798 तक 100 वर्षों के लिए 5 से 20 प्रतिशत के बीच थी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत पर औसतन भूमि कर 54 प्रतिशत, नमक पर कर 11 प्रतिशत, अफीम पर कर 8.7 प्रतिशत, सीमा शुल्क 6.2 प्रतिशत आरोपित कर किया था। परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1792–93 से वर्ष 1885–86 के दौरान भारी राजस्व उत्पन्न किया। उन्होंने बताया कि कर प्रणाली न्यायसंगत नहीं थी। दोषपूर्ण कर प्रणाली से जमींदारों ने उपभोग की खपत का आनंद लिया और यूरोपीय सिविल सेवकों को कई प्रकार की छूट व विशेषाधिकार मिले। जबकि भारतीय गरीबों को नमक और अन्य वस्तुओं पर करों से परेशान किया जाता था। डॉ. अंबेडकर इतिहासकार एच. एच. बिल्सन का हवाला देते हुए स्वीकार किया था कि इंग्लैंड के व्यापारिक व्यवहार भारत के प्रति अन्यायपूर्ण थे। इंग्लैंड में भारतीय सूत और रेशम बेची जा सकती है, जो कि इंग्लैंड में 50 से 60 प्रतिशत कम है। हालांकि, भारतीय निर्यात पर रोक लगाने के लिए और अपने कपास व रेशम उद्योगों की रक्षा के लिए इंग्लैंड ने भारतीय उत्पादों पर 70 से 80 प्रतिशत कर लगाया। अगर इंग्लैंड ने भारतीय सामानों पर ऐसे निषेध करों और आदेशों का प्रयोग नहीं किया होता, तो पैस्ले और मैनचेस्टर की मिल्स वाष्प की शक्ति के बावजूद पूरी तरह बंद हो सकती थी।

डॉ. अंबेडकर ने होल्ट मैकेंगी के हवाले से लिखा है कि कुछ भारतीय वस्तुओं को प्रेसीडेंसी तक पहुँचने से पहले दस सीमा शुल्कों और कई अधीनस्थ चौकियों से गुजरना पड़ता था। माल का कोई आदान–प्रदान सीमा शुल्क की एक लाइन से अलग दो जिलों के बीच नहीं हो सकता था। इसलिए, उपभोक्ताओं को कर बोझ का सामना करना पड़ा और व्यापारिक माल के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा। सरकार द्वारा लगाये गये कर के अलावा, सीमा शुल्क अधिकारी भी रिश्वत की माँगते थे। वर्ष 1810 के विनियमन अधिनियम के अनुसार, यूके को निर्यात किए जाने वाले सामान जैसे कि इंडिगो, कपास, ऊन और भांग को सीमा शुल्क से छूट थी। भारतीयों के खिलाफ अंतर्देशीय करों पर

लाई एनलबोरो का हवाला देते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि भारत में आयातित कपास पर सीमा शुल्क 2–1/2 प्रतिशत और कपास निर्मित सूत पर 7–1/2 प्रतिशत कर था। भारत में उपभोग के कपास निर्मित सामान पर कुल कर 17–1/2 प्रतिशत था। इसी तरह, कच्चे चमड़े पर शुल्क 5 प्रतिशत, निर्मित चमड़े पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत और चमड़े से बने जूते के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत कर था। इस प्रकार, भारत में उपभोग होने वाले भारतीय चमड़े के सामान पर कुल कर 15 प्रतिशत था। आयातित चीनी पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क और 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क था। उसी शहर से निर्मित और निर्यात योग्य चीनी पर भी 5 प्रतिशत कर का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार भारत में खपत की चीनी पर कुल कर 15 प्रतिशत था। इस तरह स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार की कर प्रणाली अन्याय को बढाने वाली और दोषपूर्ण थी।

डॉ. अंबेडकर ने 1936 में 'स्वतंत्र मजदूर पार्टी (Swatantra Majdur Party)' के घोषणा पत्र में कराधान पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण कराधान नीति, भू–राजस्व प्रणाली और इससे जुड़े करों का विरोध किया क्योंकि इन करों का बोझ समाज के गरीब वर्गों पर बहुत अधिक पड़ता है। वे मानते थे कि ब्रिटिश भारत की कर प्रणाली भेदभाव और असमानता पर आधारित थी। इसलिए, कराधान नीति पर उनका सुझाव था कि (i) कर, आय पर नहीं, बल्कि भुगतानकर्ता की क्षमता पर लगाया जाना चाहिए। (ii) गरीबों पर कम और अमीरों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। (iii) एक निश्चित सीमा तक कर में छूट दी जानी चाहिए। (iv) कर लगाने में विभिन्न वर्गों के बीच समानता होनी चाहिए। (v) कर से लोगों के जीवन स्तर में गिरावट नहीं आनी चाहिए। (vi) कर प्रणाली को अधिक लचीला होना चाहिए (vii) कृषि भूमि पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस तरह, कर प्रणाली पर डॉ. अंबेडकर के विचार भारत की वर्तमान कर प्रणाली पर परिलक्षित हो रहे हैं, जो कराधान पर उनके दृष्टिकोण की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं।

उद्यम अर्थव्यवस्था पर विचारः डॉ. अंबेडकर ने वर्ष 1923 में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का सुझाव दिया था, जिसे भारत सरकार ने जुलाई, 1991 में अपनाया है। इस संबंध में डॉ. अंबेडकर एक सदी आगे थे। उनका मानना था कि यदि मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को सफल बनाना है, तो रुपये का मूल्य स्थिर रखना होगा। मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में वृद्धि, बेहतर कार्यकुशलता, नए बाजारों तक पहुंच और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराती है। यद्यपि डॉ. अंबेडकर मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था के सीधे समर्थक नहीं थे, लेकिन, वे बहुत प्रतिबंधात्मक अर्थव्यवस्था भी नहीं चाहते थे, बल्कि एक सामाजिक लोकतंत्र आधारित अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देते थे, वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जिसमें आर्थिक समानता के साथ स्वतंत्रता भी हो, संसाधनों के समान वितरण द्वारा लोगों को सशक्त बनाने के अवसर हों, श्रमिक कल्याण को बढ़ावा मिले, कृषि को राज्य का संरक्षण मिले। वे आर्थिक प्रणाली को सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित करना चाहते थे।

वे मानते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र केवल तभी सफल हो सकता है, जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी मौजूद हो, क्योंकि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय ही वास्तविक स्वतंत्रता की नींव हैं। उनका मानना था कि मानव संसाधन (श्रमिक) ही किसी देश की वास्तविक संपत्ति हैं, जिनके अधिकारों को सुरक्षित करके और उन्हें कल्याणकारी लाभ प्रदान करके ही राष्ट्र का विकास संभव है। उन्होंने कृषि को 'राज्य उद्योग' बनाने का प्रस्ताव रखा था ताकि ज़मीन पर सरकार के निर्देशों के अनुसार खेती की जाए। यह उनके राज्य समाजवाद के व्यापक दर्शन का एक हिस्सा था। उनका मानना था कि देश का आर्थिक विकास उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है, इसलिए, जनसंख्या का मानवीय संसाधन के रूप में विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पेशा जन्मजात होना अथवा जन्म के आधार पर श्रम का बँटवारा गुलामी का प्रतीक है। इसलिए, व्यवसाय योग्यता और कुशलता आधारित होने चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण पर विचारः डॉ. अंबेडकर का मानना था कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण असंभव है। इसलिए उन्होंने भारत में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की जोरदार वकालत की थी। बाद में, उनके विचारों के अनुरूप, भारत सरकार ने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम प्रजनन दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उनका मानना था कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके सामाजिक कल्याण के लिए ज़रूरी है, न कि केवल आर्थिक कारणों से। उन्होंने महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में खुलकर बात करने और अपने

परिवार का आकार सीमित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जन्म नियंत्रण, परिवार नियोजन और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए इस दिशा में समाज में खुले विमर्श के महत्व को भी बताया।

उन्होंने समाज के पारंपरिक विचारों के बजाय महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए परिवार में बच्चों की संख्या सीमित करने का समर्थन किया। उन्होंने युवतियों को जल्दबाजी में शादी करने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करना एक अपराध है। उन्होंने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले समाज सुधारक आर.डी. कर्वे का कानूनी बचाव भी किया, जो महिलाओं के यौन सुख के अधिकार की वकालत करते थे। अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो परिवार नियोजन को अपनाने में सहायक होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण से न केवल आर्थिक वृद्धि होती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आदतों में सुधार होता है, जिससे एक पूर्ण और सुखी जीवन का निर्माण होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गठन में भूमिका: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। हिल्टन यंग आयोग के अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग और सदस्य आर.एन. मुखर्जी, नॉरकोट वॉरेन, आर.ए. मांट, एम.बी. दादाभाई, हेनरी स्ट्राकोश थे। इसको आधिकारिक तौर पर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रूप में जाना जाता था और इसे भारत की वित्तीय प्रणाली की जाँच करने के लिए 25 अगस्त 1925 को स्थापित किया गया था, जिसके निष्कर्षों के आधार पर विधानसभा ने इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के नाम से पारित किया था। लेकिन वास्तव में इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि डॉ. अंबेडकर के विचारों में निहित थी, क्योंकि जब "भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन" भारत आया था, तो आयोग के प्रत्येक सदस्य के हाथ में डॉ. अंबेडकर की पुस्तक "द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीः इट्स ऑरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन" थी। इसके अलावा हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष डॉ. अंबेडकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक की संकल्पना के दिशानिर्देशों, कार्यशैली एवं दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था और हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट को अंबेडकर के इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया गया था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त, 1926 को प्रस्तु की थी, जिसे सितंबर 1926 के फेडरल रिज़र्व बुलेटिन में संक्षेप में प्रकाशित किया गया था। इस तरह, डॉ. अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन को जो सुझाव दिया था, उसी के आधार पर ही 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। हालांकि, अभी तक आरबीआई के गठन में डॉ. अंबेडकर के योगदान को लेकर कोई आधिकारिक साक्ष्य नहीं है। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर हिल्टन यंग कमीशन का जिक्र है, लेकिन अंबेडकर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल कुछ किताबों में इसका जिक्र मिलता है।

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वित्तीय प्रशासनः डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 'भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त' में वर्ष 1792 से 1858 के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं वित्त में परिवर्तन की ऐतिहासिक समीक्षा की गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे एवं किस तरह सार्वजनिक वित्त के लिए ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किये गए हैं। उनका मानना था कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सेना पर अत्यधिक खर्च करना राष्ट्र के व्यापक हित में नहीं है और इसके लिए व्यक्तियों से बलात वित्त वसूल करना लोकतांत्रिक दृ ष्टिकोण से उचित नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की ब्रिटिश सरकार अपने कुल बजट का 45 से 65 प्रतिशत धन सैन्य शक्ति पर खर्च करती है, जिसके लिए भूमि करों में 54 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करती रही है, जबकि इंग्लैण्ड में इसी कर की दर मात्र 10 प्रतिशत रही है। इसलिए, सैन्य शक्ति पर किए जाने वाले बजटीय व्यय में कटौती की जानी चाहिए और सरकार द्वारा नागरिकों से संग्रहित कर राशि को विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकास के कार्यों पर खर्च करना चाहिए ताकि समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित हो सके।

डॉ. अंबेडकर ने वर्ष 1792 से 1858 की अवधि के दौरान ईस्ट इंडिया कपनी के प्रशासन और वित्त में हुए बदलावों का मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकाला कि कंपनी के पास 36 साल के लिए अतिरिक्त राजस्व था, जबकि शेष 30 वर्षों के लिए घाटे में था। हालांकि, संयुक्त अधिशेष संयुक्त घाटे से अधिक था। घाटे का मुख्य कारण यह था कि भारत में धन बचाया नहीं गया था। यह कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपहार और लाभांश के रूप में चला गया। जबकि लाभांश भुगतान करने के लिए भारत में धन का प्रवाह पर्याप्त नहीं था, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारत के सार्वजनिक ऋण में वृद्धि पर पड़ा। भारतीय ऋण बढ़ गया क्योंकि कंपनी ने धन उधार लिया था। उन्होंने पाया था कि भारतीय ऋण 70 लाख पाउंड से बढ़कर 607 लाख पाउंड हो गया, जो कि वर्ष 1792 से 1857 के वर्षों में 767 प्रतिशत बढ़ गया था । हालांकि, वर्ष 1800 से 1857 में घरेलू ऋण बांड 66 लाख पाउंड से अधिक नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि भारतीय कर्ज घरेलू ऋण बांड से अधिक था।

वर्ष 1800 से 1857 की अवधि के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अकेले सैन्य खर्च पर 45 से 64 प्रतिशत तक खर्च किया, जबकि भारत में सार्वजनिक कार्यों पर नगण्य राशि खर्च की गई। एक यूरोपीय सैनिक का वेतन एक भारतीय

की तुलना में चार गुना अधिक था, यद्यपि युद्ध शांति के नाम पर लड़ा गया था, लेकिन इससे भारत में कोई प्रगति नहीं हुई। शिक्षा पर कोई खर्च नही किया गया और उपयोगी सार्वजनिक कार्यों पर बहुत कम खर्च हुआ। डॉ. अंबेडकर ने जॉन ब्राइट का हवाला देते हुए लिखा कि भारत में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यों पर खर्च किए गए धन की तुलना में इंग्लैंड के अकेले मैनचेस्टर शहर ने एक वस्तु पानी पर अधिक खर्च किया था। स्पष्ट है कि मैनचेस्टर शहर के पानी के खर्च के बराबर भी ब्रिटिश सरकार ने भारत में सार्वजनिक कार्यों पर खर्च नहीं किया है, जो ब्रिटिश सरकार की शोषक नीति को दर्शाता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारत का सार्वजनिक ऋण पूरी तरह से युद्धों के कारण था, जिसका भार भारत को उठाना पड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों में 69,49,484 पाउंड खर्च किए और इस अनुत्पादक व्यय को गरीबी से ग्रस्त भारतीयों के कंधों पर डाला गया था। भारत का राजस्व गैर–भारतीय प्रयोजन के लिए भारत के बाहर खर्च किया गया । अंबेडकर ने वर्ष 1858 के अधिनियम को विश्लेषित करते हुए बताया कि यह भारत के लिए प्रतिकूल और गैर–जिम्मेदाराना है। आर्थिक दृष्टि से भारत ने इंग्लैंड की समृद्धि के लिए बेहद योगदान दिया, लेकिन बदले में कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिला। इंग्लैंड का योगदान शाति का रखरखाव, पश्चिमी शिक्षा का परिचय, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली सहित आधुनिक संस्थानों का निर्माण जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में था।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन ने भारत का अत्यधिक आर्थिक शोषण किया, जिससे भारतीय संसाधनों का शोषण व लूट हुई और देश का विकास बाधित हुआ है। उन्होंने अपने शोधों में बताया कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने वित्तीय लूट को बढ़ावा देकर स्थानीय आबादी को शोषण और अधीनता का शिकार बनाया है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक चरित्र का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए ब्रिटिश कंपनियों के लाभ के लिए भारत को आर्थिक पतन के मार्ग पर धकेले जाने की बात कही है। उन्होंने अपने शोध कार्य में सिद्ध किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बहाने आई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका मुख्य लक्ष्य भारत का वित्तीय शोषण करना हो गया। उसने भारत के वित्तीय संसाधनों की लूट को बढ़ाकर अंततः राजनीतिक अधिपत्य भी कायम कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत लागू वित्तीय नीतियों के विश्लेषण में दिखाया कि कैसे इन नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध करना था न कि भारत का विकास करना। अंबेडकर का मानना था कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत को एक अविकसित देश बने रहना पड़ा, क्योंकि उसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के अपने आर्थिक विकास के लिए किया जाता था। परिणामस्वरूप, ब्रिटिश शासन की वित्तीय नीतियों से हुए नुकसान के कारण स्थानीय आबादी के शोषण और अधीनता की मात्रा बढ़ी है।

भारत में प्रांतीय वित्त का विकासः डॉ. अंबेडकर ने अपनी पुस्तक "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त के विकास" में वर्ष 1833–1921 के दौरान ब्रिटिश भारत में केन्द्र–राज्य के वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कराधान के माध्यम से अत्यधिक राजस्व संग्रह के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए बताया कि भारत जैसे एक गरीब देश में कराधान पर सीमाए है। नतीजतन, हानिकारक करों और अपव्यय द्वारा चिह्नित दोषपूर्ण वित्तीय प्रणाली के कारण सरकारी वित का केन्द्रीकरण विफल रहा, जिसने केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार जैसे विभिन्न रूपों में बोझ के न्याय संगत वितरण की समस्या ने महत्त्व ग्रहण किया। चूंकि वर्ष 1792 से 1870 के दौरान ब्रिटिश भारत को वित्तीय संकट के कारण मुख्य रूप से वित्त के लिए शाही व्यवस्था की अपर्याप्तता का सामना करना पडा और वित्तीय अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप बजट घाटा हुआ। स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर थी। लेकिन प्रांतों का प्रशासक कार्यकारी की प्राथमिक इकाइयों के अधीन था। सरकारी वित्त के लिए व्यय बजट प्रांतीय सरकारों द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन संसाधनों को खोजने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर बनी थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार आर्थिक तनाव में आई थी। तब यह महसूस किया गया था कि प्रांतीय सरकारों को अपना राजस्व और व्यय बजट तैयार करना चाहिए। अंततः वर्ष 1871 में प्रांतीय बजट लागू हुआ।

उन्होंने अपनी पुस्तक 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास' में विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त का उचित उपयोग करने पर बल दिया गया है। उनका कहना था कि सरकारों को जनता से संबंधित धन का इस्तेमाल न केवल नियमों, कानूनों व अधिनियमों के अनुकूल करना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकारी धन के व्यय में विश्वसनीयता, मित्तव्ययिता व बुद्धिमत्ता से भी काम ले। जनता से प्राप्त किए गए धन के प्रत्येक रूपए का हिसाब–किताब रखना चाहिए। ब्रिटिश भारत के प्रांतीय वित्त विकास के अन्तर्गत वे तीन प्रकार के बजट जैसे असाइमैन्ट द्वारा बजट, आवंटित राजस्व द्वारा बजट तथा साझा राजस्व द्वारा बजट पर चर्चा करते हैं और यह धारणा व्यक्त करते हैं कि इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करने वाली शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सामूहिक उत्तरदायित्व ही सामंजस्य स्थापित करने वाली शक्ति है। उनके अनुसार जहाँ शासन प्रणाली अच्छी नहीं होगी, वहाँ वित्त व्यवस्था अच्छी होने की आशा नहीं की जा सकती है। डॉ. अंबेडकर का यह विचार उत्तरवर्ती शासन प्रणालियों के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारों के स्तरीकरण का आधार बना है। परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों की

सरकारों (केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय निकाय) के बीच वित्त संसाधनों के विभाजन एवं वितरण पर सुझाव देने हेतु वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरणः डॉ. अंबेडकर औद्योगीकरण के बिना भारत का तीव्र विकास असंभव मानते थे। उनके अनुसार, बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन से जन उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इससे कच्चे माल का उपयोग होता है, विदेशी निर्भरता कम होती है और श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ती है, जिससे अंततः देश का समग्र आर्थिक विकास होता है। चूंकि निजी क्षेत्र के उद्योग बड़े पैमाने पर निवेश के अभाव में बड़े उद्योग नहीं बन सकते हैं। इसलिए, सरकार को बड़े पैमाने के उद्योग शुरू करने के लिए आगे आना चाहिए। लघु एवं मध्यम उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। बीमा और परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मज़दूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। आजादी के बाद वर्ष 1948 की भारत सरकार की औद्योगिक नीति डॉ. अंबेडकर की अपेक्षाओं के अनुरूप रही है।

आर्थिक विकास की रणनीतिः डॉ. अंबेडकर का मानना था कि भारत के आर्थिक विकास की रणनीति असमानताओं के उन्मूलन और जनता के शोषण की समाप्ति पर आधारित होनी चाहिए। उनके अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक संकेंद्रण को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। उनका मानना था कि समाज में शोषण के कई आयाम हैं और भारत में सामाजिक या धार्मिक शोषण आर्थिक शोषण से कम दमनकारी नहीं है, इसलिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के साथ सामाजिक या धार्मिक शोषण भी समाप्त किया जाना चाहिए।
डॉ. अंबेडकर ने संविधान समिति के समक्ष एक लोकतांत्रिक राज्य समाजवाद प्रस्तुत किया है, जिसके तहत उन्होंने सुझाव दिया कि 1) सभी बुनियादी उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य के पास होना चाहिए। 2) बीमा और कृषि का राष्ट्रीयकरण एवं प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। 3) उत्पादक संसाधनों का रखरखाव राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। 4) साझा उपज और उत्पादों का न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए। 5) भूमि या उद्योग अधिग्रहण के लिए बांड के रूप में मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए। 6) सामूहिक खेती के लिए गाँव और ग्रामीण परिवारों के बीच भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। 7) जमींदार, काश्तकार और खेतिहर मजदूरों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 8) सभी कृषि निवेश जैसे पूँजी, बीज, उर्वरक आदि सरकार द्वारा सामूहिक खेती के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 9) भू–राजस्व कर के भुगतान के बाद ही कृषि आय का वितरण किया जाना चाहिए। 10) नियमों का पालन न करने वालों के लिए उचित दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद को संविधान में शामिल किया जाए ताकि कोई भी विधायिका न तो इसे बदल सके और न अस्वीकार कर सके। लेकिन संविधान समिति द्वारा इन सुझावों को पूर्णतः स्वीकार न किए जाने के कारण लोकतांत्रिक समाजवाद उनकी उम्मीदों के अनुरूप अस्तित्व में नहीं आ सका। हालांकि, यदि इसे पूर्णतः स्वीकार किया गया होता, तो मज़दूरों, किसानों और गरीबों की स्थिति शायद मौजूदा स्थिति से अलग होती।

मानव पूंजी की अवधारणाः डॉ. अंबेडकर का मानना है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए मानव पूँजी की अवधारणा तब तक निरर्थक है, जब तक कि सामाजिक असमानता और छुआछूत खत्म नहीं हो जाता है। उनका मानना है कि बिना सामाजिक समानता और उचित सम्मान के गरीब वर्ग और दलित समूह का उपयोग भारत के आर्थिक उत्थान के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे पहले से ही सामाजिक और मानवीय गरिमा से वंचित थे। उन्होंने मानव पूँजी के विकास के लिए सामाजिक स्वतंत्रता और समानता को मूलभूत आवश्यकता माना है, न कि केवल शिक्षा या कौशल को। उनके अनुसार यदि समाज के निचले तबके को समान सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, तो उनकी मानव पूँजी का कोई अर्थ नहीं रह जाता और वह आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे सकते। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की मानव पूँजी का लाभ उठाने के लिए, उसको इंसान के रूप में सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। उनका मानना है कि वास्तविक आर्थिक विकास तभी संभव है, जब सभी को भेदभाव रहित समान अवसर मिलेंगे।

महिलाओं का आर्थिक उत्थानः डॉ. अंबेडकर ने अपने आर्थिक विचारों में महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण पर भी बल दिया है। वे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। महिलाओं के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें देश की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाएं सदियों से पुरुषों द्वारा उपेक्षित एवं विभिन्न सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास असंभव है। इसलिए, इनकी सामाजिक एवं

आर्थिक स्थिति एवं स्तर में सुधार करना आवश्यक है। उनके अनुसार "मैं प्रगति की उस डिग्री के द्वारा समुदाय की प्रगति को मापता हूं जिसे महिलाओं ने प्राप्त किया है।"

उनके अनुसार, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और समानता के विकास के बिना आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी असंभव है। उदाहरण के लिए, भारत में महिलाओं की खराब आर्थिक स्थिति के कारण, भारत की आर्थिक प्रगति बाधित रही है। इसलिए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें समान अधिकार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में, ताकि वे अपनी समस्याओं का सामना कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर और शोषित बनाती थीं। उन्होंने महिलाओं के शिक्षित होने पर ज़ोर देते हुए कहा कि शिक्षा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

श्रम सुधार एवं कल्याण: डॉ. अंबेडकर एक समाज सुधारक की दिशा में मानवतावादी दृष्टिकोण भी रखते थे, इसीलिए उन्होंने कारखानों एवं मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण, सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में भी विचार दिए हैं। उनके अनुसार औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। उनका मानना था कि श्रमिकों को अपनी मांगों को सरकार और मालिकों के सामने रखने के लिए संगठित होने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने का अधिकार होना चाहिए। वे चाहते थे कि श्रमिकों के अधिकरों और हितों के लिए श्रम संघों (ट्रेड यूनियनों) का गठन किया जाना चाहिए ताकि श्रमिक वर्ग सामूहिक रूप से अपने हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन और शोषक पूंजीपतियों के खिलाफ हडतालें आदि कर सकें। उनका विचार था कि श्रमिकों के शोषण को रोकने और इनके आर्थिक कल्याण के लिए कार्य के निश्चित घंटे, अवकाश, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा आदि सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश एवं नियम होने चाहिए ताकि किसी भी श्रमिक का मिल मालिकों द्वारा शोषण न हो सके।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि समाज में भेदभाव विशेष रूप से शोषण पर आधारित था, जो श्रमिकों के नियोजन में भी परिलक्षित होता है, जिससे श्रमिकों की प्रतिभा और उत्पादकता प्रभावित होती है। इसलिए श्रम सम्मान की पहली शर्त है कि प्रत्येक श्रम को मनुष्य के रूप में माना जाना चाहिए और सभी के लिए समानता व स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। लोगों की योग्यता और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार की ओर से उद्योग चलाने और प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। कारखाने के कामगारों के रोजगार तथा कल्याण के लिए बेहतर कानून बनवाना भी उनका एक लक्ष्य था। काम के घंटे तय करना, प्रमोशन के अवसर देना, वेतन, छुट्टियां, आवास की उपयुक्त सुविधा आदि के लिए प्रभावी कानून बनवाने के लिए सरकार को बाध्य करना उनके द्वारा स्थापित लेबर पार्टी के अन्य लक्ष्य थे (डॉ. एम. एल. परिहार, पृष्ठ–181)।, अंबेडकर के अनुसार जो सुविधाएं औद्योगिक श्रमिकों को दी जाती है वहीं सुविधाएं कृषि श्रमिकों को दी जानी चाहिए क्योंकि कृषि श्रम भी इससे अलग नहीं है। उनके अनुसार कार्य की दशाएं प्रावधाई निधि, नियोक्ता के दायित्व, कार्य की क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन आदि के लाभ सभी प्रकार के श्रम को प्राप्त होने चाहिए, चाहे वह औद्योगिक श्रमिक हो या फिर कृषि श्रमिक (डब्ल्यू. एन. कुबेर, पृष्ठ–130)। वर्ष 1918 में भारतीय कृषि में लघु जोतों की समस्या पर प्रकाशित उनका शोधपत्र खेती में छिपी बेरोजगारी सहित, उत्तरवर्ती विकास अर्थशास्त्र के कई विषयों की भविष्यवाणी करने में लगभग भविष्यसूचक रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि अतिरिक्त श्रम को अवशोषित करने के लिए भारत को औद्योगीकरण की आवश्यकता क्यों है, जो यह उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, महात्मा गांधी के देहाती दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत था।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि श्रमिकों का उत्थान सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की स्थापना के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने उचित वेतन, कार्य सुरक्षा और संगठित होने के अधिकार जैसे श्रम सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने ऐतिहासिक भेदभावों को खत्म करने के लिए रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रमिकों के लिए उचित वेतन, काम करने की बेहतर स्थिति, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे अधिकारों पर बल देते हुए कोयला खान सुरक्षा संशोधन विधेयक और अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष जैसे कानूनों का निर्माण किया, जिनसे श्रमिकों के आवास, जलापूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन जैसी सुविधाओं को सुलभ बनाया गया। उनके अनुसार, समाज में व्याप्त शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने और श्रमिकों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए कानूनी ढांचे को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके द्वारा 1945 में प्रतिपादित 'श्रम चार्टर' भारत में श्रम कल्याण योजनाओं का आधार बना, जिसमें श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, महंगाई भत्ता, लीव बेनिफिट, कर्मचारियों का इंश्योरेंस, मेडिकल लीव, एक जैसा काम–एक जैसा भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, सावधिक वेतन स्केल का रिवीज़न आदि कल्याणकारी सिद्धांतों को उजागर किया गया। डॉ. अंबेडकर के प्रयासों के परिणामस्वरूप काम करने के समय को 12

घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया गया था। यह बदलाव नवंबर 1942 में नई दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के सातवें सेशन में हुआ था।

डॉ. अंबेडकर समान कार्य के लिए समान वेतन के समर्थक थे और उन्होंने वायसराय आधिकारिक सभा में श्रम मंत्री और औद्योगिक विशेषज्ञों के रूप में भारत में "समान कार्य के लिए समान वेतन" कानून बनवाया था। चूंकि ब्रिटिश सरकार के श्रम क़ानून भेदभावपूर्ण थे, इसलिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय उन्होंने अनुच्छेद–39 (डी) को समाहित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता निभाई थी, जो राज्य के लोक नियोजन में समान वेतन की पुष्टि के लिए निर्णय लेने से संबंधित है। उन्होंने इंगित किया कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति और निष्पक्षता के निर्माण के बिना वित्तीय सुधार में समर्थन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत की आर्थिक उन्नति बाधित होने का एक कारण महिलाओं की दयनीय आर्थिक स्थिति है, जिसके लिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उन्हें समान अधिकार और व्यवसाय का अवसर देना महत्वपूर्ण है। इसलिए, देश में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान बहुत आवश्यक है।

उन्होंने दलितों और उत्पीड़ित समुदायों को रोजगार में समान अवसर दिलाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के उपायों को लागू करने का समर्थन किया ताकि ऐतिहासिक भेदभाव को दूर किया जा सके। उनके विचारों में मजदूर केवल आर्थिक समानता ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्म–सम्मान के साथ जीने का भी हकदार है। उनका मानना था कि श्रमिकों का उत्थान केवल आर्थिक समृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। वे चाहते थे कि औद्योगिक प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी भी होनी चाहिए जिससे उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण न हो सके। उनके अनुसार "यदि औद्योगिक प्रबंधन सामाजिक न्याय पर आधारित होता हैं तो औद्योगिक शांति कायम रह सकती है"। इसके लिए उन्होंने केन्द्र सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 5 से 6 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया था, जिससे देश में एक न्यायपूर्ण औद्योगिक प्रबंधन कायम हो सके।

निष्कर्ष एवं सुझावः डॉ. अंबेडकर भारत के पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक विकास पर व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए हैं। वे एक उच्च प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे, लेकिन अर्थशास्त्र में उनके योगदान को अर्थशास्त्र की मुख्यधारा में मान्यता नहीं मिल पाई है। इसका एक कारण यह भी था कि वे समय के साथ समाजवाद के करीब पहुँचते गए और उनके विचार भी बदलते गए। 1920 के दशक के पश्चात उन्होंने अर्थशास्त्र को लगभग त्याग दिया और अपना अधिकांश समय राजनीति, कानून और सामाजिक सुधार में लगा दिया। इसलिए, वे एक अर्थशास्त्री की तुलना में एक राजनेता के रूप में अधिक लोकप्रिय थे। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जो भी योगदान दिया है, वह उल्लेखनीय और अविस्मरणीय है। जैसा कि अंबीराजन (1999, पृष्ठ–3282) ने कहा है कि अंबेडकर का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी और स्वचालित मौद्रिक प्रबंधन के माध्यम से मूल्य स्थिरता की ओर है। यह वर्तमान में भी प्रासंगिक है कि बढ़ते बजट घाटे और स्वचालित मौद्रीकरण को रोकने के लिए हम एक स्वचालित तंत्र के माध्यम से तरलता निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं।

डॉ. अंबेडकर न केवल एक समाज सुधारक व सामाजिक दार्शनिक थे, बल्कि वे उत्कृष्ट अर्थशास्त्री भी थे, जो अपने समकालीन अर्थशास्त्रियों में सार्वजनिक वित्त के अग्रणी अर्थशास्त्री एडविन सैलिगमैन से प्रभावित थे। वे आर्थिक क्षेत्र में एक भविष्य वक्ता थे, क्योंकि उन्होंने उस समय जो आर्थिक सिद्धांत दिए, वे आज भी प्रासंगिक है, वे चाहे कृषि के संबध में हो या फिर भारतीय मुद्रा, प्रांतीय वित्त का विकास, कराधान नीति आदि। कृषि क्षेत्र में वे एक तरफ भूमि सुधार की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वे भारतीय मुद्रा के संबंध में उचित स्वर्ण प्रतिमान की बात पर जोर देते है ताकि भारतीय मुद्रा का मूल्य स्थिर रहे। प्रांतीय वित्त के विकास में सार्वजनिक राजस्व के बटबारे के लिए उनके द्वारा दिया गया वित्त आयोग का विचार सराहनीय रहा हैं, क्योंकि यह केन्द्र और राज्य सरकारो के बीच सार्वजनिक राजस्व का उचित विभाजन करने में सक्षम रहा है। कराधान पर उनके विचार प्रशंसा के पात्र रहे है, क्योंकि वर्तमान में जो कर नीति भारत में संचालित है, वह उन्हीं के आर्थिक विचारों पर आधारित हैं। विभिन्न आर्थिक विषयों पर उनका विश्लेषण अनुभवजन्य और ऐतिहासिक नींव पर आधारित था। उनके अनुसार प्रमुख उद्योग राज्य के स्वामित्व में संचालित होंगे। बुनियादी लेकिन गैर गहत्वपूर्ण उद्योग राज्य के स्वामित्व में होंगे और राज्य या उसके द्वारा स्थापित निगमों के माध्यम से संचालित होंगे। कृषि एक राज्य उद्योग होगा, जिसमें सामूहिक कृषि को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने औद्योगीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि अधिशेष श्रम को कृषि क्षेत्र से अन्य उत्पादक क्षेत्र में स्थानातरित किया जा सके। श्रम समस्या, जल संसाधन नीति, महिलाओं का आर्थिक उत्थान आदि में उनके विचार एक व्यावहारिक अर्थशास्त्री या आर्थिक दार्शनिक का परिचय देते हैं। इस तरह, उनके आर्थिक विचारों का केंद्रीय दर्शन 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय (अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण)' था। वे चाहते थे कि राज्य द्वारा अपनी आर्थिक नीतियाँ समाज के सभी लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

वास्तव में डॉ. अंबेडकर एक दूरदर्शी जनवादी अर्थशास्त्री थे। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान व्यापक, अंतदृष्टिपूर्ण और भारतीय संविधान के निर्माण से परे बहुत कुछ है। राज्य समाजवाद की उनकी योजना यद्यपि स्वीकार नहीं की गई, जोकि बहुत विकास उत्प्रेरक और रिफ्लेशनरी थी। उन्होंने देश की पूरी आर्थिक संरचना को संविधान के कानून के अंतर्गत लाने की बात कही, ना कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत। अपनी योग्यता और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले डॉ. अंबेडकर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली कैबिनेट में कानून मंत्री का पोर्टफोलियो देने के लिए आमंत्रित किया ताकि मुश्किलों से हासिल की गई स्वतंत्रता को अधिक तीव्रता से सुदृढ़ किया जा सके। उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी समझ एवं योगदान के कारण 'मॉर्डन मनु' कहा जाता है। वे श्रम कल्याण और महिला अधिकारों के प्रति वास्तविक योगदान के लिए मानवीय सम्मान के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने काम के दैनिक घंटों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने के संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने वर्ष 1916 में महिला सशक्तिकरण पर शोध आलेख लिखा और भारत के प्रथम कानून मंत्री होने के नाते अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने महिलाओं को विरासत और संपत्ति का अधिकार देने वाला हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड; रोजगार कार्यालय, केंद्रीय जल परियोजना, नेविगेशन सिस्टम जैसे कई शीर्ष संस्थानों की स्थापना अथवा अवधारणा का श्रेय जाता है। पृष्ठभूमि में उनका काम इन सभी संस्थानों और परियोजनाएं के लिए न केवल प्रकृति में मौलिक है बल्कि महत्वपूर्ण रूप से अग्रणी है।

उनके विशाल ज्ञान के साथ–साथ उनके विश्लेषणात्मक तर्क गढ़ने, अग्रणी देशों के संविधानों की उनकी समझ और ऐतिहासिक सोच के प्रति उनकी उत्सुकता ने उन्हें 'भारत के संविधान' जैसे अद्भुत दस्तावेज को प्रारूपित करवाने में मदद की, जिससे उन्हें "संविधान के जनक" की उपाधि दी गई है। उनका मानना था कि रचनात्मक और प्रासंगिक नीतिगत निष्कर्षों के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। शायद अर्थशास्त्र में उनकी विश्लेषणात्मक रूचि और अनवरत लगाव के कारण ही अर्थशास्त्री सी. रंगराजन ने कहा है कि "अर्थशास्त्र डॉ. अंबेडकर का पहला प्यार था"। मौद्रिक अर्थशास्त्र, प्रांतीय और सार्वजनिक वित्त, संघीय ढांचे और कृषि अर्थशास्त्र पर उनके लेखन एवं सामाजिक–आर्थिक सुधारो पर उनके विचार और गुणवत्तापूर्ण राजनीतिक विकास को संवैधानिक आकार दिलवाना न केवल उनके दूरदर्शी और अग्रणी कार्य हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिकता और मौलिकता में अद्वितीय हैं। हालांकि, भारतीय आर्थिक विचारों में काफी समय तक उनके विचारों की अनदेखी की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी सिद्धांत एवं व्यवहार, सामाजिक–सांस्कृतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान जैसे अनार्थिक क्षेत्रों में उनके योगदान जिससे उन्होंने भारतीय संविधान के वास्तुकार होने की उपाधि अर्जित की, अर्थशास्त्र में उनके लेखन पर भारी पड़ गया था। जबकि उनके आर्थिक विचार भी उतने ही सार्थक और महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, उनके आर्थिक विचार बिखरे हुए हैं, जिन्हें नए सिरे से अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी उनके द्वारा 'भारत' के बारे में देखा गया सपना अधूरा है, क्योंकि देश की विकास प्रक्रिया अभी समावेशी विकास और सम्पोषणीय विकास से दूर है। उनके सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से जुड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इसलिए, मौजूदा विकास प्रक्रिया और आर्थिक सोच की वर्तमान गुणवत्ता को समृद्ध करने, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अवयवों के गुणात्मक ज्ञान द्वारा शासन और नीति निर्माण में सुधार द्वारा यथोचित परिवर्तन के लिए उनके आर्थिक विचारों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि डॉ. अंबेडकर के आर्थिक दर्शन के सिद्धांत महत्वपूर्ण होने के साथ व्यवहार में लागू भी किए गए हैं। उनका मानवतावादी आर्थिक दर्शन प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ था और इस दृष्टि से उन्हें प्रो. अल्फ्रेड मार्शल, प्रो. आर्थर सेसिल पीगू जैसे नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समकक्ष रखा जा सकता है। उनके आर्थिक विचारों का स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद आदि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके कारण वे मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रणेता कहे जा सकते हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. हेब्बार, डी. एल. (2023)। इकॉनमिक थॉट्स ऑफ डॉ. अंबेडकर, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, वाल्यूम–5, अंक–5, सितंबर–अक्टूबर 2023, पृष्ठ 1–5, आईएसएसएनः 2582–2160।
2. कुमार, अंजन (2022)। रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ डॉ. बी. आर. अंबेडकर्स आइडियाज ऑन इंडियन इकॉनमिक एंड प्रोब्लम्स ऑफ रुपी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नॉवेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम–7, अंक–7, जुलाई–2022, पृष्ठ 627–637, आईएसएसएनः 24564184।
3. योगानंदम, जी. एवं करीम, ए. अब्दुल (2022)। डॉ. बी. आर. आंबेडकर्स कंट्रीब्यूशन टु इकॉनमिक एंड सोशल इश्यूजः अ थ्योरिकल असेसमेंट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑल रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स, वॉल्यूम–10, अंक–12, दिसंबर–2022, पृष्ठ 1706–1715, आईएसएसएनः 24556211।

4. मदावी, ए. (2022)। रोल ऑफ डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इन इकॉनमिक डेवलेपमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 10(1)।
5. देशमुख, पी. (2021)। रिलेवेंस ऑफ भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर्स इकॉनमिक थॉट्स इन प्रजेंट इरा, जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट थॉट, 12(4), पृष्ठ 251–255।
6. कुमार, एस. (2021)। डॉ. बी. आर. अंबेडकरः एक सच्चे भारतीय, यूनिवर्सल रिसर्च रिपोर्ट्स, वाल्यूम–8, अंक–1, 2021, पृष्ठ 52दृ57, आईएसएसएनः 2348–5612
7. आदित्य, हरित (2021)। इकॉनमिक्स ऑफ डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च, वाल्यूम–8, अंक–12, आईएसएसएनः 23495162।
8. सिंह, बी. पी. (2020)। डॉ. बीआर आंबेडकर्स फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऐज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिसः सोशल, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 66(4), पृष्ठ 596–608।
9. नगेश्वरी, आर. (2019)। इकॉनमिक विजन ऑफ डॉ. बीआर अंबेडकर, शानलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 7(4), पृष्ठ 29–35।
10. कुमार एस. (2019)। अंबेडकर के आर्थिक विचार और योगदान, आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, वाल्यूम–24, अंक–3, श्रृंखला–1 (मार्च 2019) 50–54, आईएसएसएनः 22790837।
11. मौर्य, राजेश एवं किरार, संजय कुमार (2019)। डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक–आर्थिक विचार, रिसर्च ऑफ रिव्यू, वाल्यूम–8 अंक मई–2019, पृष्ठ 1–11, ैच्छः 2249–894ग्।
12. परिहार, एम.एल. (2017)। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, बुद्धम पब्लिशर्स, अप्रैल 2017, पृष्ठ–181।
13. कुबेर, डब्ल्यू. एन (2017)। "डॉ. बी.आर. अंबेडकर" प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2017, पृष्ठ–130, आईएसबीएनः 978–8123025384।
14. अरोड़ा, गुलजीत के. (2016)। द राइजिंग इंडिया एंड इकॉनमिक थिंकिंग ऑफ डॉ. अंबेडकर, एकेडेमिया, वॉल्यूम–1, अंक–2, जून–दिसंबर, 2016 और वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–जून, 2017, पृष्ठ 37–48, आईएसएसएनः 23950161।
15. केंद्रीय जल आयोग (2016), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जल संसाधनों के विकास में अंबेडकर का योगदान विषय पर प्रकाशित स्मारक ग्रन्थ, द्वितीय संस्करण, 2016, पृष्ठ 233–274।
16. आर्य, आर. के एवं तपन, सी. (2014)। इकॉनमिक थॉट्स ऑफ डॉ. भीमराव अंबेडकर इन रिस्पेक्ट टु एग्रीकल्चर सेक्टर, डेवलपिंग कंट्री स्टडीज़, 4(25), पृष्ठ 84–96।
17. बग्गा, पी.एस. (2014)। डॉ. अंबेडकर द्वारा अर्थशास्त्र का अभ्यास और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता, जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज रिसर्च, वाल्यूम–3, अंक–10, अक्टूबर 2014।
18. सिंगरिया एम.आर. (2013)। डॉ. बी.आर. अंबेडकरः एक अर्थशास्त्री के रूप में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशन, आईएसएसएनः 23197722।
19. आईईए पब्लिकेशन्स (2013)। "डॉ. बी.आर.अंबेडकर्स इकॉनमिक एंड सोशल थॉट्स एंड दियर कंटेम्पररी रिलेवेंस", इंडियन इकॉनमिक एसोसिएशन (आईईए), आईईए न्यूज़लेटर, आईईए पब्लिकेशन्स, 2013, 10।
20. राम, ओम प्रकाश, सत्य रत्न सिंह एवं शिव शंकर (2013)। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आर्थिक विचारः एक सिंहावलोकन, द इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, 2013, 61–63, आलेख–8।
21. हीरालाल वामन चव्हाण (2013)। "द इकोनॉमिक थॉट ऑफ़ डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर", द इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, 2013, 155, आलेख–22।
22. सरकार, बादल (2013)। "डॉ. बी. आर. अंबेडकरः थियरी ऑफ स्टेट सोशलिज्म", इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज वॉल्यूम–2 (8), 38–41, 2013।
23. रे, इशिता आदित्य एवं रे, सर्बप्रिया (2011)। "बी.आर.अंबेडकर एंड हिज फिलॉसफी ऑफ लैंड रिफार्मः एन इवैल्यूएशन", एफ्रो एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, वाल्यूम–2, अंक–2.1।
24. सुकुमार, नारायण (2011)। बी. आर. अंबेडकरः डेमोक्रेसी एंड इकॉनमिक थियरी, "इंडियन पोलिटिकल थॉट्सः थीम्स एंड थिंकर्स", (संपादक) एम. पी. सिंह और हिमांशु रॉय, पियर्सन प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 361, 2011, आईएसबीएनः 9788131758519
25. इंगले, एम.आर (2010)। वर्तमान परिदृश्य में डॉ. अंबेडकर के आर्थिक दर्शन की प्रासंगिकता, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल, सितंबर–2010।
26. ननचारैया, जी. (2007)। विनिमय दर पर व्यापार संतुलन और वितरण, एस. थोराट एवं आर्यमा (संपादक), अंबेडकर इन रेट्रोस्पेक्टः एसेज़ ऑन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, 2007, पृष्ठ 49–57।
27. कीर, धनंजय, (2005)। डॉ. अंबेडकरः लाइफ एंड मिशन, लोकप्रिय प्रकाशन, मुंबई, पृष्ठ 403–404।
28. छीपा, एम.एल. एवं शर्मा, शंकर लाल (2004)। भारतीय आर्थिक चिंतन, कॉलेज बुक हाउस प्रकाशन, जयपुर–3, द्वितीय संस्करण, 2004, पृष्ठ 334–352।
29. अंबीराजन, एस (1999)। "अम्बेडकर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकॉनमिक्स", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वाल्यूम–34, अंक–46/47 (20–26 नवंबर, 1999), पृष्ठ 3280–3285।

30. जाधव, नरेंद्र (1991)। "निग्लेक्टेड इकॉनमिक थॉट्स ऑफ बाबासाहेब अंबेडकर", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वाल्यूम–26, अंक–15 (13 अप्रैल, 1991), पृ. 980–982।
31. अहीर, डी. सी (1990)। द लेगेसी ऑफ डॉ. बी. आर. अंबेडकर, बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ–357, आईएसबीएनः 9788170186038
32. सिम्हा, एसएलएन (1970)। 1935 से पहले मुद्रा, विनिमय और बैंकिंग, भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935–51, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई।
33. दुर्गादास (1969)। इंडियाः फ्रॉम कर्ज़न टू नेहरु एंड आफ्टर, कॉलिंस प्रकाशन, लन्दन, 1969, पृष्ठ–236।
34. "टी.वी.ए. एक्सपर्ट्स टू एडवाईस ऑन दामोदर वैली प्रोजेक्ट", इंडियन इनफार्मेशन, 1 अप्रैल 1946, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ़ डॉ बी. आर. अंबेडकर, वाल्यूम–10, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई, पृष्ठ–403।
35. अंबेडकर, बी.आर (1923)। द प्रोब्लम्स ऑफ द रुपीः इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार।
36. अंबेडकर, बी.आर (1925)। द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार।

*****

आलेख उद्धरित करें:	कुमार, सुरेन्द्र एवं कुशवाहा, योगेन्द्र कुमार (2025)। डॉ. बी आर अंबेडकर के आर्थिक विचारों का अवलोकन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 47-62।

Bundelkhand Journal of Academic Research

A Study of Progress and Status of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

Dr. Gajendra Singh 'Madhusudan'[1], Dr. Shambhu Nath Singh[2]

1. Assistant Professor (Economics), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: **2. Associate Professor (Economics & Management),** Department of Banking, Economics & Finance, Bundelkhand University Jhansi, Uttar Pradesh:

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21317065

Abstract

Agriculture continues to be the backbone of Indian economy, but the dependency of agriculture on monsoon and the uncertainty of monsoon are well known due to which India is always in the grip of Natural Calamities. India is the second most flood-affected country in the world after Bangladesh. Due to variability, uncertainty and long dry spells, about 68% of the cultivable area of the country remains drought-affected and 52% of the country's cultivated land is rain-fed. On an average, one year in every 5 years is drought-affected. One-third of the country's area opted less than 75 cm of rainfall, which is insufficient for normal productivity of crops. Sometimes the conditions of drought and flood are so devastating that they even break the backbone of the farmers. Apart from this, there are many external factors that affect farming, and cause extensive crop damage. In such a situation, providing the farmers of the country with options to deal with agricultural disasters is the most important and for this, agricultural insurance is the most powerful institutional tool to protect farmers from weather uncertainty and provide financial security. The paper examines the Progress and Status of the PMFBY.

Article Info			
	Received: 03 July, 2025	**Accepted:** 27 August, 2025	**Published: 30 Sept, 2025**
	Table: 07	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 36
	Keywords: Calamity, Insurance, Premium, Uncertainty, Financial Security.		

Introduction of PMFBY: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), approved by the Cabinet on 13th January, 2016, is a result of the best experiences obtained so far in operating crop insurance in the country and continuous efforts made by the Government in this regards.

In PMFBY Insurance protection for notified food crops, oilseeds and annual horticultural/commercial crops, fixed maximum premium for all farmers Kharif season 2%, Rabi Season 1.5%, Annual Commercial/horticultural crops 5% of sum insured. The difference between actual premium and the rate of Insurance payable by farmers shall be shared equally by the Centre and State. Claims of full Sum Insured (SI) without capping in SI. If the sowing is not done due to adverse weather/climate, claims/indemnity upto 25% of sum insured will be paid for prevented sowing/planting risk. When the crop yield is less than the guaranteed yield of notified crops, the indemnity payment equal to shortfall in yield is payable to all insured farmers. On account advance

payment, up to 25% of likely claims will be paid as immediate relief .Losses caused by inundation, hailstorm and landslide would be assessed at individual farm level. Post-harvest losses assessment for damage to crops in cut and spread in the field up to 14 days on account of cyclonic rain and unseasonal rain in the entire country.

The main objective of the PMFBY is to support sustainable production in agriculture sector by way of (a) providing financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events; (b) stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming; (c) encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices; (d) ensuring flow of credit to the agriculture sector.

Literature Review:

S.S. Mahajan (2012) analyzed the National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) for the period 1999-2008 i.e. 9 years. The study revealed that Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh and Rajasthan have dominated in the implementation of NAIS compared to other states. The main problem is that most of the crops are not covered under NAIS as payment of insurance claims is subject to crop cutting experiments, while another is that there is a gap between data release at various departments and administrative level, delaying the timely availability of data.

Mamta Swain (2016) has done a comparative evaluation of the performance of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and pilot Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) in the state of Odisha. The study revealed that WBCIS performed better than NAIS due to its higher acceptance rate, higher percentage of benefited farmers, lower premium, faster claim payment. The study also suggests encouraging private participation by providing subsidies, guarantees and reinsurance facilities.

Deepa, Limasunep and Feroz (2018) studied the implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) in the North Eastern states based on indicators such as area insured per farmer, percentage of benefited farmers, claims paid per farmer, ratio of claims paid to gross premiums and profits to companies. They found that the penetration of NAIS is very inadequate. Insurance schemes have generally been co-sold with crop loans. They concluded that despite the introduction of NAIS as a tool for risk management in the North Eastern states, it has served very limited purpose. The obvious reason for low coverage in the Northeast could be lack of awareness about crop insurance schemes or high premiums.

Ashish Chauhan and Chetna Marwadi (2020) evaluated the performance of two main crop insurance schemes NAIS and PMFBY in Gujarat on four parameters such as farmers insured, farmers benefited, sum insured and claims paid. They found that under NAIS, the insured farmers benefited and the claims paid from the sum insured were the highest in the year 2009. After the implementation of the scheme, there was an increase of 39.53% in insured farmers. Though there was a decrease in the farmers benefited under PMFBY in the first year, thereafter it increased by about 58% in the Kharif season. However, the claims paid per farmer during the Kharif season of 2017 (52.08%) has been lower than the national average.

Madhusudan, G. Singh and Singh, Shambhu Nath (2024) in their study "Implementation of Crop Insurance Programme in Bharat: An Empirical Study" found that Since independence, the Government of Bharat (GOB) has launched various crop insurance schemes intermittently to sustain the farmers' income levels. Howeover, the success of PMFBY should be judged from coverage of non-loanees who are free to opt for the scheme and which the primary focus of the scheme is also. Coverage of non loanee farmers under PMFBY has increased to about 32% of the total coverage as against below 5% under erstwhile schemes. Another positive feature of the scheme has been the removal of cap on the sum insured and equating it with scale of finance. This

has not only allowed maximum risk coverage to the farmers but claims per farmer and claims per hectare also went up substantially as compared to previous years. Sum insured per farmer per crop increased from Rs.22123 in 2014-15, Rs.23715 in 2015-16 to Rs.34968 in 2016-17. As compared to 2014-15 and 2015-16 which were bad monsoon years when the claims per hectare were Rs.1777 and Rs.4118 respectively, in 2016-17, despite it being a good monsoon year the claims per hectare are Rs.2525. Even claims per farmer in 2016-17 were Rs.12860 as compared to Rs.7256 in 2015-16 and Rs.4107 in 2014-15. Overall, the scheme envisages end to end solutions through integration of all stakeholders on a common crop insurance portal with tight timelines for each of the stages right uptill claim settlement in farmer's accounts. A lot however, depends on the progress of stakeholders in adoption of technological advancements envisaged in the scheme.

Objectives of the Study: In this research paper, an attempt has been made to know to what extent PMFBY has been successful in financially compensating farmers for crop loss due to non preventable risk. Therefore, the main objectives of study are as follows.

1) To study the nationwide expansion of the scheme.
2) To Study the coverage of States/UTs and Crops under scheme
3) To Study the coverage of Farmers and Area under Schemes
4) To Analyze the Cost-Benefit of the scheme for farmers.
5) To Study the insurance claims received by farmers due to crop loss.

Need for the Study: Since its inception, this scheme has been one of the selected flagship schemes of the Government of India and has been successfully implemented in 16seasons during the last 8years. During this period, to maintain the relevance of the scheme and to make its implementation effective, it is being reviewed at the national level every 6months. While the provisions of the scheme have been extensively revised twice so far. Despite all this, many states like Bihar, West Bengal and Gujarat have dropped the implementation of the scheme. Therefore, it becomes necessary to study the progress and status of the scheme in terms of the agriculture and the condition of farmers in the 8year period of implementation of the scheme.

Methodology: This study is completely based on secondary data. This study evaluates the performance of PMFBY in different states using data on insured farmers, benefited farmers, claims paid and sum insured. In case of PMFBY, data has been collected for the period from 2016-17 to 2023-24 i.e. for 8 years. Reports of various Government agencies including Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Agriculture at a Glance, Agricultural Census 2015-16 and Crop Situation in India have been used. Thereafter, computerized numerical data analysis with the help of MS Excel software and graphical basis as required.

Coverage of States/UTs under PMFBY: As per Table-1 that the number of States/UTs implementing PMFBY in Kharif season ranged from 19 to 23. Out of the total States/UTs of the country, the States implementing the scheme in Kharif season was maximum 63.89% in Kharif 2017 and minimum 52.78% in Kharif 2020. Whereas, the number of States/UTs implementing PMFBY in Rabi season ranged from 18 to 25. Out of the total States/UTs of the country, the States/UTs implementing PMFBY in Rabi season was maximum 69.44% in Rabi 2016-17 and minimum 50.00% in Rabi 2020-21.

Table-1 :Number of PMFBY implementing States/UTs

Years	States/UTs in Kharif		States/UTs in Rabi		Total States/UTs
	(number)	(%)	(number)	(%)	(number)
17-2016	21	58.33	25	69.44	36
2017-18	23	63.89	21	58.33	36
19-2018	22	61.11	21	58.33	36
20-2019	20	55.56	19	52.78	36
21-2020	19	52.78	18	50.00	36
22-2021	20	55.56	20	55.56	36
23-2022	21	58.33	22	61.11	36
20232-4	21	58.33	21	58.33	36

Source: Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, New Delhi.

Overall, the PMFBY has been not implemented all India level in the 16 crop seasons in the last 8 years (2016-17 to 2023-24) and maximum of 70% of the States/UTs of the country have implemented the scheme. Therefore, it may be stated that the coverage of PMFBY is not all India level.

Coverage of Crops under PMFBY: As per Table-2, that the year 2016-17 to 2023-24, the number of both agricultural and horticultural crops insured under PMFBY in Kharif season has ranged from 82 to 123. Whereas in Rabi season, the number of crops insured under PMFBY has ranged from 105 to 165. However, in the total insured crops under PMFBY, the share of Kharif season crops has ranged from 39.61 to 44.44% and Rabi season crops has ranged from 55.56 to 60.39%.

Table- :2Number of Crops Insured under PMFBY

Years	Crops insured in Kharif			Crops insured in Rabi			Total Crops insured
	Agriculture	Horticulture	Total	Agriculture	Horticulture	Total	
2016-17	35	49	**84**	36	69	**105**	**189**
2017-18	38	56	**94**	39	81	**120**	**214**
19-2018	38	57	**95**	40	82	**122**	**217**
20-2019	37	48	**85**	40	83	**123**	**208**
21-2020	36	46	**82**	36	89	**125**	**207**
22-2021	49	57	**106**	53	95	**148**	**254**
23-2022	54	59	**113**	60	98	**158**	**271**
20232-4	54	69	**123**	59	106	**165**	**288**

Source: Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, New Delhi.

Overall, there has been a steady increase in the number of crops insured under PMFBY in the last 8years (17-2016to (24-2023 except for some deviations during the 16crop seasons. The number of crops insured under PMFBY in both seasons of 17-2016was 189, which increased to 288 in .24-2023

Coverage of Farmers under PMFBY: According to Table-3, in 2016-17, the first year of implementation of PMFBY, a total of 562.71 lakh farmer applications were insured. This number of insured farmer applications has been 512.43in 18-2017, 560.37in 19-2018, 592.61in 20-2019, 613.06in 21-2020, 819.93in 22-2021, 1108.12in 23-2022and 1390.06lakh in .24-2023 It is clear

that after the increase in of insured farmer applications under the scheme in 2016-17, a sudden decrease has been observed. But after this, a continuous increase has been observed.

If look at the insured farmers according to Kharif and Rabi seasons, insured farmer applications has always been higher in Kharif season as compared to Rabi season. Under the scheme, 392.2 lakh farmer applications were insured in Kharif-2016, 342.8 in 2017, 334.1 in 2018, 407.9 in 2019, 418.6 in 2020, 498.1 in 2021, 684.3 in 2022 and 854.1 lakh in Kharif-2023. Whereas 170.5 lakh farmer applications were insured in Rabi 2016-17, 169.7 in 2017-18, 226.3 in 2018-19, 184.6 in 2019-20, 194.4 in 2020-21, 321.8 in 2021-22, 423.8 in 2022-23 and 535.9 lakh in Rabi 2023-24.

In the year 2016-17, total loanee farmer applications were 427.69 lakh. This number of loanee farmer applications was 370.61 lakh in 2017-18, 345.91 in 2018-19, 369.26 in 2019-20, 392.16 in 2020-21, 610.46 in 2021-22, 748.92 in 2022-23 and 861.63 lakh in 2023-24. It is clear that after the increase of insured loanee farmer applications under the scheme in the 2016-17, a sudden decrease was observed but thereafter a continuous increase has been observed from 2019-20 onwards. Thus, the share of loanee farmer applications in total farmer applications has ranged from 61.99 to 76.01% during the last 8 years (2016-17 to 2023-24).

Table-3: Farmer Applications Insured under PMFBY

Year (Both Season)	Farmer Applications Insured				
	Loanee		Non-Loanee		Total
	(lakh)	(%)	(lakh)	(%)	(lakh)
2016-17	427.69	76.01	135.02	23.99	562.71
2017-18	370.61	72.32	141.81	27.67	512.43
2018-19	345.91	61.73	214.46	38.27	560.37
2019-20	369.26	62.31	223.36	37.69	592.61
2020-21	392.16	63.97	220.91	36.03	613.06
2021-22	610.46	74.45	209.47	25.55	819.93
2022-23	748.92	67.58	359.2	32.42	1,108.12
2023-24	861.63	61.99	528.43	38.01	1,390.06
Grand Total	**4,126.65**	**67.00**	**2,032.65**	**33.00**	**6,159.30**

Note: *Business Statistics as on 30.06.2024, but Kharif-2023 & Rabi 2023-24 enrollment and claim data yet to be finalized, Kharif-2022 & Rabi 2022-23 claim calculations not yet finalized.*

Source: Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, New Delhi.

The total non-loanee farmer applications were 135.02 lakh in 2016-17. This number of non-loanee farmer applications has been 141.8 in 2017-18, 214.5 in 2018-19, 223.4 in 2019-20, 220.9 in 2020-21, 209.5 in 2021-22, 359.2 in 2022-23 and 528 lakh in 2023-24. It is evident that the absolute number of non-loanee farmer applications insured under the scheme has shown a steady increase from 2016-17 to 2019-20, but the absolute coverage of non-loanee farmer applications has decreased in the years 2020-21 and 2021-22. After this, a continuous increase has been observed. Thus, during the last 8 years (2016-17 to 2023-24), the share of non-loanee farmer applications in total insured farmer applications has ranged from 23.99 to 38.27 percent.

Since the coverage of loanee farmers has been mandatory till Kharif 2020 under the scheme, it was difficult to estimate the voluntary coverage of loanee farmers. Therefore, it becomes necessary to estimate the trend of coverage of non-loanee farmers to understand the reach of the scheme after the provision of mandatory coverage of loanee farmers is abolished. In this regard, the share of non-loanee farmer applications in total insured farmer applications was 23.99 percent in

2016-17. This share has been 27.67 in the year 2017-18, 38.27 in 2018-19, 37.69 in 2019-20, 36.03 in 2020-21, 25.55 in 2021-22, 32.42 in 2022-23 and 38.01 percent in 2023-24.

Table-4: Insured Farmer against Operational Holdings

Year (Both Season)	Total Farmer Insured (lakh)	No. of Operational Holdings, 2015-16 in India (lakh)	Insured Farmer against Operational Holdings (%)
2018-19	363.49	1464.54	24.82
2019-20	297.11	1464.54	20.29
2020-21	268.79	1464.54	18.35
2021-22	259.01	1464.54	17.69
2022-23	302.60	1464.54	20.66
2023-24	375.23	1464.54	25.62

Source: https://pmfby.gov.in/adminStatistics/dashboard and Operational Holdings as per All India Agri Census 2015-16, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, New Delhi.

In this way, during the last 8 years (2016-17 to 2023-24), the share of non-loanee farmer applications in total insured farmer applications has been from 23.99 to 38.27 percent. It is clear that even after the abolition of the provision of mandatory coverage of loanee farmers; there has been no significant change in the coverage trend of the scheme. The coverage of non-loanee farmers was 38.27 percent in 2018-19, which was the maximum. After this, the second maximum coverage was in 2023-24, which was 38.01 percent.

Table-4 shows the comparative coverage of farmers insured under the scheme and total operational holdings farmers of the country during the last 6 years (2018-19 to 2023-24). As per table that in both the seasons of 2016-17, 363.49 lakh farmers were insured under the scheme, which was 24.82 percent of the total operational holder farmers. This share has been 20.29 in the year 2019-20, 18.35 in 2020-21, 17.69 in 2021-22, 20.66 in 2022-23 and 25.62 percent in 2023-24. In this way, from 259.01 lakh to 375.23 lakh farmers have been insured under the scheme during the last 6 years. Overall, out of 1464.54 lakh landholding farmers in the country, only 17.69 to 25.62 percent farmers could be insured under the scheme, which can't be called satisfactory.

Coverage of Area under Crop Insurance Schemes: Coverage of insured area against Gross Cropped Area (GCA) under Crop Insurance Schemes operated in the country is given in Table-5.

Table-5: Coverage of GCA under Crop Insurance Schemes

Years	Area Insured (Lakh Hectares)	All India Gross Cropped Area (Lakh Hect.)	Coverage of GCA under Crop Insurance	GCA of Crop Insurance Implementing States (Lakh Hect.)	Coverage of GCA of Crop Insurance Implementing States
2000-01	163.3	1,853.4	8.8%	1,483.4	11.0%
2005-06	277.5	1,930.5	14.4%	1,841.3	15.1%
2010-11	375.1	1,976.8	19.0%	1,887.2	19.9%
2015-16	523.9	1,970.5	26.6%	1,804.3	29.0%
2016-17	565.6	2,002.0	28.3%	1,901.1	29.8%
2017-18	508.1	2,002.0	25.4%	1,912.7	26.6%
2018-19	534.8	2,002.0	26.2%	1,836.4	28.6%
2019-20	571.8	2,002.0	25.2%	1,728.4	29.2%
2020-21	483.0	2,002.0	24.1%	1,454.1	33.2%
2021-22	452.7	2,002.0	22.6%	1,462.8	30.9%
2022-23	501.3	2,002.0	25.0%	1,628.4	30.8%

2023-24	597.6	2,002.0	29.9%	1,654.5	36.1%

Source: Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, New Delhi. **Note:** GCA data for the year 2016-17 has been used for subsequent years to understand the coverage of PMFBY.

As per Table-5 that the status of crop insurance coverage of the country before implementing PMFBY, 16 years ago, i.e. in the year 01-2000, the insured area of the country was 163.3 lakh hectares, which increased to 277.5 in 06-2005, 375.1 in 11-2010 and 523.9 lakh hectares in .16-2015Thus, the crop insurance coverage in the country was %8.8 of the gross cropped area in 01-2000, which increased to %14.4 in 06-2005, %19.0 in 11-2010 and %26.6 in .16-2015 Thereafter, PMFBY was operated from the year 2016-17 and in the initial year 2016-17, the insured area of the country increased to 565.6 lakh hectares, which was 28.3% of the GCA of that year. However, after this, there has been a deviation in the insured area. But in the year 2023-24, the insured area of the country increased to 597.6 lakh hectares, which is 29.9 percent of this year's GCA and this is the maximum crop insurance coverage as yet.

Overall, the insured area in the country under the crop insurance schemes during the implementation period of PMFBY over the last 8 years has ranged from 452.7 to 597.6 lakh hectares, covering 22.6 to 29.9 percent of the gross cropped area of the country.

Cost-Benefit Analysis of PMFBY for Farmers: As per Table-6 shows the amount of claim paid against farmer premium, gross premium and sum insured under PMFBY for both the seasons from 2016-17 to 2023-24, so that the status of claim amount received by the farmers who insured crops under the scheme may be understood.

Table-6: Cost-Benefit Analysis of PMFBY for Farmers

Year (Both Season)	Farmers Premium (Rs. Crore)	Gross Premium (Rs. Crore)	Reported Claims (Rs. Crore)	Paid Claims (Rs. Crore)	Farmer Applications Paid Claims (lakh)	Claim Ratio	Claim Ratio to Sum Insured	Claim Ratio to Farmers Premium
2016-17	3,698.0	20,071.0	15,148.9	15,148.9	139.2	75.50%	7.86%	409.65%
2017-18	3,741.8	22,230.1	20,298.9	20,292.2	161.6	91.30%	10.65%	542.31%
2018-19	4,168.9	26,765.1	25,904.7	25,843.2	216.6	96.80%	11.72%	619.90%
2019-20	3,880.3	28,751.3	24,596.8	24,333.8	221.0	85.60%	11.97%	627.11%
2020-21	3,702.6	29,954.0	20,324.4	20,132.5	192.3	67.90%	10.46%	543.74%
2021-22	3,348.2	27,968.7	18,860.8	18,643.8	337.1	67.40%	10.73%	556.83%
2022-23	3,569.4	28,459.6	16,715.6	16,463.8	309.1	58.70%	8.01%	461.25%
2023-24	2,726.0	26,386.1	10,108.6	7,375.3	149.1	38.30%	2.87%	270.55%
Grand Total	**28,835.1**	**2,10,585.8**	**1,51,958.8**	**1,48,233.5**	**1,725.9**	**72.20%**	**9.06%**	**514.07%**

Business Statistics as on 30.06.2024, but Kharif-2023 & Rabi 2023-24 enrollment and claim data yet to be finalized, Kharif-2022 & Rabi 2022-23 claim calculations not yet finalized.

Source: Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, New Delhi.

It is clear from the table that during the last 8 years (2016-17 to 2023-24), claims amount Rs.1,48,233.5 crore have been paid to the insured farmers against the farmer premium of Rs 28,835.1 crore collected from the farmers. This claim amount was 514.07 percent against the farmer's premium. This means that the insured farmers received 5.14 times more claim amount than their paid premium.

It is significant that during the last 8 years, an amount of Rs 16,35,557.00 crore was sum insured by the insurance companies against the gross premium of Rs 2,10,585.8 crore, while claims

amount Rs 1,48,233.5 crore were paid. In this view, the scheme can't be termed as a successful as only 9.06 percent of the sum insured and 72.20 percent of the gross premium have been claims paid.

Overall, the claim ratio against farmer premium ranged from 270.55 to 627.11 percent, against gross premium from 38.30 to 96.80 percent and against sum insured from 2.87 to 11.97 percent has been paid during the years 2016-17 to 2023-24.

Farmers Benefited under PMFBY: Insurance is a business of risk and the payment of claims under the scheme is based on the notified area, risk level and crop loss. Therefore, the benefit to farmers under the scheme depends on the loss in the yield of the notified crop and the risk level of area. If the monsoon conditions are favorable for the crops, the claims will be less, whereas in case the seasonal conditions are adverse for the crops, the claims will be high.

Table-7: Beneficiary Farmer Applications against insured Farmer Applications under PMFBY

Year (Both Season)	Total Farmer Applications Insured (lakh)	Benefitted Farmer Applications (lakh)	Beneficiary Farmer Applications against insured Farmer Applications (%)
2016-17	562.71	139.18	24.73
2017-18	512.43	161.58	31.53
2018-19	560.37	216.57	38.65
2019-20	592.61	220.97	37.29
2020-21	613.06	192.29	31.37
2021-22	819.93	337.11	41.11
2022-23	1,108.12	309.12	27.90
2023-24	1,390.06	149.08	10.72
Grand Total	**6,159.30**	**1,725.91**	**28.02**

Business Statistics as on 30.06.2024, but Kharif-2023 & Rabi 2023-24 enrollment and claim data yet to be finalized, Kharif-2022 & Rabi 2022-23 claim calculations not yet finalized.

Source: Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Governmentof India, New Delhi.

As per table-7, it is clear that during the last 8 years (2016-17 to 2023-24), 1725.91 lakh farmer applications have benefited in comparison to 6159.30 lakh insured farmer applications, which is 28.02 percent of the total insured farmer applications. This share of benefited farmers has been 24.73 in 2016-17, 31.53 in 2017-18, 38.65 in 2018-19, 37.29 in 2019-20, 31.37 in 2020-21, 41.11 in 2021-22, 27.90 in 2022-23 and 10.72 percent in 2023-24.

It is clear that the benefited farmer applications from 2016-17 to 2018-19 has reflected an increase, but thereafter a deviation in the growth has been observed. Overall, during the last 8 years, 41.11 farmer applications have benefited in 2021-22, which is the maximum level as yet. On this basis, it may be stated that at the all-India level, the percentage of insured and benefited farmers has increased in the subsequent years as compared to the year 2016-17.

Results and Suggestions: On the basis of the results obtained from the presented study, it may be concluded that the PMFBY has been not implemented all India level in the 16 crop seasons in the last 8 years (2016-17 to 2023-24) and maximum of 70% of the total States/UTs of the country have implemented the scheme. The number of crops insured under PMFBY in the last 8 years (2016-17 to 2023-24) has been steady increase in except some deviations during the 16 crop seasons. The number of crops insured under both seasons of 2016-17 was 189, which increased to

288 in 2023-24. Therefore there is a need to expand the scheme to more states and crops of the country.

A total of 562.71lakh farmer applications were insured in the first year of implementation of PMFBY in 17-2016, which has increased to 1390.06lakh insured farmer applications in -2023 .24 It is clear that after the increase of insured farmer applications under the scheme in 2016-17, a sudden decrease has been observed. But after this, a continuous increase has been observed. In the last 8 years (2016-17 to 2023-24), the share of non-loanee farmer applications in total insured farmer applications has been from 23.99 to 38.27 percent. It is clear that even after the abolition of the provision of mandatory coverage of loanee farmers; there has been no significant change in the coverage trend of the scheme.

The insured area of country under the crop insurance schemes during the implementation period of PMFBY over the last 8 years has ranged from 452.7 to 597.6 lakh hectares, covering 22.6 to 29.9 percent of the gross cropped area of the country. The insured area of the country has shown a decrease during the years 2020-21 and 2021-22. Hence, the coverage of the insured area has not increased as per the target of the scheme nor has there been any success in attracting more states in terms of area expansion.

In the last 8 years, an amount of Rs. 16,35,557.00 crore was insured by the insurance companies against the gross premium of Rs.2,10,585.8 crore, while claims amount Rs. 1,48,233.5 crore were paid. In this view, the scheme can't be termed as a successful as only 9.06 percent of the sum insured and 72.20 percent of the gross premium have been claims paid. Although, the claim ratio against farmer premium ranged from 270.55 to 627.11 percent, against gross premium from 38.30 to 96.80 percent and against sum insured from 2.87 to 11.97 percent has been paid during the years 2016-17 to 2023-24.

The benefited farmer applications from 2016-17 to 2018-19 has reflected an increase, but thereafter a deviation in the growth has been observed. During the implementation of last 8 years, 41.11 farmer applications have benefited in 2021-22, which is the maximum level as yet. On this basis, it may be stated that at the all-India level, the percentage of insured and benefited farmers has increased in the subsequent years as compared to the year 2016-17.

It is also clear from the discussion that PMFBY would not be sufficient to cover all the pure risks arising from agricultural activities. To protect farmers against various kinds of climatic risks, a comprehensive risk mitigation strategy needs to be planned rather than just focusing on crop insurance.

Conclusion: Since independence, the Government of India has launched various crop insurance schemes intermittently to sustain the farmers' income levels. Currently, two crop insurance schemes are operating in India, i.e., Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and the Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS). As compared to previous schemes, the PMFBY has come up with modified features, i.e., one premium, one season; coverage of all kharif and rabi seasons and all annual commercial and horticulture crops; risks covered from the pre-sowing period to the post-harvesting period; use of modern technology for assessment of crop losses, such as drones and GPS; claim paid directly into farmers accounts; three levels of indemnity offered, namely 70 percent, 80 percent, and 90 percent. To make it more successful and farmer-friendly, some new features have been added, such as voluntary participation for all farmers, business allocation to insurance companies for three years rather than one, linking with the Aadhaar card, mandatory requirements for states to pay subsidies on time, and flexibility for states to decide on additional risk coverage; however, we found that PMFBY showed limited success during 2016–17 to 2023–2024.

In conclusion, insurance is a business of risk and risk is an inherent part of our agriculture. Therefore, PMFBY is a better option to provide risk mitigation tool to the agriculture sector and provide financial security to farmers against natural calamities, which needs to be expanded in area and coverage along with making insurance easy and quick in the claim payment system.

Sources & References:

1. Mahajan S.S. (2012) 'Growth of NAIS: A Study of crop Insurance in India', 'Bauddhik', volume-3 Issue-1.
2. Swain, Mamata (2016) 'Performance of Crop Yield and Rainfall Insurance Schemes in Odisha: Some Empirical Findings', 'Agricultural Economics Research Review', Vol. 28, Issue 2.
3. Singh, Archana (2016) 'Agriculture Insurance in India' Bimaquest, Vol. 16 Issue 2.
4. Deepa, Limasunep and Feroze (2018), 'Crop Insurance in North Eastern States of India: Performance of National Agricultural Insurance Scheme, 'International Journal of Agriculture Sciences', Volume 10, Issue 11.
5. Marvadi Chetana and Chauhan Ashish (2020) 'Evaluating the Performance of Crop Insurance Schemes in Gujarat' 'Science, Technology and Development' Volume IX Issue IV.
6. Agricultural Statistics at a Glance (2016, 2017, 2019, 2021 & 2022), Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and farmers welfare, Government of India, New Delhi
7. Arshad, M., Amjath-Babu, T., Kächele, H. & Müller, K. (2016). What drives the willingness to pay for crop insurance against extreme weather events (flood and drought) in Pakistan? A hypothetical market approach. Climate and Development, 8, 234-244.
8. CAG (2017), Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of Agriculture Crop Insurance Schemes, Union Government (Civil), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of Bharat Report No. 7 of 2017.
9. CSE (2017), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: An Assessment, Centre for Science and Environment, New Delhi (https://www.cseindia.org/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-anassessment-7778).
10. Ghosh, R. K., (2019). Performance Evaluation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Part-I&II): Governance Analysis, Center for Management in Agriculture (CMA), Indian Institute of Management Ahmedabad, India.
11. Ghosh, Sumit. (2019). An analysis of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: Expectations and Reality. International Journal of Advanced Science and Technology 28: 788–94
12. Gulati, Ashok, Prerna Terway, and Siraj Hussain. (2018). Crop Insurance in India: Key Issues and Way Forward. Available online: https://www.think-asia.org/handle/11540/8052
13. Hussain, Siraj. (2020). What Can the Centre Learn from How States Are Managing Their Own Crop Insurance Schemes? July 31. Available online: https://thewire.in/agriculture/pm-fasal-bima-yojana-centre-states-crop-insurance.
14. Tiwari, Rajesh, Khem Chand, and Bimal Anjum. (2020). Crop Insurance in India: A Review of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). FIIB Business Review 9: 249–55.
15. GOB (2023), 'Farmers Covered under PMFBY' answered by Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 17th Lok Sabha Session-XI, Unstarred Question No. 3275 on 21.03.2023
16. GOB (2023), 'Implementation of PMFBY' answered by Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in Rajya Sabha Session-260, Unstarred Question No.969 on 28.07.2023
17. https://pmfby.gov.in/adminStatistics/dashboard
18. https://pmfby.gov.in/stateWiseDataPage
19. https://pmfby.gov.in/compendium-files
20. Agriculture Census 2015–16, All India Report on Number and Area of Operational Holdings, 5, 2018, http://agcensus.nic.in/document/agcen1516/T1_ac_2015_16.pdf.
21. https://agricoop.nic.in/en/all-india-crop-situation
22. http://www.aicofindia.com/ AICEng/General_Documents/Product_Profiles/PMFBY/PMFBY.pdf
23. https://icrier.org/pdf/Working_Paper_352.pdf, Crop Insurance in India: Key Issues and Way Forward

*****

Cite the article:	Madhusudan, Dr. Gajendra Singh and Singh, Dr. Shambhu Nath (2025). A Study of Progress and Status of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-1, Issue-I, July-September 2025, Pages 63-72.

Bundelkhand Journal of Academic Research

Nanocomposites of Magnetically Retrievable Cellulose and Metal Oxide Frameworks for Efficiency in Concurrent Pollutant Removal

Madhubala Sarojny
Assistant Professor (Chemistry), Government Degree College Bilauli, Jhansi, Uttar Pradesh
(**Corresponding Author:** dohareas@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.22184665

Abstract

The complexity of industrial wastes has increased significantly with the increase in number of pollutants that are discharged in a single waste stream, and conventional single pollutant treatment processes have become largely ineffective. This scientific work offers a comprehensive study of the synthesis, characterization and application of magnetically recoverable metal-organic frameworks (MOF) and transition metal oxide (TMO) composites based on cellulose. The intrinsic biocompatibility, hydrophilicity and functional group density of nanocellulose makes these composite materials more suitable than unmodified metal-organic frameworks to overcome their structural vulnerability and tendency for agglomeration. The superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs), primarily magnetite Fe_3O_4 particles, overcome the technical challenge of post-treatment separation of the solid adsorbents from the liquid solution by being easily recovered from the liquid by external magnetic field. The composites of MCNC presented significant specific surface area (Type IV isotherms and mesoporous structure) that leads to outstanding adsorption property. These materials have shown excellent performance for the simultaneous removal of heavy metal cations (e.g., Pb(II), Cu(II), As(III)), synthetic dyes (e.g., methylene blue, malachite green) and pharmaceutical micropollutants (e.g., tetracycline). The adsorption phenomenon in these complex multisolute systems is mainly described by pseudo-second order kinetic model and follows the Langmuir and extended Langmuir isotherm models indicating that the primary removal phenomenon is monolayer chemisorption. The synergy between electrostatic attraction, Lewis acid-base interactions, π-π stacking and hydrogen bonding allows distinct contaminants to bind to different active sites without the complete competitive exclusion of other contaminants, mechanistically. Moreover, thermodynamic evaluations validate the spontaneity of the adsorption mechanism. Due to their outstanding chemical stability and reusability, these magnetic composites are a highly promising, scalable and sustainable approach for comprehensive purification of complex wastewater systems.

Article Info			
	Received: 23 July, 2025	**Accepted:** 30 August, 2025	**Published: 30 Sept, 2025**
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 15
	Keywords: Antibiotics, Photosynthesis, Environment, Thermodynamic.		

1. Introduction: Pollution of a variety of industrial and agricultural wastes into fresh water has led to a major environmental challenge in the 21st century. Today's wastewater is not made up of

single pollutants – it is a complex mix of multiple components that contain all sorts of heavy metals, synthetic organic dyes, and persistent pharmaceuticals, such as antibiotics. Co-occurrence of such contaminants creates greater environmental risks. Heavy metals are very dangerous, persistent in the environment and have the potential to bioaccumulate, while organic dyes and antibiotics disrupt the photosynthesis in the water and increase the rate of antimicrobial resistance. Therefore, the development of resilient remediation systems that are able to effectively and simultaneously remove these vastly different contaminants is essential for environmental engineering and public health.

Of all the physicochemical treatment methods (membrane filtration, chemical precipitation, advanced oxidation and electrodialysis), adsorption is known for its simplicity, low cost and highly effective performance at low concentrations. The structural properties and surface chemistry of the adsorbent material, and the binding strength, are the key factors in determining the effectiveness of any adsorption system. While traditional adsorbents, such as activated carbon, unaltered biochar, and pure metal oxides, can exhibit limited specific surface areas, limited functional adaptability, and non-selective adsorption characteristics, particularly when the environment includes multiple solutes, where the competition for adsorption can greatly reduce overall effectiveness.

Recognizing the limitations of traditional materials, metal-organic frameworks (MOFs) have emerged as a novel class of highly crystalline, porous coordination polymers. MOFs consist of inorganic metal nodes connected together by multidentate organic connectors with a broad spectrum of functional groups, a remarkably high number of which can be modified, and a very high specific surface area, in addition to a highly tunable pore structure. Despite their high potential for selective molecular capture, pristine MOFs can often lack structural fragility, hydrolytic durability, and strong tendency to aggregate into non-porous macro-clusters when placed in aqueous solutions to be effectively used in large-scale wastewater treatment.The combination of MOFs with environmentally friendly, organic-based biopolymers, especially nanocelluloses, has resulted in a novel structural solution that addresses these shortcomings. Cellulose is the most abundant natural polymer on the earth, offering a sustainable, structurally strong and highly renewable framework which is environmentally friendly. The hydroxyl groups in the cellulose framework are well suited for in-situ growth of MOF crystals by providing optimal anchoring and nucleation sites, while, after some modification, there are also carboxyl functional groups. This interaction hinders MOF clustering, enhances access to active sites, and significantly enhances the hydrolytic stability of the resulting composite.

One of the major problems hampering the use of nanoscale adsorbents is the separation of solids and liquids post-treatment. Conventional filtering or centrifugation processes are extremely energy-intensive, time-consuming and prone to additional environmental pollution when attempted to extract the MOF particles from large amounts of processed effluent, which are depleted by just a few nanometres. If the few nanometres-scale MOF particles are to be extracted from the large volume of processed effluent, conventional filtering or centrifugation processes would be extremely energy intensive, time consuming and highly polluting of the environment. The use of magnetic metal oxide nanoparticles (MNPs), specifically magnetite (Fe_3O_4) within the framework of cellulose-MOF offers a revolutionary advantage for operation. The resulting magnetic cellulose nanocrystal (MCNC) composites allow for fast, energy-saving and complete recovery of the loaded adsorbent by using an external magnetic field easily.

The purpose of this paper is to give a thorough survey on the synthesis, characterization of the structures and the wide variety of applications of MCNC@MOF and metal oxide nanocomposites to the environment. This work provides a thorough study of the kinetic, thermodynamic, and mechanistic characterization of the simultaneous removal of pollutants,

highlighting the potential of the combination of nanocellulose, MOFs, and magnetic nanoparticles as an outstanding water remediation solution in a sustainable and circular economy framework.

2. Review of Literature: Through the evolution of highly developed adsorbent material for wastewater treatment, one can see a steady progression towards higher surface areas, higher densities of functional groups, and better recoverability. It is well documented in the literature that natural cellulose and derivatives were the first natural materials that were used as the main bio-adsorbents. It was early recognized that cellulose microfibrils (CMF) and cellulose nanocrystals (CNC) are compatible with biological systems, easily chemically modified, and water affinity. However, the cellulose substances without any defect generally showed only slight adsorption properties and these were considerably influenced by the presence of inherent hydroxyl groups. In order to improve efficacy, investigation focused on the chemical modification, which led to the development of improved retention for some heavy metal cations or anionic dyes with electrostatic interactions by carboxymethylation, sulfonation and amine grafting.

At the same time, there were developments in cellulose chemistry that effectively revolutionized the study of adsorption, namely the development of metal-organic frameworks. Several types of metal-organic frameworks (MOFs), including UiO-66 (based on Zr), HKUST-1 (Cu) and ZIF-8 (Zn), have been shown to have remarkable sequestration potential in pioneering research. The literature shows that pure MOFs have outstanding adsorption capacity, which is sometimes higher than 1000 mg of adsorbate per gram of adsorbent, due to carefully designed pore geometry to promote molecular sieving and targeted functional group interactions. MOFs with sulfone based soft donors showed a remarkable attraction to soft acids like mercury and the removal efficiency was 99.2% in the absence of lighter competing ions. However, the literature also reported the critical operational limitations of pure MOFs in continuous-flow aqueous environment due to their powdery nature, poor mechanical robustness, and high separation challenges.

The development of CelloMOFs (cellulose-metal-organic framework composites) has emerged as a game-changing breakthrough designed to overcome these structural limitations. The study emphasizes the important finding that the specific surface area and structural porosity of the cellulose is significantly improved when MOFs are incorporated onto it, as well as that the MOF is structurally stabilized. A significant investigation found that the surface area of Cu-BTC was greatly enhanced from 78.4 m^2/g to 965.8 m^2/g and the adsorption capacity was also improved when the Cu-BTC was combined with a cellulose acetate membrane. Furthermore, the introduction of cellulose microfibrils has shown to enable consistently dispersed MOF crystals at the nanoscale and thus prevent against the common blockages of the microporous openings in pristine MOF powders.

The body of research on the transition to systems that are magnetically retrievable is the most recent, and most significant, in this area. To achieve precise separation, on-demand, the superparamagnetic Fe_3O_4 nanoparticles have been introduced in the cellulose matrix before the MOF functionalization. Hasan et al. demonstrated that cellulose nanocrystals derived from wood pulp are excellent templates for in-situ co-precipitation of iron oxides and the obtained magnetic substrates are very stable without nanoparticle aggregation, owing to the sterically stabilizing effect of cellulose nanocrystals. The latter functionalization with MOFs has resulted in ternary systems (Cellulose/ Fe_3O_4/MOF) with remarkable environmental efficacy.

Recent research has increasingly focused on the effects of concurrent adsorption of multisolute systems, which more closely mimic real wastewater compositions. Research shows that appropriately optimized magnetic MOF composites can be used to effectively and simultaneously remove several different contaminants. For instance, a nanocomposite based on UiO-66 and ZIF-8

is carefully designed to capture complex mixtures of heavy metals (e.g. Cr(VI) and Pb(II)) and to be resistant to antibiotics (e.g. tetracycline) and colourants. According to the literature, the bifunctional composites take advantage of different binding sites on the particles for different shapes of molecules, and are representative of the cutting edge of modern environmental materials research.

3. Materials and Methods: The comprehensive evaluation of the MCNC@MOF and related metal oxide nanocomposites for the simultaneous removal of pollutants requires a strict scientific approach and many aspects. This involves careful chemical synthesis of the nanocomposites, attention to detail with the physicochemical characterization, and systematic batch adsorption experiments coupled with advanced mathematical modelling.

Mostly sequential in-situ templated growth methods are used in the production of these ternary composites. The first step is the preparation of magnetic cellulose nanocrystal (MCNC) core. In general, longer ultrasonication is used to homogeneously disperse cellulose nanocrystals or micro-fibrils in a solution of deionized water. In-situ co-precipitation of stoichiometric amounts of salts of Fe(II) and Fe(III) (such as $FeCl_2$ and $FeCl_3$) is the most common method of magnetic functionalization, which is carefully done in an inert nitrogen/argon environment to prevent the oxidation of the ferrous ions. By slowly adding an alkaline precipitating agent (e.g., NH_4OH or NaOH) to the mixture under strong mechanical stirring and high temperatures (usually 80-90 °C), magnetite (Fe_3O_4) nanoparticles can be directly formed on the abundant hydroxyl and carboxyl functional groups of the cellulose backbone.

The metal-organic framework structure is formed in-situ on the stability of MCNC matrix, which completes the composite architecture. The purified MCNC is added to a specific solvent (e.g., DMF, MeOH, or H2O) and with the required amount of natural metal precursors such as Zn(NO3)2·6H2O, ZrCl4, or other organic connectors like benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 2-methylimidazole, or terephthalic acid to synthesize the desired MOF species, such as Zn-BTC, UiO-66, or ZIF-8. The functional groups on the magnetic cellulose act as accurate structure-directing anchor sites for the use of solvothermal methods in Teflon-lined autoclaves or just long mechanical stirring at room temperature. These functional sites are closely related to the metal nodes, which promote the crystal growth of MOF in a large, dense and uniform manner in the magnetic cellulose framework to wrap the magnetic core with a highly porous shell.

Physicochemical characterisation is essentially important to ensure the integrity of the structural morphology, surface chemistry of the fabricated materials. To confirm the successful incorporation of functional groups, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) is used, which shows the characteristic absorption peaks of the cellulose framework, the strong Fe-O stretching vibrations of the magnetite core (~570 cm^{-1}), and the distinctive carboxylate or imidazole coordination bonds characteristic of the MOFs. Powder X-ray Diffraction (PXRD) is used to check the purity of the crystalline phase which shows the appearance of the cubic spinel structure of the inorganic Fe_3O_4 nanoparticles and the well-ordered topological framework of the MOF without any phase interference.

Morphological integration and topological examination is done using Scanning and Transmission Electron Microscopy (SEM/TEM) along with Energy Dispersive X-ray (EDX) spectroscopy. These methods demonstrate the nanoscale distribution and confirm the uniform distribution of metals (Fe, Zn, Cu, Zr) on the cellulose microfibrils and that there is no significant agglomeration of the MOF crystals. The Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area assessment and Barrett-Joyner-Halenda (BJH) pore size distributions are essential to measure the significant increase in specific surface area, overall pore volume as well as the presence of micro- and

mesoporosity as a result of incorporation of MOFs. Finally, the experiment is carried out at room temperature to determine the saturation magnetization (M_s) of the composite, which is necessary to ensure the sensitivity to external magnetic field for quick and energy-efficient retrieval operation.

Meticulous controlled batch studies are used to evaluate the adsorption effectiveness of the nanocomposites. A certain amount of the adsorbent MCNC@MOF is introduced into synthetic wastewater containing a predetermined initial concentration of heavy metal (such as Pb^{2+}, Cu^{2+}), an anionic or cationic dye (like methyl orange, methylene blue), or pharmaceutical agent (such as tetracycline). Methodological variations such as initial pollutant concentration and operation temperature, contact time, and initial solution pH are carefully varied to identify their respective roles on adsorption capacity.

In particular, for simultaneous removal investigations, multisolute systems are prepared, such as the binary system of heavy metal and antibiotic, and the ternary system of different dyes, which simulate the complex industrial wastewater. The concentrations of the target adsorbates in the remaining unadsorbed concentrations are regularly analysed by UV-Vis spectrophotometry (for organic dye and antibiotics) or by Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) or Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) (for heavy metal ions).

4. Discussion:

The superb efficiency of the magnetically retrievable cellulose and metal-organic framework nanocomposites in the simultaneous removal of complicated contaminants is related to the meticulous coordinating and multi-tiered synergy among their constituent components. The elucidation of the precise chemical interaction mechanisms, structural advantages and thermodynamic considerations provides a crucial perspective on their superiority to conventional adsorbents.

4.1. Mechanisms of Pollutant Interactions in Concurrent Systems: The large number of binding sites engineered within the MCNC@MOF structure allows for the simultaneous adsorption of a wide range of pollutants such as small highly charged metal cations, large and complex antibiotic molecules and large steric dye molecules. The pH of the aqueous medium is a very important factor in the primary removal process, as it affects the chemical form of the contaminants to be removed from the liquid phase and the surface charge of the solid adsorbent.

Strong electrostatic forces and coordinate Lewis acid-base interactions mainly contribute to the extraction of heavy metals like Pb^{2+}, Cd^{2+} and Cu^{2+}. The disorganized carboxyl (-COOH), hydroxyl (-OH), and purposefully introduced amino (NH_2) groups on the cellulosic backbone and the organic linkers in the MOF can act as good electron donors with strong affinity to electron-poor and positively charged metal ions. Deprotonation of these functional groups when the pH of the solution is approaching neutrality causes the overall negative surface charge of the composite to increase significantly and hence the electrostatic attraction to metallic cations is increased significantly. However, in the case of Cu^{2+}, increasing the pH to very high pH (e.g., > 6-7) causes the metal ion to be removed primarily by bulk chemical precipitation, rather than by adsorption on the actual surface, because of the formation of complex hydroxide species (e.g., $Cu(OH)_2$ or $Cu(OH)_3^-$).

However, more complex organic compounds such as the tetracycline antibiotics and artificial colors (e.g., methylene blue, malachite green) form non-covalent interactions with the nanocomposites over a broader range. Some of the MOF frameworks have large and tunable cavities, such as UiO-66 or ZIF-8, where antibiotics can be sterically tailored to be physically "pore-filled" or be confined in the cavity. In the MOFs, the aromatic rings of the organic linkers (e.g., benzene-1,3,5-tricarboxylic acid or 2-methylimidazole) undergo extensive and very stable π-π stacking interactions with the aromatic rings of the dyes and tetracycline compounds. Concurrent

hydrogen bonding between the electronegative heteroatoms (N, O) found in the contaminants and the many hydrogen-rich functional sites on the cellulose/MOF interface enhances the adhesion.

This is simultaneous sequestration in a multisolute mixture and the processes are not competitive. A heavy metal ion is able to interact directly with a localized metal site in the MOF, or a specific carboxylic acid in the cellulose, while a large tetracycline molecule is simultaneously bound into an adjacent mesoporous cavity by π-π stacking and hydrophobic interactions. This structural phenomenon provides the understanding of the good agreement between the experimental competitive adsorption data and the extended Langmuir models: the competing adsorbates are usually not competing for the same active sites, highlighting the bifunctionality of the composite structure.

4.2. The Synergistic Role of Nanocellulose and Magnetite: Despite their extremely high specific surface area and custom-designed active binding sites the MOFs are too fragile to be used in high-shear, large volume water systems under continuous agitation. The MOF crystals are incorporated into nanocellulose, creating a highly flexible and stable structure that is able to effectively withstand mechanical fracture and hydrolytic degradation of the crystals. Furthermore, the cellulose microfibrils make an excellent dispersion matrix. In isolation, magnetic Fe_3O_4 nanoparticles have very high surface energy and readily coalesce into large, dense macro-clusters when subjected to strong dipole-dipole interactions, thus effectively reducing the surface area of the nanoparticles. The close proximity of functional groups on the cellulose matrix spatially hinders this clustering, ensuring that the magnetic nanoparticles are maintained at the nanoscale even after assembly, with ideal magnetic reactivity and catalytic accessibility.

The magnetic recoverability of the Fe_3O_4 core marks a game-changer in terms of operation and cost. Traditionally, the separation of used nano-scale adsorbent granules after they have been depleted from immense amounts of processed effluent is an energy-consuming process that requires expensive microfiltration systems. These composites can quickly be removed from the treated water, and in this way, sludge formation is avoided, expensive filtration systems can be avoided, and the water can be quickly transported to regeneration facilities.

4.3. Stability, Regeneration, and Economic Viability: However, an advanced adsorbent can only be transferred from the theoretical level to its practical application if it has a large initial adsorption capacity and a high regeneration durability. Literature clearly shows the exceptional chemical and structural stability of MCNC@MOF nanocomposites. Contaminated composites containing hazardous metals and organics can be effectively desorbed using fairly mild and inexpensive eluents. For example, saturated composites can be rinsed with dilute hydrochloric acid (e.g., 0.2 M HCl) or methanol, thereby effectively disrupting the specific metal-ligand coordinate bonds or electrostatic interactions, which in turn expels the heavy metals and organics in the saturated composites into a concentrated, manageable waste stream.Importantly, several research results showed that these nanocomposites retained their original maximum adsorption capacity by 80–94% after 5–7 consecutive cycles of full saturation, magnetic retrieval and chemical desorption. This slight decrease in capacity observed across cycles is attributed primarily to non-reversible incorporation of persistent organics in the deep, sterically restricted microporous space, or to progressive and local degradation of the MOF organics linkers, under very acidic stripping conditions. It is worth noting, however, that the considerable cyclic reusability effectively compensates any initial synthetic cost for the transition metal precursors and functionalized cellulose, which makes the MCNC@MOF structure economically attractive for large-scale municipal or industrial continuous-flow operations.

Conclusions and Suggestions: Continuous development and growing complexity of industrial pollution require remediation systems that are robust in their capturing ability, flexible in their usage, and highly durable in their operation. This detailed study has shown that the rationally designed fabrication of the magnetically recoverable nanocellulose (MCNC) and metal-organic frameworks (MOF) nanocomposites results in a new class of highly efficient multifunctional environmental adsorbents. The harmonious combination of the exceptional porosity, adjustability and catalytic properties of MOFs and the structural integrity, biocompatibility and dispersive characteristics of nanocellulose overcome the traditional structural and functional limitations of stand-alone adsorbent elements.

These simultaneous removals of a wide range of chemicals including heavy metal cations like Pb(II), Cu(II) and As(III), as well as large organic molecules like tetracycline and other dye pollutants, are efficient and rapid enough to indicate that the interactions are non-competitive and multi-faceted, in the complex mixtures. These composites are able to reach thermodynamic equilibrium quickly with very high maximum adsorption capacities due to the impulsive, thermodynamically favorable, and robust chemisorption interactions, which include electrostatic forces, Lewis acid-base coordination, π-π stacking, and molecular pore filling. The superparamagnetic iron oxide nanoparticles are finely dispersed, nanoscale materials that can be completely, rapidly and cleanly recovered from high-volume aqueous systems thanks to their strategic incorporation, in direct alignment with the principles of the circular economy and sustainable engineering.

In view of future applications, it is crucial that research should focus on the transition of these synthesized materials from theoretical batch laboratory investigations to dynamic, continuous-flow fixed-bed column investigations on real industrial waste water streams with complex composition. For practical use, the MOF node-ligand chemistry will need to be refined to allow for increased selectivity for specific ions in the presence of many other innocuous competing ions (e.g. Na^+ and Ca^+) in a highly concentrated solution. Finally, the scalable manufacturing and application of MCNC@MOF nanocomposites offer a very unique, strong, sustainable and cost-effective method to protect global water bodies from the growing threat of multiple environmental pollutants.

Sources & References:

1. Abdelhamid, H. N., Georgouvelas, D., Edlund, U., & Mathew, A. P. (2022). CelloZIFPaper: Cellulose-ZIF hybrid paper for heavy metal removal and electrochemical sensing. Chemical Engineering Journal, 446, 136614. https://doi.org/10.1016/j.cej.
2. Environmental application of magnetic cellulose derived from Pennisetum sinese Roxb for efficient tetracycline removal. (2020). Carbohydrate Polymers, 251(1), 117004.
3. Fabrication of a magnetic cellulose nanocrystal/metal-organic framework composite for removal of Pb(II) from water. (2017). ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5(11), 10447–10458. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b02472
4. Gao, Y., Yuan, Y., Ma, D., & Tao, W. (2014). Removal of aqueous uranyl ions by magnetic functionalized carboxymethylcellulose and adsorption property investigation. Journal of Nuclear Materials.
5. Han, X., Zhang, Y., Zheng, C., Yu, X., Li, S., & Wei, W. (2025). Enhanced Cr(VI) removal from water using a green synthesized adsorbent. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.
6. Lei, C., Gao, J., Ren, W., Xie, Y., Abdalkarim, S. Y., Wang, S., & Dong, H. (n.d.). Fabrication of metal-organic frameworks@cellulose aerogels composite materials for removal of heavy metal ions in water. Carbohydrate Polymers.

7. Min, H. S., & Saad, M. J. (2023). Review on heavy metal and dye removal via activated carbon adsorption process. Asian Journal of Chemistry.
8. Nowroozi, M., Alijani, H., Beyki, M. H., & Shemirani, F. (2022). Effective parameters on mercury adsorption were optimized with response surface methodology using Box-Behnken design. Polymer Bulletin.
9. She, L., Zhao, Y., Li, M.-J., & Chen, T. (2026). Porous loofah sponge meets bimetallic MOF: Synergistic effect for efficient tetracycline removal. Biomass and Bioenergy.
10. Shi, H., Weisong, L., Zhong, L., & Xu, C. (2014). Methylene blue adsorption from aqueous solution by magnetic cellulose/graphene oxide composite: Equilibrium, kinetics, and thermodynamics. Journal of Chemical Thermodynamics.
11. Transformative applications of polymer-based metal oxide nanocomposites in medicine, industry, and environmental remediation: A review. (2025). Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 36, 64–96. https://doi.org/10.1007/s10904-025-03707-6
12. Yu, C., Han, X., Shao, Z., Liu, L., & Hou, H. (2018). High efficiency and fast removal of trace Pb(II) from aqueous solution by carbomethoxy-functionalized metal-organic framework. Crystal Growth & Design, 18.
13. Zhang, H., Li, Y., Xiang, L., Huo, W., Song, J., Li, Y., & Li, J. (2020). A facile low temperature pyrolytic defect-rich leaf-like zeolitic-imidazolate. Journal of Chemical & Engineering Data, 65(10), 4914-4923. https://doi.org/10.1021/acs.jced.0c00557
14. Zhang, Z., Lu, Y., Gao, S., & Wu, S. (2025). Sustainable and efficient wastewater treatment using cellulose-based hydrogels: A review of heavy metal, dye, and micropollutant removal applications. Separations, 12(3), 72. https://doi.org/10.3390/separations12030072
15. Zhao, Z., & Wang, X. (2015). Competitive adsorption and selectivity of benzene and water vapor on the microporous metal organic frameworks (HKUST-1). Chemical Engineering Journal, 259, 79–89. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.08.012

*****

Cite the article:	Sarojny, Madhubala (2025). Nanocomposites of Magnetically Retrievable Cellulose and Metal Oxide Frameworks for Efficiency in Concurrent Pollutant Removal, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-1, Issue-I, July-September 2025, Pages 73-80. https://doi.org/10.5281/zenodo.22184665

Bundelkhand Journal of Academic Research

Scope and Research Areas of the Journal

Agricultural Sciences

Agricultural Biotechnology, Agricultural Chemistry, Agricultural Diversification, Agricultural Education, Agricultural Economics, Agricultural Geography, Agricultural Philosophy, Agricultural Marketing, Dairy and Animal Science, Agricultural Engineering, Agricultural Policy, Multidisciplinary Agriculture, Agronomy & Horticulture, Agroecology, Agrophysics, Biological Engineering, Entomology, Plant Sciences, Environmental Sciences, Fisheries Science, Food Science & Technology, Forestry, Soil Science, Veterinary Sciences, Water Resources and any other allied Subjects of Agricultural Sciences.

Arts and Humanities

Archaeology, Architecture, Art, Asian Studies, Classics studies, Cultural studies, Dance, Film, Radio, Television, Folklore, History, History of Science, Humanities, Multidisciplinary, Language and Linguistics, Literary Reviews, Literary Theory and Criticism, Literature, Medieval and Renaissance Studies, Music, Philosophy, Poetry, Religion studies, Theatre, Physical Education and Sports Science, Textiles and Apparel Designing and any other allied Subjects of Arts and Humanities.

Biological Sciences

Biodiversity Conservation, Biology, Miscellaneous Biology, Ecology, Evolutionary Biology, Botany, Developmental Biology, Entomology, Limnology, Marine & Freshwater Biology, Mycology, Ornithology, Reproductive Biology, Zoology and any Other Allied Subjects of Biological Sciences.

Chemical Sciences

Applied Chemistry, Multidisciplinary Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic & Nuclear Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Crystallography, Electrochemistry, Polymer Science, Spectroscopy, Biochemistry & Microbiology and any other allied Subjects of Chemical Sciences.

Commerce and Management

Management Accounting, Business Planning, Advertising, Banking & Insurance, Accounting System, Financial Markets, Institutions & Financial Services, Industrial Laws, Organizational Behaviour, Human Resource Management, Cost Accounting, Business Mathematics, Management Applications, Computer Applications, Auditing & Corporate Governance, Financial Management, Entrepreneurship, Collective Bargaining, Negotiation Skills, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, E-Commerce, Training & Development, Marketing & E-Marketing, Personal Tax Planning, Environmental Studies, Business Communication, Financial Accounting, Corporate Accounting, Business Laws, Corporate Laws, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, Taxation, Tax Law & Practice, Management like Strategic, Sales, Marketing, Public Relations, Operations, Supply Chain, Procurement, Financial & Accounting, Human Resources, Information Technology, Research & Development, Engineering, Programme, Project, Risk, Quality, Innovation, Design, Facility, Knowledge and any other allied Subjects of Commerce and Management.

Engineering and Technology

Automation & Control Systems, Aerospace Engineering, Computer Science, Artificial Intelligence, Cybernetics, Hardware & Architecture, Information Systems, Interdisciplinary SCI, Software Engineering, Construction & Building Technology, Energy & Fuels, Multidisciplinary Engineering, Biomedical

Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Marine Engineering, Civil Engineering, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Geological Engineering, Ergonomics, Nanoscience & Nanotechnology, Instruments & Instrumentation, Operations Research & Management Science, Materials Science, Paper & Wood, Ceramics, Biomaterials, Characterization, Testing, Coatings & Films, Composites, Textiles, Multidisciplinary Materials Science, Metallurgy & Mining, Robotics, Remote Sensing, Imaging Science & Photographic Technology, Telecommunications, Transportation, Transportation Science & Technology, Mining & Mineral Processing, Architecture, Industrial Design and any other allied Subjects of Engineering and Technology.

Medical and Health Sciences

Anatomy &Morphology, Biochemical Research Methods, Biochemistry & Molecular Biology, Cell & Tissue Engineering, Biophysics, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell Biology, Medicinal Chemistry, Cytology & Histology, Genetics & Heredity, Mathematical & Computational Biology, Immunology, Microbiology, Microscopy, Neurosciences, Parasitology, Pharmacology & Pharmacy, Physiology, Allergy, Andrology, Anesthesiology, Biological Psychology, Oncology, Cardiac & Cardiovascular System, Critical Care Medicine, Clinical Psychology, Emergency Medicine, Dentistry Oral, Surgery & Medicine, Dermatology, Substance Abuse, Psychology Educational, Health Care Sciences & Services, Endocrinology & Metabolism, Gastroenterology & Hepatology, Geriatrics & Gerontology, Gerontology, Haematology, Psychology Developmental, Infectious Diseases, Psychology Applied, Integrative & Complementary Medicine, Medical Ethics, Medicine Legal, Medical Informatics, Medical Laboratory Technology, Medicine General & Internal, Medicine Research & Experimental, Clinical Neurology, Neuroimaging, Nursing, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopedics, Otorhinolaryngology, Pathology, Paediatrics, Rehabilitation, Psychiatry, Respiratory System, Rheumatology, Radiology Nuclear Medicine & Medical Imaging, Sport Sciences, Surgery, Toxicology, Transplantation, Tropical Medicine, Urology & Nephrology, Peripheral Vascular Disease, Virology, Ayurveda, Home Science, Homoeopathy, Physiotherapy, Audiology & Speech-Language Pathology, SIDDHA, Unani, Public Health, Hospital Administrations, Forensic Science, Yoga, Optometry.

Physical Sciences

Geochemistry & Geophysics, Physical Geography, Geology, Multidisciplinary Geosciences, Meteorology & Atmospheric Sciences, Mineralogy, Oceanography, Paleontology, Acoustics, Astronomy & Astrophysics, Thermodynamics, Applied Mathematics, Mathematics, Nuclear Science & Technology, Optics, Applied Physics, Fluids & Plasmas Physics, Atomic, Molecular & Chemical, Atomic, Molecular & Chemical, Multidisciplinary Physics, Condensed Matter Physics, Nuclear Physics, Particles & Fields Physics, Mathematical Physics, Statistics & Probability, Theoretical High Energy Physics, Interdisciplinary Applications Mathematics and any other allied Subjects of Physical Sciences.

Social Sciences

Anthropology, Business, Cultural Studies, Communication, Criminology and Penology, Demography, Economics, Education and Research, Environmental Studies, Ergonomics, Ethics, Ethnic Studies, Family Studies, Finance, Geography, Gerontology, Health Policy and Services, History, Hospitality, Sport & Tourism, Industrial Relations and Labour, Library and Information Science, International Relations, Law, Linguistics, Management, Nursing, Planning and Development, Political Science, Psychiatry, Psychology & Applied Psychology, Public Administration, Public, Environmental and Occupational Health Rehabilitation, Social Issues, Biomedical Social Sciences, Interdisciplinary Social Sciences, Mathematical Social Sciences, Social Work, Sociology, Transportation, Urban Studies, Feminist Studies, and any other allied Subjects of Social Sciences.

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

लेखकों द्वारा आलेख प्रेषण हेतु दिशानिर्देश

प्रस्तुतीकरण दिशानिर्देश (Submission Guidelines)

बीजेएआर उन मौलिक योगदानों का स्वागत करता है जो कहीं अन्यत्र प्रस्तुत, प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत नहीं हुए हैं। योगदानकर्ताओं को लेख प्रस्तुत करने वाले ईमेल में इसकी जानकारी देनी होगी। योगदानकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बीजेएआर की स्टाइल शीट का पालन करें। सभी योगदानों के साथ निम्नलिखित अनुपालन होने चाहिए:

आलेख सारांश 150-200 शब्द

मुख्य शब्द 5 से 6

लेखक का नाम, ईमेल पता और पत्राचार के लिए संपर्क नंबर, प्रत्येक लेखक के लिए वर्तमान पदनाम और संबद्धता का विवरण देते हुए एक-पंक्ति का लेखक नोट। हम लेखक नोट में प्रदत्त ईमेल पता शामिल करते हैं। योगदानकर्ताओं को साहित्यिक चोरी और अत्यधिक आत्म-संदर्भों से सावधान किया जाता है। सामग्री की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आंकड़े, ग्राफ़ और तालिकाओं का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। सभी पूरक फ़ाइलें जैसे आंकड़े, तालिकाएँ, मानचित्र आदि, जहाँ तक संभव हो, MS Office (Word/Excel) या अन्य संपादन योग्य प्रारूपों में प्रदान की जानी चाहिए।

बीजेएआर संपादकीय टीम किसी आलेख को किसी विशिष्ट अनुभाग में, जैसा उचित समझे, स्थान देने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

लेखों की प्राप्ति की सूचना ईमेल द्वारा एक संदर्भ संख्या के साथ दी जाती है जिसका उपयोग वेबसाइट पर आपके योगदान को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यदि योगदानकर्ताओं को योगदान के एक सप्ताह के भीतर पावती प्राप्त नहीं होती है, तो उनसे अनुरोध है कि वे हमें gayatripublication2025@gmail.com पर लिखें।

हमें प्राप्त होने वाले लेखों की शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। मासिक रूप से प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या को देखते हुए, किसी लेख को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने में दो महीने तक का समय लग सकता है। प्रकाशन के लिए स्वीकृत लेखों को स्वीकृति की तिथि से मुद्रित रूप में प्रकाशित होने में एक महीने तक का समय लग सकता है।

शोध समीक्षाएँ (शब्द: 2000-2500): बीजेएआर द्वारा पुस्तक और समीक्षाओं को भी प्रकाशन के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंतर्दृष्टि आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में शैक्षणिक परिघटनाओं के नवीन और केंद्रित विश्लेषण पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिप्रेक्ष्य आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में मौजूदा विद्वत्ता और समकालीन घटनाओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले आलेखों को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेष आलेख (शब्द: 7000 तक): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में मूल, अप्रकाशित शोध पत्र स्वीकार किए जाएँगे, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

शोध आलेख (शब्द: 6000-7000): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रारंभिक शोध को कवर करने वाले मौलिक लेखों पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

कॉपीराइट

1. बीजेएआर में प्रकाशित सभी आलेखों का कॉपीराइट बीजेएआर या उस संगठन का होगा जहाँ लेखक कार्यरत है, जैसा कि लेखक की रोजगार शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2. बीजेएआर को लेखकों द्वारा अपने आलेखों को अन्य प्रकाशनों के लिए पुनः प्रकाशित या संशोधित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, पुनः प्रकाशित आलेखों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि लेख का एक संस्करण सबसे पहले बीजेएआर में प्रकाशित हुआ था। इसमें मूल बीजेएआर आलेखों के URL के साथ प्रकाशन विवरण भी शामिल होना चाहिए।
3. लेखक/लेखकों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकाशित आलेखों या उसके किसी भाग का किसी भी रूप में पुनरुत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। लेखक/लेखकों की स्वीकृति की एक सॉफ्ट कॉपी बीजेएआर को भेजी जानी चाहिए।

सामान्य निर्देश (General Instructions)

1. बीजेएआर में प्रकाशनार्थ प्रेषित किये जाने वाला शोध पत्र मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए। शोध पत्र ई-मेल द्वारा द्वारा प्रेषित करना चाहिए।
2. लेखक को शोध पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य संलग्न करना होगा कि यूजीसी/एमएचआरडी के मानकानुरूप यह शोध पत्र उसका मौलिक, अप्रकाशित शोध पत्र है, एवं इसमें किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है।
3. यदि शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता के साथ अन्य नाम भी हैं, तो उन्हें भी मौलिकता और साहित्यक चोरी का प्रमाण पत्र देना होगा। शोध पत्र के साथ प्लैगरिज्म रिपोर्ट भी संलग्न की जानी चाहिए।
4. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संबंधित शोधार्थी के पास ई-मेल द्वारा शोध पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाएगी।
5. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संपादक मण्डल द्वारा उसे संबंधित विषय के विशेषज्ञ (रीव्यूवर) के पास ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसका विषय विशेषज्ञ द्वारा विधिवत् मूल्यांकन, परीक्षण और संशोधन किया जाएगा, तदुपरांत संपादक मण्डल के पास प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाएगा।
6. विषय विशेषज्ञ / संपादक मण्डल के पास शोध पत्र के प्रकाशन और संशोधन का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी शोध पत्र संपादक मण्डल / रीव्यू पैनल द्वारा पूर्णतः मूल्यांकन के उपरांत ही प्रकाशनार्थ स्वीकृति किया जायेगा।
7. पूर्णतः स्वीकृति के उपरांत ही शोधार्थी को संबंधित शोध आलेख का स्वीकृति संदेश निर्दिष्ट ई-मेल पर प्रेषित किया जायेगा। हालांकि, शोध पत्र के प्रकाशन, कापी राइट एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों में प्रधान संपादक एवं संपादक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. शोध पत्र में व्यक्त विचार, शोध बिंदु, संदर्भ हेतु पूर्णतः शोधार्थी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार से संपादक मण्डल का उसमें कोई सरोकार नहीं होगा। शोध-पत्र भेजने के बाद उसे प्रकाशित करने हेतु किसी भी तरह का दबाव स्वीकार्य नहीं होगा।

9. शोध पत्र को निम्नलिखित रूप में ई-मेल द्वारा प्रेषित करें:

i. टंकण विधि A4 साईज में 1 इंच चारो तरफ छोड़कर ऑटो लीडिंग, पेज नंबरिंग सहित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी वर्जन में टाइप करके भेजें एवं आवास का पता, संस्था का पता, दूरभाष एवं ईमेल आईडी अवश्य लिखें।

ii. हिंदी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Kruti Dev 010 के फांट साइज 14 और मुख्य हेडिंग 16 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Times New Roman के फांट साइज 12 और मुख्य हेडिंग 14 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए।

iii. कीवर्डस, स्रोत एवं संदर्भ, शोध सारांश आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

iv. स्रोत एवं संदर्भ विधिवत निर्दिष्ट उद्धरण स्टाईल में रख कर उनका स्पष्ट उल्लेख करें। शोध पत्र में स्रोत एवं संदर्भ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। स्रोत एवं संदर्भों की स्पष्टता के अभाव में शोध पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

10. आप शोध पत्र प्रेषित करें : gayatripublication2025@gmail.com

शोध पत्रों के प्रकाशन एवं प्रेषण की आवृत्ति

बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर) त्रैमासिक शोध जर्नल है, जिसका प्रकाशन वर्ष में चार बार होता है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंक प्रकाशन एवं आलेख संग्रहण का विवरण निम्न प्रकार है:

बीजेएआर के अंक	प्रेषण की तिथि	प्रकाशन
जनवरी-मार्च	10 मार्च तक	अप्रैल के अंत में
अप्रैल-जून	10 जून तक	जुलाई के अंत में
जुलाई-सितंबर	10 सितंबर तक	अक्टूबर के अंत में
अक्टूबर-दिसंबर	10 दिसंबर तक	जनवरी के अंत में

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

एक सामान्य शोध पत्र का मॉडल प्रारूप
(A Model Format for a normal Research Paper)

शोध पत्र का शीर्षक
(Title of the Research Paper)

प्रथम लेखक^1, द्वितीय लेखक^2, और तृतीय लेखक^3

^1 पहले संस्थान का नाम (Name of First Institution) Email Id

^2 दूसरे संस्थान का नाम (Name of Second Institution) Email Id

^3 तीसरे संस्थान का नाम (Name of Third Institution) Email Id

सारांश (Abstract)

यहां 150-200 शब्दों में अपने शोध का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

मुख्य शब्द (Keywords): 5 से 6 मुख्य शब्द दिए जाने चाहिए जो शोध विषय की केंद्रीय अवधारणाओं को दर्शाते हों। ये पहचान, खोज और सूचकांकन योग्य होने चाहिए ताकि पाठक और शोधार्थी प्रासंगिक शोध को खोजने और अनुक्रमित (index) करने के लिए इनका उपयोग कर सकें। मुख्य शब्द के रूप में संज्ञा शब्द होने चाहिए, उपपद और क्रिया शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि (Introduction and Background)

1.1. उप-शीर्षक (Subheading)

1.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

1.1.2.

- ❖ यहां शीर्षक एवं विषय से संबंधित आवश्यक आधारभूत ज्ञान का परिचय दें।
- ❖ विषय का परिचय और इसका महत्व बताएं।

- ❖ समीक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख करें।
- ❖ पृष्ठभूमि जानकारी और संदर्भ प्रदान करें।

2. सामग्री एवं विधि (Materials and Methods)

यहां आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना है।

(Here is to analyse and interpret the data)

2.1. उप-शीर्षक (Subheading)

2.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ यहां सामग्री और विधि का विवरण दें।
- ❖ शोध की सम्पूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें ।
- ❖ ध्यान रहे यह लेखन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी शोधकर्ता इस विधि को पढ़ कर सरलता पूर्वक इस शोध-क्रियाविधि को स्वयं भी दोहरा सके।

सारणी-1: सारणी का शीर्षक या नाम
(Table 1: Title or Name of Table)

उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**
तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)

3. परिणाम एवं प्राप्तियां (Results and Findings)

3.1. उप-शीर्षक (Subheading)

3.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ शोध-पत्र के इस भाग को प्रयास पूर्वक एक तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ❖ तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- ❖ शोध के उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों के विश्लेषण और निर्वचन से क्या प्राप्त हुआ है, इसका संक्षेप में प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए।

4. चर्चा एवं बहस (Discussion and Debate)

4.1. उप-शीर्षक (Subheading)

4.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ इस भाग में पिछले भाग में वर्णित परिणामों के बारे में गूढ विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।

- परिणाम एवं प्राप्तियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध के उद्देश्य के अनुसार परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों की चर्चा की जानी चाहिए।
- इस भाग में भी तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए ।
- मुख्यतः साहित्य की समीक्षा में चिन्हित खोजों और वर्तमान लिखित साहित्य में छोड़े गए विषयों/रिक्तियों की पहचान को भी रेखांकित किया जा सकता है।

5. सुझाव एवं अनुशंसाएं (Suggestions and Recommendations)

5.1. उप-शीर्षक (Subheading)

5.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- इस भाग में पिछले भाग 4 और 5 में वर्णित परिणाम, प्राप्तियों एवं चर्चा के सापेक्ष आगे बढ़ने का उचित रास्ता (The way forward) क्या है, पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।
- परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों के औचित्यपूर्ण समाधान की चर्चा की जानी चाहिए।
- भावी शोध के विषयों और उप-विषयों का सुझाव दिया जा सकता है।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

- आपके द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में किए गए प्रमुख खोजों और उनकी प्रासंगिकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- विषय के महत्व एवं औचित्य को पुनः प्रस्तुत कीजिए।
- 4 से 6 वाक्यों में अपने प्रस्तुत शोध के परिणाम एवं निष्कर्षों की महत्ता को विषय के संदर्भ में बताइए।

7. स्रोत एवं संदर्भ (Sources and References)

- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त सभी मुख्य कार्यों की स्रोत एवं संदर्भ सूची प्रदान कीजिए।
- यह संदर्भ शोध-आलेख में उचित स्थानों पर पाठ्य के रूप (इन-टेक्स्ट) में भी लिखे जाने चाहिए।
- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण में देखा जा सकता है:

परिशिष्ट (Appendices)

- परिशिष्ट A (Appendix A)
- परिशिष्ट B (Appendix B)

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण

(Bibliographic, Citation and Referencing Styles Examples)

स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए:

लेखक का नाम एवं उपनाम

(Name and Surname of the Author)

लेखक	नाम एवं उपनाम
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, <नाम का आरंभिक अक्षर>. <मध्य नाम का अक्षर>. **उदाहरण: मधुसूदन, जी. एस.**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>. एवं <उपनाम2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>. **उदाहरण: पाल, आर. के. एवं सिंह, ए. के.**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>., <उपनाम 2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>., . . . , एवं <उपनाम n>, <n का आरंभिक नाम n>. < n का मध्य नाम n>. **उदाहरण: कुशवाहा, ए. के., मौर्य, के. बी.,..., एवं सिंह, ए. के.**

खंड, अंक एवं पृष्ठ संख्या

(Volume, Issue and Page Numbers)

दस्तावेज़	वॉल्यूम, अंक एवं पृष्ठ संख्या
एकल पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-02, पृष्ठ -15।**
कई पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-04, पृष्ठ 75-81।**
जर्नल / पत्रिका या इसी तरह के पीरियडिकल्स	<वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू संख्या >): < प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> – <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: 12(6): 103–120।** **अथवा** वॉल्यूम <खंड संख्या> अंक (<अंक संख्या>), <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-12, अंक-6, पृष्ठ 103–120।**

कुछ दस्तावेजों की ग्रंथसूची एवं उद्धरण शैलियाँ
(Bibliographic and citation styles of some documents)

Document		लेखक-वर्ष आधारित उद्धरण शैलियाँ
Book	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <पुस्तक का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, आईएसबीएन : <आईएसबीएन संख्या>।**
	Example	1. झिंगन, एम. एल. (2008)। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। वृंदा पब्लिकेशन्स, मयूर विहार नई दिल्ली, पांचवां पुनर्मुद्रित संस्करण, 2008, पृष्ठ 1-670, आईएसबीएन: 8187125640। 2. पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के. एवं गर्ग, भारत (2022)। भारतीय अर्थव्यवस्था। हिमालया पब्लिशिंग हाउस, गिरगांव मुम्बई, चौंतीसवाँ संस्करण, 2022, पृष्ठ 1-700, आईएसबीएन: 9789355964274।
Book chapter	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <अध्याय का शीर्षक> । <संपादक> में, संपादक (संपादकों), <पुस्तक का शीर्षक>, <प्रकाशन श्रृंखला> का खंड <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <आईएसबीएन> । <प्रकाशक>, <पता> ।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस एवं बघेल, एच. के. (2022)। डिजिटल अर्थव्यवस्था के फायदे और चुनौतियां: एक अवलोकन। गुप्ता, दिनेश कुमार (संपादक), ट्रांसफार्मिंग इंडिया: विजन एवं चैलेंजेज़, मार्च, 2022, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन: 9789391550592। एन. बी. पब्लिकेशन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी.एस. एवं सिंह, एस. नाथ (2024)। भारत में फसल बीमा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुभवों का एक अध्ययन। सिंह, सी.बी., सिंह, एस.एन., लाल, अंकिता जे., फुरकान, मो., सोनी, शिखा (संपादक), सामाजिक विज्ञान एवं सतत भविष्य: 2023 और उसके बाद के लिए अंतर्दृष्टि एवं परिप्रेक्ष्य, पहला प्रकाशन, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन:9789363895065, कुणाल बुक्स पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
Seminar/Conference proceedings	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <सम्मेलन का शीर्षक> में, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <सम्मेलन का स्थान> । <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस (2023)। भारत में डिजिटल तकनीक से शिक्षा के बढ़ते अवसर और चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षण और उच्च शिक्षा में, वॉल्यूम-2, पृष्ठ 07–15, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आइडियलिस्टिक जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च इन प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्रम्स (आईजेएआरपीएस)। आईजेएआरएमएस पब्लिकेशन, 221 एमआईजी फेज-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी. एस एवं सिंह, अमित के. (2025)। आत्मनिर्भर भारत के सपने के रूप में ग्रामीण पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति का मूल्यांकन। ग्रामीण पर्यटन: विकास, रोजगार और संभावनाएं में, विशेषांक वॉल्यूम: जनवरी–मार्च 2025, पृष्ठ 247-254, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। त्रैमासिक पत्रिका शोध धारा। शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान प्रकाशक, उरई (जालौन) उत्तर प्रदेश।
Dictionary and Thesaurus	Format	**<लेखक> (<दिनांक>)। <दस्तावेज का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>।**
	Example	1. सीएएलडी (2009)। कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी (सीएएलडी)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया प्रा. लि., तीसरा संस्करण, पृष्ठ 101–102।

		2. सहाय, आर. एन. एवं कुमार, एस. (2018)। ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश-इंग्लिश-हिंदी डिक्शनरी। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण, वॉल्यूम-1, पृष्ठ-73।
Encyclopaedia	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक >) । <टॉपिक का शीर्षक >। <संपादक> संपादक (कों) में, <एनसाइक्लोपीडिया का शीर्षक>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. लिंडग्रेन, एच. सी. (2001)। स्टीरियोटाइपिंग। द कोर्सिनी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस, वॉल्यूम-4 में पृष्ठ 617–618 । विली, न्यूयॉर्क। 2. पेटिंगिल, जूनियर, ओ. एस. (1980)। फाल्कन और फाल्कनरी। वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया में पृष्ठ 150–155। वर्ल्ड बुक, शिकागो।
Journal/ Magazine/ Newspaper	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <पत्रिका का शीर्षक>, <वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू नंबर>), <पृष्ठ संख्या>, आईएसएसएन: <आईएसएसएन नंबर>। डीओआई:< डीओआई >**
	Example	1. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। संक्रमणशील समाज की पीड़ा: सहजीवन। शोध धारा, अक्तूबर–दिसंबर, 2023, पृष्ठ 173-184, आईएसएसएन: 09753664। DOI:10.5281/zenodo.16640430 2. मधुसूदन, जी. एस. एवं सिंह, एस. एन. (2024)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और प्रदर्शन का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च (आईजेएसडीआर), वॉल्यूम-9, अंक-11, नवंबर-2024, पृष्ठ 487- 497, आईएसएसएन: 24552631। DOI:10.5281/zenodo.16642460
Technical report	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक>। तकनीकी रिपोर्ट <रिपोर्ट संख्या>, <विभाग>, <संस्थान>, <पता>।**
	Example	1. नाबार्ड (2022)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों में सतत खारे पानी की एक्वाकल्चर के लिए कोस्टल वाटरशेड बेस्ड सरफेस और सबसरफेस सैलिनिटी मैपिंग और मॉडलिंग। टेक्निकल रिपोर्ट एनआरएस-27, डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई। 2. घोष, डी. एवं कोठारी, आर. (2012)। पॉपुलेशन ह्यूरिस्टिक्स फॉर द कॉरिडोर एलोकेशन प्रॉब्लम। टेक्निकल रिपोर्ट W.P. नंबर 2012-09-02, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, भारत।
Thesis (Master)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <थीसिस का शीर्षक> । मास्टर थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	1. कुमार, प्रतीक (2024) । किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का एक अध्ययन: चित्रकूट जिले के विशेष सन्दर्भ में। मास्टर थीसिस, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट। 2. कुमार, रवि (2020)। इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एम.एससी. (एजी) थीसिस, एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)।
Thesis (PhD)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>)। <थीसिस का शीर्षक>। पीएचडी थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	सिंह, गजेन्द्र (2025)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों पर प्रभाव बांदा जनपद के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन। पीएचडी थीसिस, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, बुन्देलखण्ड

		विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश।
Website/ webpage	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>)। <डॉक्यूमेंट का शीर्षक>। <यूआरएल> से <दिनांक> को लिया गया** *अगर पब्लिकेशन की तारीख मौजूद नहीं है, तब 'कोई तारीख नहीं' लिखा जा सकता है।
	Example	1. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (30 सितंबर 2025)। भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ, 2023। 20 अक्टूबर 2025 को https://www.ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-adsi.html से लिया गया 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (30 जून, 2025)। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 23 अक्टूबर, 2025 को https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/FSReports.aspx से लिया गया

पाठ में संदर्भ

(In-text reference)

लेखक	पाठ में संदर्भ
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, < वर्ष > **उदाहरण: (मधुसूदन, 2024)**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> और <उपनाम2>, < वर्ष > **उदाहरण: (पाल एवं सिंह, 2023)**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> आदि, < वर्ष > **उदाहरण: (कुशवाहा एवं अन्य, 2025)**

Bundelkhand Journal of Academic Research

Aims of the BJAR

The primary aim of the BJAR journal is to facilitate the dissemination of high-quality, peer-reviewed research findings, fostering the advancement of knowledge across various academic disciplines. BJAR journal provide a trusted platform for scholars to publish original research, review articles, and scholarly insights. BJAR journal serve as a platform for disseminating research, encouraging interdisciplinary dialogue, and validating scholarly work through rigorous, transparent review processes. Key aims and objectives typically include:

Dissemination of Knowledge: Sharing empirical, theoretical, and applied research findings with a global community.

Quality Assurance: Maintaining credibility through strict peer-review processes, often double-blind, to ensure academic merit.

Promoting Innovation: Encouraging novel ideas, methodologies, and critical perspectives in academic research.

Creating Research Forums: Building a dedicated space for scholars to engage with specific topics, facilitating expert discussion and debate.

Archiving Advancements: Documenting the progress of a specific field over time to support future research.

Platform for Scholarly Discussion: provide a venue for scholarly debate, enabling researchers to build upon, critique, and validate previous studies.

Peer Review and Quality Control: By employing a rigorous peer-review process, journals ensure the credibility, accuracy, and validity of the published research, preventing the spread of false information.

Bundelkhand Journal of Academic Research

About BJAR

BJAR a Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research. BJAR follows the UGC's Suggestive Parameters for selecting peer-reviewed journals. Key Parameters for the BJAR are as under:

Suggestive Parameters	Policy and Guidelines
Frequency of publication	The Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR) is a quarterly research journal published four times a year. The March, June, September, and December issues are published. BJAR Issues: **January-March, April-June, July-September, October-December**
Language	Bilingual (Hindi and English)
Starting year	2025 **(First Issue: July-September, 2025)**
Subject	Multidisciplinary Subjects
Format of publication	Print Version
Publisher details (Name and Complete address)	Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan (GSPS), 226, Krishna Nagar, Atarra, District-Banda, Uttar Pradesh: 210201 E-mail: gayatripublication2025@gmail.com Mobile: 8750184716
Transparent Review Policy	Transparent review policy and publication process.
Website Certified Domain	https://bjar.in/index.php/BJAR/en
Open Access or Subscription-Based Policy	It is an open-access, peer- reviewed journal. All articles are freely accessible online.
Archival Policy	All the previous issues are maintained/made available.
Editorial Board Composition	Provided Subject expertise, with eminent academician's /scientists/ researchers.
Efficient Editorial/ Review Process	Efficient Editorial board members available and mentioned Rigorous peer review, compliance with reviewers' recommendations, and clear timelines.
Aims, Objectives, and Scope	BJAR's aims is to publish and synthesize, communicate and interpret the results of recent research study in the academic field, in order to advance the dissemination of valid knowledge and to foster innovation and development. The focus area and Scope of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines.
Subject Areas	The focus area of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines (such Agricultural Sciences, Arts and Humanities, Biological Sciences, Chemical Sciences, Commerce and Management, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences and other

	academic fields). The journal that encourages Interdisciplinary and Transdisciplinary dialogue on emerging knowledge.
Article Processing Charges (APC)	Transparent fee structure such as: The Journal is a free, open-access journal dedicated to global knowledge sharing. All articles are freely accessible worldwide. To maintain high-quality publishing, a modest Article Processing Charge (APC) of Rs.1000 applies only to accepted articles. There are no submission fees. In line with open-access principles, APCs are usually covered by research grants or supporting institutions. This fee supports essential services such as manuscript processing, online hosting, archiving, and publication certification. The APC includes expert peer review, professional formatting, publication, plagiarism screening and an official publication, ensuring high-quality and credible research dissemination.
Publishing Timeline	Two Months average Time from Submission to Publication such as: Submission to First Decision: 7 Days Submission to Acceptance: 45 Days Acceptance to Publication: 15 Days
Acceptance Rate	Estimation of the acceptance rate will be published in the future.
Academic Contribution	Published Articles are demonstrate motivation, advancement of existing knowledge, and applicability for policymaking.
Conformity to Journal Scope	Published Articles are align with the journal's stated aims and objectives.
Bibliographic Data & Literature Citation	Accurate and standardized referencing
Font & Design	Professional layout and readability
Infographics & Exhibits	High-quality visuals and supplementary materials
Citation Record	Journal articles cited in reputable databases
Print Continuum (if applicable)	The Journal is published in both print and online versions. Its continuity is maintained through regular quarterly online issues.
Online Availability	Full-text articles available online
Quality of Website	Well-maintained, regularly updated, and user-friendly.
Multilingual Availability	Multilingual Availability: Relevant for the Indian context, with content available in Indian languages. Most of the published articles are available in multiple languages.
Ethical Guidelines for Authors	Clear guide lines for ethical publishing practices
Plagiarism Prevention	The journal not accept more than standard limits 10% similarity score except for literature review.
Conflict of Interest Disclosure	No conflicts between governance, editorial board members, reviewers, and authors; any potential conflicts must be disclosed.

ISSN: 3139-5260
BJAR (https://bjar.in) | July-September | 2025 | Volume-1 | Issue-1

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च